

दिनांक.....को विधान सभा
को प्रस्तुत की गई
Presented to the Legislature
on...14.03.2016

भारत के
नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

राज्य के वित्त

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार

Printed on 100% recycled paper
with 50% post consumer waste
Preservation grade
on 100% recycled paper

100% recycled paper
with 50% post consumer waste
Preservation grade

100% recycled paper
with 50% post consumer waste
Preservation grade

100% recycled paper
with 50% post consumer waste
Preservation grade

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
प्रस्तावना		vii
कार्यकारी सार		ix
अध्याय – 1		
राज्य सरकार के वित्त		
राज्य का प्रोफाइल	1.1	1
राज्य के संसाधन	1.2	5
राजस्व प्राप्तियां	1.3	7
पूँजीगत प्राप्तियां	1.4	14
लोक लेखा प्राप्तियां	1.5	15
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	15
व्यय की गुणवत्ता	1.7	22
राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	25
परिसम्पत्तियां एवं देयताएं	1.9	29
ऋण प्रबंध	1.10	33
राजकोषीय असंतुलन	1.11	34
निष्कर्ष	1.12	36
सिफारिशें	1.13	37
अध्याय – 2		
वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	39
विनियोजन लेखाओं का संक्षेप	2.2	39
वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन	2.3	40
ट्रैजरीज के कार्यचालन में देखी गई कमियां	2.4	44
बजटीय अनुमानों के विश्लेषण का परिणाम	2.5	45
चयन किए गए अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.6	48
बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	2.7	49
निष्कर्ष	2.8	50
सिफारिशें	2.9	50

अध्याय – 3		
वित्तीय रिपोर्टिंग		
उपयोगिता प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	51
लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण / प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.2	52
प्रमाणीकरण के लिये स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.3	52
विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम	3.4	53
दुरुपयोग, हानियां, गबन, इत्यादि	3.5	54
लेखाओं का गलत वर्गीकरण	3.6	55
निष्कर्ष	3.7	56
सिफारिशें	3.8	56

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	राज्य प्रोफाइल	1.1	59
1.2	भाग क: सरकारी लेखाओं का ढांचा एवं स्वरूप भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	प्रस्तावना	60
1.3	राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति	प्रस्तावना	63
1.4	राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम डाटा	1.3	64
1.5	भाग-क: वर्ष 2014-15 हेतु प्राप्तियों एवं सवितरणों का सार भाग-ख: 31 मार्च 2015 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति	1.1.1 1.9.2	66 68
1.6	वर्ष 2014-15 के लिए तेरहवें वित्त आयोग, राजकोषीय सुधार पथ तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी के अन्तर्गत निर्धारण/प्रक्षेपणों की विवरणी	1.1.1	69
1.7	अंततम वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, में हानियों में चल रहे सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति	1.8.3	70
1.8	विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों की सारांशित वित्तीय विवरणी	1.8.4	71
1.9	कार्यान्वयनाधीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मूलभूत संरचना परियोजनाओं के ब्यौरे	1.8.5	72
2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचते ₹ 100 करोड़ से अधिक थी, की विवरणी	2.3.1	74
2.2	2014-15 के दौरान प्रावधान के बिना किए गए व्यय का ब्यौरा	2.3.4	76
2.3	उन मामलों के विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	2.3.6	79
2.4	प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक की निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के विवरण	2.3.7	80
2.5	मार्च 2015 की समाप्ति पर ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के विवरण	2.3.8	87
2.6	वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में व्यय का वेग दर्शाने वाले ब्यौरे	2.3.9	89
2.7	वर्ष 2014-15 के लिए भुगतान के समर्थन में वाऊचरों को प्रस्तुत न करना	2.4.1	90

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
2.8	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा अधिक) के विवरण जिनके लिए अनुमोदित आउटले में प्रावधान किए गए परंतु संशोधित अनुमानों में वापस लिए गए	2.5.3 (i)	91
2.9	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा अधिक) का विवरण जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान कम किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया	2.5.3 (ii)	92
2.10	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय और संशोधित अनुमानों में प्रावधान किया गया परंतु कोई व्यय नहीं किया गया	2.5.3 (iii)	93
2.11	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जहां बजट अनुमानों में वृद्धि की गई परन्तु व्यय मूल प्रावधान के अस्सी प्रतिशत से कम था	2.5.3 (iv)	94
2.12	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए संशोधित बजट कम किया गया था परन्तु वास्तविक व्यय संशोधित आऊटले के अस्सी प्रतिशत से कम था	2.5.3 (v)	95
2.13	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के विवरण जिनमें वास्तविक व्यय संशोधित आउटले से बीस प्रतिशत या इससे अधिक से बढ़ गया	2.5.3 (vi)	98
2.14	प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए अनुमोदित आउटले तथा संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु किया गया व्यय रखे गए प्रावधान के अस्सी प्रतिशत से कम था	2.5.3 (vii)	99
2.15	स्कीमों का विवरण जिनके संशोधित अनुमान बढ़ाए गए लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया	2.5.3 (viii)	101
2.16	2014-15 के दौरान अनुदान संख्या 14 (शहरी विकास) के अंतर्गत मासिक/तिमाही व्यय के विवरण	2.6.1 (i)	102
2.17	पिछले तीन वर्षों की सत्त बचतों से संबंधित शीर्ष वार विवरण	2.6.1 (iii)	103
2.18	वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत में व्यय वेग के मामले	2.6.2 (iii)	104
2.19	2014-15 के दौरान अनुदान संख्या 27 में बजट प्रावधान की 20 प्रतिशत तथा ₹ एक करोड़ से ज्यादा की बचत	2.6.2 (iv)	105
2.20	स्कीमों के विवरण जहां मूल बजट प्रदान किया गया था लेकिन पुनर्विनियोजन द्वारा वापस ले लिया गया	2.6.2 (vi)	106

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
3.1	31 मार्च 2015 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के ब्यौरे	3.1	108
3.2	निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शानेवाली विवरणी	3.2	109
3.3	स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.3	113
3.4	विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	3.4	116
3.5	दुरुपयोग, गबन इत्यादि, जहां अन्तिम कार्रवाई 30 जून 2015 को लम्बित थी, के मामलों का विभाग-वार/अवधि-वार विघटन	3.5	117
3.6	सरकारी सामग्री की चोरी तथा दुरुपयोग/हानि के मामलों के विभाग/श्रेणीवार ब्यौरे	3.5	118
	शब्दावली		
	पारिभाषिक शब्दावली		119
	संकेताक्षरों की शब्दावली		121

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन सविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 एवं 2 में 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखाओं तथा विनियोजन लेखाओं की जांच से उठने वाले मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं। हरियाणा सरकार से सूचना, जहां आवश्यक थी, प्राप्त की गई है।

“वित्तीय रिपोर्टिंग” पर अध्याय 3 चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति को दर्शाता है।

विभिन्न विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा संपादन लेखापरीक्षा के परिणामों से समायुक्त प्रतिवेदन, सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से समायुक्त प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।



कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

हरियाणा सरकार के वित्तों पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 में राज्य के बजट अनुमानों की तुलना में वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों तथा सरकार की प्राप्तियों एवं सवितरण की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा संरचनात्मक प्रोफाइल का विश्लेषण प्रकट करता है।

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के हरियाणा सरकार के लेखापरीक्षा किए गए लेखाओं तथा कई स्रोतों जैसे राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण तथा जनगणना से प्राप्त अतिरिक्त डाटा पर आधारित, यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है।

अध्याय-1 वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा हरियाणा सरकार की 31 मार्च 2015 की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह प्राप्तियों तथा सवितरण की टाईम सीरीज, बाजार उधारों, व्यय की गुणवत्ता, सरकारी व्यय तथा निवेश का वित्तीय विश्लेषण, ऋण संपोषण क्षमता तथा राजकोषीय असन्तुलनों का लेखा प्रदान करता है।

अध्याय-2 विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोजनों का अनुदान वार विवरण देता है। यह वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन, ट्रेजरीज की वर्किंग में कमियों तथा चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम का विस्तृत विवरण करता है।

अध्याय-3 हरियाणा सरकार द्वारा, विभिन्न रिपोर्टिंग अपेक्षाओं और वित्तीय नियमों की अनुपालना से संबंधित सूची है।

लेखापरीक्षा परिणाम

अध्याय 1

राज्य सरकार के वित्त:

2014-15 के दौरान ₹ 40,799 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष से ₹ 2,787 करोड़ (7.33 प्रतिशत) तक बढ़ गईं। 2014-15 के लिए कर-राजस्व (₹ 27,635 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा नियत लक्ष्यों के 9.41 प्रतिशत तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,613 करोड़) 75.50 प्रतिशत तक कम पड़ गया। हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत एकत्रित ₹ 1,520.54 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां 2011-14 के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गई थी।

राजस्व व्यय (₹ 49,118 करोड़) कुल व्यय (₹ 53,677 करोड़) का 92 प्रतिशत था तथा नान-प्लान घटक (₹ 36,358 करोड़) राजस्व व्यय का 74 प्रतिशत था जो तेरहवें वित्त आयोग के नार्मेटिव निर्धारण (₹ 24,103 करोड़) तथा वित्तीय सुधार पथ के प्रक्षेपण

(₹ 35,210 करोड़) से अधिक था। प्रतिबद्ध व्यय के चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, पेंशन तथा सबसिडियों ने गैर-योजनागत राजस्व व्यय का 81 प्रतिशत संघटित किया।

वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 6,928 करोड़), 2013-14 से 18.43 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा वित्तीय सुधार पथ (₹ 5,800 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों तथा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा (₹ 6,113 करोड़) से उच्चतर था परंतु मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 7,139 करोड़) के भीतर था।

दो विभागों के चौदह प्रोजेक्ट्स, जो दिसंबर 2012 तथा मार्च 2015 के मध्य पूर्ण किए जाने निर्धारित थे, अभी भी अधूरे थे (जून 2015)। अधूरे प्रोजेक्ट्स के टाइम ओवररन कम किए जाने की जरूरत है।

सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों तथा सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत रिटर्न गत पांच वर्षों में 0.02 से 0.10 प्रतिशत के मध्य भिन्न-भिन्न था जबकि सरकार ने अपनी उधारों पर 9.22 से 9.86 प्रतिशत का औसत ब्याज भुगतान किया। 2014-15 के दौरान ₹ 140.09 करोड़ के कुल निवेशों में से ₹ 66.94 करोड़ विद्युत कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश किए गए थे।

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 31 मार्च 2015 को ₹ 88,446 करोड़ थी। इसमें से आंतरिक ऋण ₹ 68,797 करोड़ था। राजकोषीय देयताएं, सरा.घ.उ. का 20.32 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 2.17 गुणा थी।

राजस्व घाटा, जो 2011-12 के दौरान शून्य तक नीचे लाया जाना तथा 2014-15 तक शून्य बनाए रखना अपेक्षित था, 2013-14 में ₹ 3,875 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 8,319 करोड़ हो गया। अन्य वित्तीय मानकों में प्रवृत्तियां अर्थात् राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा जो 2013-14 में क्रमशः ₹ 8,314 करोड़ तथा ₹ 2,464 करोड़ था, 2014-15 में बढ़कर क्रमशः ₹ 12,586 करोड़ तथा ₹ 5,658 करोड़ हो गया।

अध्याय - 2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण:

2014-15 के दौरान, ₹ 86,832.00 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरुद्ध ₹ 68,887.58 करोड़ का व्यय किया गया था। ₹ 17,944.42 करोड़ की समग्र बचतें, विभिन्न अनुदानों में ₹ 18,350.77 करोड़ की बचत तथा एक अनुदान में ₹ 406.35 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा आफसेट विनियोजन के कारण थी जिसे 2011-12 से 2013-14 की अवधि से संबंधित अनुदानों में ₹ 1,021.22 करोड़ के अधिक व्यय के अतिरिक्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमित किए जाने की आवश्यकता थी।

47 मामलों में, ₹ 17,083.97 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंत में वापस किए गए। बीस मामलों में, ₹ 9,963.77 करोड़ वापस किए गए जिसमें वास्तविक बचतों से ₹ 243.84 करोड़ के अधिक सरेंडर शामिल थे तथा इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण दर्शाते हैं। आगे, 18 मामलों में ₹ 4,507.64 करोड़ की बचतों में से ₹ 1,374.37 करोड़ की बचतें सरेंडर नहीं की गईं।

निधियों के अपर्याप्त प्रावधान तथा अनावश्यक अथवा अधिक पुनर्विनियोजन दोनों के उदाहरण थे।

11 अनुदानों के अंतर्गत 11 मुख्य शीर्षों में ₹ 1,011.04 करोड़ (56 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2015 के माह के दौरान किया गया जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यय के वेग को दर्शाता है तथा सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56 के प्रावधानों के विरुद्ध था।

2014-15 के दौरान ₹ 22,110 करोड़ की अनुमानित राशि के विरुद्ध प्लान व्यय केवल ₹ 17,597 करोड़ (79.59 प्रतिशत) था। ₹ 219.54 करोड़ के अनुमोदित प्लान परिव्यय वाली 16 स्कीमों में कोई व्यय नहीं किया गया तथा 40 स्कीमों में ₹ 1,075.40 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के विरुद्ध ₹ 382.28 करोड़ का व्यय किया गया।

अध्याय - 3

वित्तीय रिपोर्टिंग:

विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किए गए ₹ 5,085.56 करोड़ के ऋणों तथा अनुदानों के संबंध में 1,270 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 31 मार्च 2015 को बकाया थे। 63 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, के 186 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2015 को बकाया थे। 29 स्वायत्त निकायों, जिनकी लेखापरीक्षा राज्य द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है, में से चार ने गत पांच वर्षों से अधिक समय से अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे।

राज्य सरकार ने ₹ 1.50 करोड़ की राशि के सरकारी धन से आवेष्टित दुरुपयोग, जालसाजी इत्यादि के 120 मामले सूचित किए जिन पर जून 2015 तक अंतिम कार्यवाही की जानी लंबित थी। इनमें से 109 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे।

2014-15 के दौरान कुल व्यय का 15.70 प्रतिशत तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का 5.75 प्रतिशत, वित्त लेखाओं में अलग से वर्णित करने के बजाय बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे जो वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करते हैं।

अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय - 1

राज्य सरकार के वित्त

प्रस्तावना

यह अध्याय 2014-15 के दौरान हरियाणा सरकार के वित्त के विस्तृत परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है तथा पिछले पांच वर्षों की समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के संबंध में मुख्य राजकोषीय योगों में अवलोकित परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं स्वरूप की परिशिष्ट 1.2 भाग क में व्याख्या की गई है तथा वित्त लेखाओं का विन्यास परिशिष्ट 1.2 भाग ख में दर्शाया गया है। राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई पद्धतियां परिशिष्ट 1.3 में दी गई हैं।

1.1 राज्य का प्रोफाइल

हरियाणा 21 जिलों वाला कृषिक राज्य है जिसके आठ जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। राज्य राष्ट्रीय राजधानी के निकट स्थित है। भौगोलिक क्षेत्र (44,212 वर्ग किलोमीटर) के संबंध में यह 20वां तथा जनसंख्या के संबंध में 17वां बड़ा राज्य है (2011 की जनगणना के अनुसार)। राज्य की जनसंख्या एक दशक में 19.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते 2001 में 2.11 करोड़ से बढ़कर 2011 में 2.54 करोड़ हो गई। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की प्रतिशतता 12.5 प्रतिशत थी जोकि 29.50 की अखिल भारतीय औसत से कम है। वर्तमान मूल्यों पर 2014-15 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 4,35,310 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 67.91 प्रतिशत (2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 75.55 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई (परिशिष्ट 1.1)। वर्ष 2014-15 के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,47,076¹ है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)

स.रा.घ.उ., आधिकारिक रूप से मान्यताप्राप्त सभी सुनिश्चित पदार्थों एवं दी गई समय अवधि में राज्य के भीतर प्रस्तुत सेवाओं का बाजार मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर का महत्वपूर्ण सूचक है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के स.घ.उ. तथा हरियाणा के स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि में प्रवृत्तियां नीचे इंगित की गई हैं:

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	72,48,860	83,91,691	93,88,876	104,72,807	उपलब्ध नहीं
स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	18.66	15.77	11.88	11.54	उपलब्ध नहीं
राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	2,60,621	2,98,688	3,41,351	3,88,917	4,35,310
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	16.56	14.61	14.28	13.93	11.93

(स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा तथा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय)

¹ स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा।

1.1.1 राजकोषीय लेन-देनों का सार

पिछले वर्ष (2013-14) की तुलना में चालू वर्ष (2014-15) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सार नीचे दिया गया है।

तालिका 1.1: 2014 - 15 में राजकोषीय लेन-देनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2013-14	2014-15	संवितरण	2013-14	2014-15		
					गैर-योजनागत	योजनागत	कुल
भाग - क: राजस्व							
राजस्व प्राप्तियाँ	38,012.08	40,798.66	राजस्व व्यय	41,887.10	36,357.52	12,760.35	49,117.87
कर - राजस्व	25,566.60	27,634.57	सामान्य सेवाएं	13,597.31	16,658.80	105.93	16,764.73
कर - भिन्न राजस्व	4,975.06	4,613.12	सामाजिक सेवाएं	15,413.41	9,199.59	9,920.96	19,120.55
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	3,343.24	3,548.09	आर्थिक सेवाएं	12,740.20	10,354.54	2,733.46	13,088.00
भारत सरकार से अनुदान	4,127.18	5,002.88	सहायता अनुदान एवं अंशदान	136.18	144.59	--	144.59
भाग - ख: पूंजीगत तथा अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	9.89	18.74	पूंजीगत परिव्यय	3,934.60	(-)1,121.09	4,836.62	3,715.53
ऋणों एवं अधिमों की वसूतियाँ	261.85	272.82	संवितरित ऋण एवं अधिम	775.61	296.29	546.58	842.87
लोक ऋण प्राप्तियाँ	17,604.16	18,858.75	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	7,968.47			8,227.41
आकस्मिक निधि	--	--	आकस्मिक निधि	--			--
लोक लेखा प्राप्तियाँ	26,548.06	28,064.30	लोक लेखा संवितरण	24,560.19			25,609.25
आरंभिक नकद शेष	2697.11	6,007.18	अंतिम नकद शेष	6,007.18			6,507.52
कुल	85,133.15	94,020.45	कुल	85,133.15			94,020.45

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

परिशिष्ट 1.5 भाग-क चालू वर्ष के दौरान समय राजकोषीय स्थिति के साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण प्रदान करता है।

गत वर्ष से 2014 - 15 के दौरान राजकोषीय संपादनो में मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 2,786.58 करोड़ (7.33 प्रतिशत) बढ़ गई क्योंकि कर राजस्व में ₹ 2,067.97 करोड़ (8.09 प्रतिशत), भारत सरकार (भा.स.) से संघीय करों एवं शुल्कों के हिस्से में ₹ 204.85 करोड़ (6.13 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से सहायतानुदान में ₹ 875.70 करोड़ (21.22 प्रतिशत) की वृद्धि थी। तथापि, कर भिन्न राजस्व 2013-14 से ₹ 361.94 करोड़ (7.28 प्रतिशत) तक घट गया। ₹ 27,634.57 करोड़ का राज्य का अपना कर-राजस्व, राजकोषीय सुधार पथ (रा.सु.प.) (₹ 32,205 करोड़) के अंतर्गत नियत लक्ष्यों, मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) (₹ 30,375 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण तथा तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) (₹ 30,507 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य से क्रमशः 14.19 प्रतिशत, 9.02 प्रतिशत तथा 9.41 प्रतिशत तक कम पड़ गया। वर्ष 2014-15 का कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,613 करोड़) ते.वि.आ. (₹ 18,830 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य, रा.सु.प. में किए गए

प्रक्षेपण (₹ 5,330 करोड़) तथा म.अ.रा.नी.वि. (₹ 5,867 करोड़) से क्रमशः 75.50 प्रतिशत, 13.45 प्रतिशत तथा 21.37 प्रतिशत तक कम पड़ गया (परिशिष्ट 1.6)।

- 'सामान्य सेवाओं' (₹ 3,167 करोड़), 'सामाजिक सेवाओं' (₹ 3,707 करोड़) तथा 'आर्थिक सेवाओं' (₹ 348 करोड़) पर व्यय में वृद्धि के कारण राजस्व व्यय ₹ 7,231 करोड़ (17.26 प्रतिशत) बढ़ गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.) (₹ 36,358 करोड़), ते.वि.आ. में मानकीय आकलन (₹ 24,103 करोड़) के विरुद्ध 50.84 प्रतिशत अधिक था (परिशिष्ट 1.6)।
- मुख्य शीर्ष "4408-खाद्य भंडारण एवं भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय" के अंतर्गत भारत सरकार से ₹ 1,127.25 करोड़ की प्राप्ति के कारण 'आर्थिक सेवाओं' पर व्यय में मुख्य रूप से कमी के कारण पूंजीगत व्यय में ₹ 219.07 करोड़ (5.57 प्रतिशत) की कमी हुई।
- 2014-15 के दौरान ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली ₹ 10.97 करोड़ (4.19 प्रतिशत) बढ़ गई।
- निवल लोक लेखा प्राप्तियां 2013-14 में ₹ 1,987.87 करोड़ से 2014-15 में ₹ 2,455.05 करोड़ बढ़ गई।
- 2014-15 की समाप्ति पर ₹ 6,507.52 करोड़ का नकद शेष गत वर्ष से ₹ 500.34 करोड़ बढ़ गया।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

हरियाणा में राजकोषीय सुधार पथ

हरियाणा में राजस्व घाटा दूर करने तथा वित्तीय घाटे को निर्धारित सीमा में रखने के उद्देश्य से 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 6 जुलाई 2005 को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 लागू करके राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधार एवं समेकन को प्राथमिकता दी। भा.स. से समय-समय पर प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार रा.उ.ब.प्र. अधिनियम और संशोधित किया गया था। तेरहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार को 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा लक्ष्य प्राप्त करने तथा उसे 2014-15 तक बनाए रखने, वित्तीय घाटे को 2010-11 से स.रा.घ.उ. के तीन प्रतिशत तक सीमित करने तथा उसे 2014-15 तक बनाए रखने और बकाया ऋण को स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में 2010-11 में 22.4 प्रतिशत, 2011-12 में 22.6 प्रतिशत, 2012-13 में 22.7 प्रतिशत, 2013-14 में 22.8 प्रतिशत तथा 2014-15 में 22.9 प्रतिशत तक रखने की सिफारिश की।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित बजट में प्रदान किए गए तथा राज्य के रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में यथा लक्षित मुख्य राजकोषीय वेरियेबलज तालिका 1.2 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.2: प्रक्षेपणों से मुख्य राजकोषीय वेरियेबलज में भिन्नताएं

राजकोषीय वेरियेबलज	2014-15						
	रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में यथा निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना / म.अ.रा.नी. में किए गए प्रक्षेपण	वास्तविक	पर वास्तविकों की भिन्नता प्रतिशतता		
					रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना / म.अ.रा.नी. के प्रक्षेपण
राजस्व घाटा (-) / सरप्लस (+) (₹ करोड़ में)	शून्य	(-) 5013	(-) 5013	(-) 8319	-	(-) 3,306 (65.95 प्रतिशत)	(-) 3,306 (65.95 प्रतिशत)
राजकोषीय घाटा / सर.घ.उ. (प्रतिशत में)	3	2.50	2.54	2.89	(-) 3.66	15.60	13.78
कुल बकाया ऋण का सर.घ.उ. से अनुपात (प्रतिशत में)	22.9	18.24	18.24	16.29	(-) 28.86	(-) 10.69	(-) 10.69


वर्ष 2014-15 का राजस्व घाटा (₹ 8,319 करोड़) बजट तथा म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से अधिक था तथा राजकोषीय घाटा रा.उ.ब.प्र., बजट तथा म.अ.रा.नी.वि. में नियत किए गए क्रमशः तीन, 2.50 तथा 2.54 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध सर.घ.उ. का 2.89 प्रतिशत था।

वर्ष 2014-15 में कुल बकाया उधार सर.घ.उ. का 16.29 प्रतिशत था जोकि रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में निर्धारित 22.9 प्रतिशत तथा बजट एवं म.अ.रा.नी.वि. लक्ष्य 18.24 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत था।

1.1.3 बजट अनुमान तथा वास्तविक

बजट दस्तावेज विशिष्ट वित्तीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के अनुमान प्रदान करते हैं। राजस्व एवं व्यय के अनुमान जहां तक संभव हो ठीक ढंग से बनाए जाने चाहिए ताकि विभिन्नताओं का विश्लेषण करके उचित कारणों का पता किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानकों के लिए बजट अनुमान तथा वास्तविक चार्ट 1.1 में दिए गए हैं।

चार्ट: 1.1: चयनित राजकोषीय मानक: 2014-15 के वास्तविकों की तुलना में बजट अनुमान



₹ 47,690 करोड़ की लक्षित राजस्व प्राप्ति के विरुद्ध वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ₹ 40,799 करोड़ (86 प्रतिशत) थी। भा.स. से सहायतानुदान, ₹ 7,439 करोड़ के पूर्वानुमान

के विरुद्ध केवल ₹ 5,003 करोड़ (67 प्रतिशत) प्राप्त होने के कारण ₹ 13,305 करोड़ की पूर्वानुमानित प्राप्ति के विरुद्ध कर-भिन्न प्राप्तियों के अंतर्गत संग्रहण केवल ₹ 9,616 करोड़ (72 प्रतिशत) था। वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 49,118 करोड़) ₹ 52,703 करोड़ के बजट प्रावधान के अंतर्गत था। ब्याज भुगतान (₹ 6,928 करोड़) अनुमानित प्रक्षेपण (₹ 7,139 करोड़) के अंतर्गत रखे गए थे तथा ₹ 5,747 करोड़ के बजट अनुमान के विरुद्ध पूंजीगत व्यय ₹ 3,716 करोड़ था। राज्य सरकार अनुमानित राजस्व घाटा (₹ 5,013 करोड़) मेटेन नहीं कर सकी क्योंकि यह ₹ 8,319 करोड़ तक बढ़ गया। वास्तविक वित्तीय तथा प्राथमिक घाटे भी अनुमान से अधिक थे।

1.1.4 जेंडर बजटिंग

राज्य सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए विशिष्ट रूप से कुछ स्कीमें शुरू की हैं। उनमें से कुछ तालिका 1.3 में वर्णित हैं।

तालिका 1.3: महिलाओं के लिए स्कीमें-2014-15 के दौरान बजट अनुमान तथा किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	स्कीम	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
1.	इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना	65.71	65.71
2.	लाडली-केवल एक लड़की/लड़कियों वाले परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम	27.18	27.18
3.	विधवा पेंशन	572.93	572.93
4.	आंगनवाड़ी वर्करज/हैल्परज का बीमा	2.00	2.00
5.	अपनी बेटी अपना धन (लाडली)	35.79	35.79
6.	किशोर लड़कियों के लिए योजना	0.60	0.60
7.	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा-कक्षा की स्थापना	1.08	1.08
8.	निराश्रय औरतों तथा विधवाओं के लिए गृह-सह प्रशिक्षण केन्द्र	1.52	1.52
9.	वृद्ध, विकलांग तथा निराश्रय महिलाओं एवं विधवाओं को पेंशन	14.28	14.28
10.	किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम	1.29	1.29
11.	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम	2.23	2.23

(स्रोत: राज्य बजट 2014-15 तथा 2014-15 के विस्तृत विनियोजन लेखे)



1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वित्त लेखे 2014-15 के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व तथा पूंजीगत, प्राप्तियों के दो स्ट्रीम हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों का संघटन करते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संधीय करों एवं शुल्कों का राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार (भा.स.) से सहायतानुदान शामिल होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेश से प्राप्ति, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋणों, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से उधार प्राप्तियां भारत सरकार से


ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखा से अर्जन शामिल होते हैं। तालिका 1.1 चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं सवितरणों को प्रस्तुत करती है जैसा कि इसके वार्षिक वित्त लेखाओं में दर्ज किया गया है जबकि चार्ट 1.2 2010-15 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाता है, चार्ट 1.3 चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संघटन को दर्शाता है।

निम्नलिखित फ्लो चार्ट संसाधनों के घटक तथा उप-घटक दर्शाता है



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)


* निवल लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 2,455 करोड़) = लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 28,064 करोड़) घटा लोक लेखा सवितरण (₹ 25,609 करोड़)।



सरकार की कुल प्राप्ति 2010-11 में ₹ 36,919 करोड़ से ₹ 25,486 करोड़ (69.03 प्रतिशत) तक बढ़कर 2014-15 में ₹ 62,405 करोड़ हो गई। इसी अवधि के दौरान राजस्व प्राप्ति ₹ 15,235 करोड़ (59.60 प्रतिशत) तक बढ़ गई, पूंजीगत प्राप्ति, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल है, ₹ 9,067 करोड़ (89.91 प्रतिशत) तक बढ़ गई और निवल लोक लेखा प्राप्ति ₹ 1,184 करोड़ (93.15 प्रतिशत) तक बढ़ गई। कुल प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति का हिस्सा 2010-11 में 69.2 प्रतिशत से 2014-15 में 65.4 प्रतिशत तक घट गया। 2010-15 के दौरान लोक लेखा प्राप्ति का हिस्सा 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 3.9 प्रतिशत हो गया जबकि ऋण सहित पूंजीगत प्राप्ति का हिस्सा 27.3 प्रतिशत से बढ़कर 30.7 प्रतिशत हो गया।

1.3 राजस्व प्राप्ति

वित्त लेखाओं की विवरणी 14 सरकार की राजस्व प्राप्ति का ब्यौरा देती है। राजस्व प्राप्ति में राज्य के अपने कर तथा कर-भिन्न राजस्व, केंद्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल होते हैं। 2010-15 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्तियों एवं संघटकों को परिशिष्ट 1.4 में प्रस्तुत किया गया है तथा चार्ट 1.4 में भी दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान 59.60 प्रतिशत तक बढ़ गई। इसी अवधि के दौरान राज्य का अपना कर राजस्व 59.56 प्रतिशत तक, भारत सरकार से सहायता अनुदान 63.98 प्रतिशत तक तथा केन्द्रीय कर अंतरण 54.13 प्रतिशत तक बढ़ गए। कुल राजस्व में राज्य के अपने राजस्व (कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व) का हिस्सा 2010-11 तथा 2014-15 में 79 प्रतिशत पर समान था। भा.स. से सहायता अनुदान का हिस्सा 2010-11 में 11.9 प्रतिशत से 2014-15 में 12.3 प्रतिशत तक बढ़ गया।

2005-06 से 2013-14 के दौरान 13.45 प्रतिशत तक राजस्व प्राप्तियों की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (च.वा.वृ.द.) सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (15.76 प्रतिशत) से कम थी। यह वृद्धि दर पिछले वर्ष की 7.33 प्रतिशत से सामान्य श्रेणी राज्यों में 16.10 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम थी (परिशिष्ट 1.1)। सरा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां तालिका 1.4 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 1.4: सरा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व प्राप्तियां (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	25,564	30,558	33,634	38,012	40,799
आर.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	21.77	19.54	10.07	13.02	7.33
आर.आर./सरा.घ.उ. (प्रतिशत)	9.81	10.23	9.85	9.77	9.37
उत्पलावकता अनुपात					
सरा.घ.उ. के संबंध में राजस्व उत्पलावकता	1.315	1.337	0.705	0.934	0.614
सरा.घ.उ. के संबंध में राज्य की स्वयं की कर उत्पलावकता	1.631	1.471	1.085	0.612	0.678
राज्यों के स्वयं के करों के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता	0.806	0.909	0.650	1.527	0.906
राज्य के सरा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	2,60,621	2,98,688	3,41,351	3,88,917	4,35,310
सरा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	16.56	14.61	14.28	13.93	11.93

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर, जो 2010-11 में 21.77 प्रतिशत थी, 2014-15 में 7.33 प्रतिशत तक घट गई। अपने कर-राजस्व के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता 2010-11 में 0.806 से 2013-14 में 1.527 तक बढ़ गई फिर 2014-15 में 0.906 तक घट गई।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूँकि केन्द्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधन जुटाने में राज्य के निष्पादन का आकलन इसके स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोतों से संयुक्त संसाधन के संदर्भ में किया जाता है।

ते.वि.आ. तथा म.अ.रा.नी.वि. द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2014-15 के लिए राज्य की वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां तालिका 1.5 में दी गई हैं।

तालिका 1.5: ते.वि.आ. तथा म.अ.रा.नी.वि. द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में वास्तविक कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां

	ते.वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण	वास्तविक	पर वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता		
					ते.वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण
कर-राजस्व	30,507	30,375	30,375	27,635	(-) 9.41	(-) 9.02	(-) 9.02
कर-भिन्न राजस्व	18,830	5,867	5,867	4,613	(-) 75.50	(-) 21.37	(-) 21.37

(₹ करोड़ में)

राज्य के अपने कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण ते.वि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 9.41 प्रतिशत तथा बजट अनुमानों तथा म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से 9.02 प्रतिशत तक कम रहा। कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां ते.वि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 75.50 प्रतिशत तथा बजट अनुमानों एवं म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से 21.37 प्रतिशत तक कम रही।

1.3.1.1 कर राजस्व

करों एवं शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण तालिका 1.6 में दिए गए हैं जो 2010-15 के दौरान राज्य के अपने कर राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को भी दर्शाते हैं।

तालिका 1.6: राज्य के अपने स्रोतों के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	11,082.01 (23)	13,383.69 (21)	15,376.58 (15)	16,774.33 (9)	18,993.25 (13)
राज्य उत्पाद शुल्क	2,365.81 (15)	2,831.89 (20)	3,236.48 (14)	3,697.35 (14)	3,470.45 (-6)
वाहनों पर कर	457.36 (65)	740.15 (62)	887.30 (20)	1,094.86 (23)	1,191.50 (9)
स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन फीस	2,319.28 (79)	2,793.00 (20)	3,326.25 (19)	3,202.48 (-4)	3,108.70 (-3)
भू-राजस्व	10.02 (6)	10.95 (9)	12.98 (19)	12.42 (-4)	15.28 (23)
माल तथा यात्रियों पर कर	387.14 (-1)	429.32 (11)	470.76 (10)	497.45 (6)	527.07 (6)
अन्य कर ²	168.75 (3)	210.46 (31)	248.67 (18)	287.71 (16)	328.32 (14)
कुल	16,790.37 (27)	20,399.46 (21)	23,559.02 (15)	25,566.60 (9)	27,634.57 (8)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2010-15 के दौरान कर राजस्व ₹ 10,844.20 करोड़ (64.59 प्रतिशत) तक बढ़ गया। 2014-15 के दौरान राज्य आबकारी तथा स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण में कमी को छोड़कर सभी प्रमुख करों एवं शुल्कों ने कर राजस्व में वृद्धि दर्ज की। भू-राजस्व के अंतर्गत उच्चतम वृद्धि देखी गई थी जोकि 2010-11 में 6 प्रतिशत से 2014-15 में बढ़कर 23 प्रतिशत हो गई।

2005-06 से 2013-14 के दौरान कर राजस्व की कंपाऊंड वार्षिक वृद्धि दर 13.82 प्रतिशत थी जो अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (15.32 प्रतिशत) से अधिक थी। पिछले वर्ष की 8.09 प्रतिशत से यह वृद्धि दर सामान्य श्रेणी राज्यों में 10.51 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम थी (परिशिष्ट 1.1)। राज्य का अपना कर राजस्व सरकार द्वारा अपने रा.सु.प. (32,205 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों तथा म.अ.रा.नी.वि. (₹ 30,375 करोड़) में प्रक्षेपण से कम था।

कर संग्रहण की लागत

वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान प्रमुख करों के संग्रहण, उनके संग्रहण पर किए गए व्यय तथा संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता तालिका 1.7 में दी गई है, जो दर्शाते हैं कि राज्य में संग्रहण की लागत अखिल भारतीय औसत से कम है।

² अन्य करों में, कृषि भूमि से अन्य अचल संपत्ति पर कर, विद्युत तथा कृषि आय पर कर एवं शुल्क शामिल है।

तालिका 1.7: करों के संग्रहण की लागत

शीर्ष	वर्ष	संग्रहण		संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत
		संग्रहण	संग्रहण पर व्यय ₹ करोड़ में		
विक्रियों, व्यापार आदि पर कर	2012-13	15,376.58	95.85	0.62	0.73
	2013-14	16,774.33	101.42	0.60	0.88
	2014-15	18,993.25	118.98	0.63	उपलब्ध नहीं
वाहनों पर कर	2012-13	887.29	14.39	1.62	4.17
	2013-14	1094.86	13.92	1.27	6.25
	2014-15	1191.5	16.76	1.41	उपलब्ध नहीं
राज्य उत्पाद शुल्क	2012-13	3,236.49	23.87	0.74	2.96
	2013-14	3,697.35	25.38	0.69	1.81
	2014-15	3,470.45	28.88	0.83	उपलब्ध नहीं
स्टाम्प एवं पंजीकरण	2012-13	3,326.25	11.7	0.35	3.25
	2013-14	3,202.48	9.62	0.30	3.37
	2014-15	3,108.70	10.37	0.33	उपलब्ध नहीं

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

पांच वर्षों (2010-15) के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि तालिका 1.8 में दी गई है जोकि 2010-15 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.8: 2010-15 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
व्याज प्राप्तियां	689.34 (3)	864.96 (25)	1,058.21 (22)	1,090.71 (3)	933.59 (-14)
डिविडेंड तथा लाभ	2.48 (-74)	1.64 (-34)	7.05 (330)	6.49 (-8)	5.80 (-11)
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	2,729.11 (32)	3,855.05 (41)	3,607.89 (-6)	3,877.86 (7)	3,673.73(-5)
ए) बृहद् तथा मध्यम सिंचाई	202	583	139	95	129
बी) सड़क परिवहन	762	853	1,000	1,098	1,235
सी) शहरी विकास	975	1039	991	1,105	861
डी) शिक्षा	270	296	385	319	564
ई) अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	83	76	76	79	43
कुल	3,420.93 (25)	4,721.65 (38)	4,673.15 (-1)	4,975.06 (6)	4,613.12 (-7)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2010-15 के दौरान कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां ₹ 1,192 करोड़ (34.84 प्रतिशत) बढ़ गईं। कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,613 करोड़) ने गत वर्ष पर ₹ 362 करोड़ (7.27 प्रतिशत) की कमी दर्ज करते हुए 2014-15 के दौरान राजस्व प्राप्ति का 11.31 प्रतिशत संघटित किया।

भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर

राज्य सरकार, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर एकत्र करती है। एकत्र किए गए उपकर को निर्माण कार्य श्रमिकों के लिए कल्याण स्कीमों पर स्वर्च किया जाना होता है। इस प्रयोजन के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के लेखाओं के अनुसार 31 मार्च 2014 को बोर्ड के पास कुल उपलब्ध निधियां ₹ 1,410.43 करोड़ हैं। बोर्ड ने 2013-14 के दौरान श्रमिक कल्याण स्कीमों पर मात्र ₹ 12.26 करोड़ स्वर्च किए।

1.3.2 भारत सरकार से सहायतानुदान

भारत सरकार से सहायतानुदान पिछले वर्ष से 2014-15 में ₹ 875.70 करोड़ बढ़ गए जैसा कि तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
गैर-योजनागत अनुदान	1,765.98 (9)	1,246.51 (-29)	851.62 (-32)	2,256.17 (165)	1,723.20 (-24)
राज्य प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	749.74 (-19)	674.54 (-10)	727.75 (8)	856.66 (18)	2,815.36 (229)
केंद्रीय प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	87.79 (73)	50.79 (-42)	44.32 (-13)	62.99 (42)	24.57 (-61)
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	447.11 (-33)	783.09 (75)	715.56 (-9)	951.36 (33)	439.75 (-54)
कुल	3,050.62 (-6)	2,754.93 (-10)	2,339.25 (-15)	4,127.18 (76)	5,002.88 (21)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए बृहद् निधियां राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित कर रही थी। भारत सरकार ने, 2014-15 से आगे, राज्य बजट के माध्यम से ये निधियां जारी करने का निर्णय किया। तथापि, भारत सरकार ने 2014-15 के दौरान राज्य के विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों/गैर-सरकारी संगठनों को सीधे ₹ 1,285.01 करोड़³ अंतरित किए।

1.3.3 केंद्रीय कर अंतरण

केंद्रीय कर अंतरण 2013-14 में ₹ 3,343 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 3,548 करोड़ हो गए जैसा कि तालिका 1.10 में दिया गया है।

तालिका 1.10: 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान केंद्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

कर का नाम	ते.वि.आ. की सिफारिश	2013-14 के लिए वास्तविक	2014-15 के लिए वास्तविक	भिन्नता
कारपोरेशन कर	राज्यों को केंद्रीय करों की हिस्से योग्य राशि का 32 प्रतिशत	1,124.46	1,239.11	114.65
आयकर		740.43	884.86	144.43
धन कर		3.08	3.35	0.27
सीमा शुल्क		545.53	573.87	28.34
केंद्रीय उत्पाद शुल्क		385.30	324.04	(-) 61.26
सेवाकर		544.44	522.86	(-) 21.58
कुल		3,343.24	3,548.09	204.85

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

³ 2014-15 के वित्त लेखाओं का परिशिष्ट VI

ते.वि.आ. ने केंद्रीय करों के राज्यों के हिस्से को 30.50 से 32 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्य का हिस्सा क्रमशः 1.048 तथा 1.064 प्रतिशत तय किया गया था। 2014-15 के दौरान प्राप्त केंद्रीय करों का हिस्सा (₹ 3,548.09 करोड़), अनुमान (₹ 4,009.96 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 461.87 करोड़ कम था।

1.3.4 राज्य की समेकित निधि में राजस्व प्राप्तियां जमा न करना

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 (1) प्रावधान करता है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी राजस्व, खजाना बिल जारी करके सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन "राज्य की समेकित निधि" नामक एक समेकित निधि के रूप में होंगे। तेरहवें वित्त आयोग ने भी लोक व्यय को बजट से नोमिनेटिड निधियों जो विधानसभा के प्राधिकार से बाहर परिचालित की जाती है, को विपथित करने की प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट की।

राज्य सरकार ने कृषीय उत्पादन को बढ़ाने तथा इसके विपणन एवं बिक्री को बढ़ाने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के अंतर्गत हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का गठन किया। इस अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत, खरीदे गए अथवा बेचे गए एवं अधिसूचित बाजार क्षेत्र में प्रोसेसिंग के लिए लिए गए कृषि उत्पाद के बिक्री लाभों का दो प्रतिशत की दर से एड-वालोरैम आधार पर फीस (सैस) उद्गृहीत की जाती है। इस प्रकार, एकत्रित राशि मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास, डिस्पेंसरियों की स्थापना, जलापूर्ति एवं स्वच्छता के प्रबंध करने, गोदामों के निर्माण इत्यादि के संबंध में बोर्ड द्वारा खर्च की जाती है।

निधि के अंतर्गत 2011-14 के दौरान प्राप्तियां ₹ 1,520.54 करोड़ थी तथा ₹ 1,529.82 करोड़ का व्यय किया गया। मामला वित्त विभाग के पास भेजा गया था (जून 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2015)।

चूंकि ये निधियां वार्षिक बजट प्रस्तावों में शामिल नहीं की गई थी, विधान सभा के पास ऐसी निधियों पर नियंत्रण रखने का कोई अवसर नहीं था।

1.3.5 तेरहवें वित्त आयोग अनुदानों का आप्टीमाइजेशन

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को पूरा करने के लिए किए गए बजट आबंटन की तुलना में 2010-2015 की अवधि के दौरान किया गया वास्तविक व्यय तालिका 1.11 में दिया गया है।

तालिका 1.11: 2010-15 के दौरान 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध बजट आबंटन तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

विभाग	बजट	वास्तविक व्यय	बजट पर व्यय की प्रतिशतता
सामान्य सैक्टर	2,115.91	1,056.28	49.92
आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण	14.40	2.69	18.68
स्वजाना एवं लेखे	10.00	1.52	15.20
न्याय	247.00	40.98	16.59
पुलिस (प्रशिक्षण)	115.00	90.00	78.26
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	1,729.51	921.09	53.26
सामाजिक सैक्टर	3,024.19	2,422.40	80.10
विकास एवं पंचायत	1,193.33	1,070.97	89.75
शहरी स्थानीय निकाय	654.41	465.39	71.12
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग	140.39	92.73	66.05
प्राथमिक शिक्षा	229.00	229.00	100.00
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	482.62	291.01	60.30
स्वास्थ्य	324.44	273.30	84.24
आर्थिक सैक्टर	555.80	213.91	38.49
वानिकी एवं वन्य जीवन	13.20	13.20	100.00
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	32.10	3.21	10.00
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	31.50	10.50	33.33
लोक निर्माण	267.00	134.00	50.19
सिंचाई	212.00	53.00	25.00
कुल	5,695.90	3,692.59	64.83

(स्रोत: वित्त विभाग, हरियाणा से प्राप्त आंकड़े)

2010-15 की अवधि के दौरान ₹ 5,695.90 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 3,692.59 करोड़ (64.83 प्रतिशत) का व्यय किया गया था। सामाजिक सैक्टर स्कीमों में बजट प्रावधान से व्यय की प्रतिशतता संबद्ध रूप से 80 प्रतिशत पर संतोषजनक थी जबकि सामान्य सैक्टर स्कीमों में यह 50 प्रतिशत तथा आर्थिक सैक्टर स्कीमों में मात्र 38 प्रतिशत थी।

सामाजिक सैक्टर में कमी मुख्यतः जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, औद्योगिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य तथा शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत थी, जहां व्यय बजट प्रावधान का क्रमशः मात्र 60, 66 तथा 71 प्रतिशत था। सामान्य सैक्टर में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुलिस (प्रशिक्षण) को छोड़कर सभी स्कीमों में व्यय 20 प्रतिशत से कम था। यह देखा गया था कि राज्य सरकार ने ₹ 1,729.51 करोड़ के बजट आबंटन के विरुद्ध स्टेट डिजास्टर रिस्पॉंस फंड में मात्र ₹ 921.09 करोड़ (53 प्रतिशत) का अंशदान दिया था। आर्थिक सैक्टर स्कीमों के अंतर्गत समग्र व्यय मात्र 38.49 प्रतिशत था, केवल वन विभाग ने ₹ 13.20 करोड़ की संपूर्ण बजटीय राशि खर्च की। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा सिंचाई विभागों के अंतर्गत बजट प्रावधान के विरुद्ध व्यय क्रमशः मात्र 10, 33 तथा 25 प्रतिशत था।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूलियां तथा ऋणों के माध्यम से अग्रियों की प्राप्तियां अर्थात् आंतरिक एवं भारत सरकार तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। पांच वर्षों (2010-15) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों के विवरण तालिका 1.12 में दिए गए हैं।

तालिका 1.12: प्राप्तियों की वृद्धि एवं संघटन में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
पूंजीगत प्राप्तियां (सी.आर.)	10,083.78	11,070.19	15,573.73	17,875.90	19,150.31
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	8	9.24	10.81	9.89	18.74
ऋणों एवं अग्रियों की वसूलियां	233.05	294.12	349.38	261.85	272.82
लोक ऋण प्राप्तियां	9,842.73	10,766.83	15,213.54	17,604.16	18,858.75
पिछले वर्ष पर वृद्धि की दर (प्रतिशत)					
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का	16	9	41	16	7
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का	8	26	19	(-) 25	7
सरा.घ.उ. का	16.56	14.61	14.28	13.93	11.93
पूंजीगत प्राप्तियों का	16	10	41	15	7

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.4.1 विनिवेश से आय

वर्ष 2014-15 के दौरान 16 सहकारी बैंकों तथा समितियों के पूंजीगत विनिवेश से निवल आय ₹ 18.74 करोड़ थी जो पिछले वर्ष (₹ 9.89 करोड़) से 89 प्रतिशत अधिक है।

1.4.2 ऋणों एवं अग्रियों की वसूलियां

वर्ष के दौरान ₹ 272.82 करोड़ के ऋण एवं अग्रियों की वसूली की गई थी। इनमें से ₹ 217.65 करोड़ सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुनर्भुगतान किए गए थे। 31 मार्च 2014 को ₹ 4,002.24 करोड़ की कुल बकाया राशि में से मात्र ₹ 55.17 करोड़ अन्य संस्थाओं से वसूल किए गए थे जो बकाया ऋणों की वसूली हेतु राज्य सरकार के कमजोर प्रयासों को दर्शाता है।

31 मार्च 2014 को सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध ₹ 1,028.90 करोड़ के ऋण बकाया थे। राज्य सरकार ने वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 190 करोड़ वितरित किए, इन ऋणों के विरुद्ध प्राप्त कुल पुनर्भुगतान मात्र ₹ छः करोड़ था। इन सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध ₹ 1,212.90 करोड़ के ऋण बकाया थे। सरकार ने इन चीनी मिलों को ऋण इस शर्त पर वितरित किए थे कि संस्वीकृति के बारह माह पश्चात् नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर समान किस्तों पर पांच वर्षों में ऋण का पुनर्भुगतान करना होगा तथा पूर्ववर्ती ऋणों के पुनर्भुगतान की विफलता के मामले में कोई ऋण वितरित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, पूर्ववर्ती ऋणों की शर्तों का पालन सुनिश्चित किए बिना चीनी मिलों को ₹ 190 करोड़ के ऋण संस्वीकृत/वितरित किए गए थे। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2015 को इन चीनी मिलों के विरुद्ध ₹ 162.43 करोड़ का मूलधन, ब्याज भी प्रोद्भूत हो गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि गन्ना उत्पादकों को गन्ना बकायों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार से सहायता प्रदान करने के लिए

अनुवर्ती ऋण सवितरित किए गए थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि संस्वीकृतियों में विनिर्दिष्ट था कि पूर्ववर्ती ऋणों की वसूली सुनिश्चित किए जाने के बाद ही आगे ऋण जारी किए जाएंगे।

1.4.3 आंतरिक स्रोतों से उधार प्राप्ति

2014-15 के दौरान आंतरिक उधार प्राप्ति के रूप में ₹ 18,727.99 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी जो पिछले वर्ष से ₹ 1,465.30 करोड़ (8.49 प्रतिशत) अधिक थी। बाजार ऋणों के रूप में ₹ 13,200 करोड़ के ऋण, वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से ₹ 4,276.68 करोड़ तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधियों से ₹ 1,251.31 करोड़ 2014-15 के दौरान उठाए गए थे।

1.4.4 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

भारत सरकार से कुल ऋण एवं अग्रिम 2013-14 में ₹ 2,150.81 करोड़ से ₹ 22.98 करोड़ घटकर 2014-15 में ₹ 2,127.83 करोड़ हो गए थे। भारत सरकार से ₹ 130.76 करोड़ के ऋण प्राप्त किए गए थे तथा वर्ष के दौरान ₹ 153.74 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया था।

1.5 लोक लेखा प्राप्ति

लघु बचतों, भविष्य निधियों, रिजर्व फंड्स, डिपोजिटस, सस्पेंस, प्रेषण इत्यादि जैसे कुछ निश्चित लेन-देनों, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते, के संबंध में प्राप्ति एवं सवितरणों को भारतीय सविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है तथा राज्य विधान सभा द्वारा वोट के अधीन नहीं है। लोकलेखा के विभिन्न खंडों के अंतर्गत प्राप्ति एवं सवितरणों की प्रवृत्तियां तालिका 1.13 में दी गई हैं।

तालिका: 1.13: 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान लोक लेखा प्राप्ति एवं सवितरणों में प्रवृत्तियां (₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्ति के स्रोत	लोक लेखा प्राप्ति		लोक लेखा से सवितरण		सवितरणों पर प्राप्ति का आधिक्य	
	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15
ए) लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	2,498.81	2,747.69	1,777.82	1,706.64	720.99	1,041.05
बी) आरक्षित निधि	511.50	1,257.10	60.20	247.79	451.30	1,009.31
सी) जमा	15,621.07	17,064.80	14,534.64	16,593.45	1,086.43	471.35
डी) अग्रिम	24.43	27.02	24.43	26.95	--	0.07
ई) उचत तथा विविध	371.03	453.48	641.64	506.32	(-) 270.61	(-) 52.84
एफ) प्रेषण	7,521.22	6,514.21	7,521.46	6,528.10	(-) 0.24	(-) 13.89
कुल	26,548.06	28,064.30	24,560.19	25,609.25	1,987.87	2,455.05

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

संसाधनों के अनुप्रयोग के विश्लेषण, विभिन्न शीर्षों जैसे व्यय की वृद्धि एवं संघटन, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय, वेतनों, ब्याज भुगतानों, सबसीडियों, पेंशन भुगतानों पर व्यय तथा फ्लैगशिप स्कीमों पर व्यय के अंतर्गत अनुवर्ती अनुच्छेदों में किए गए हैं।


1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

चार्ट 1.5 गत पांच वर्षों (2010-15) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है तथा वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापों द्वारा व्यय' दोनों के संदर्भ में इसका संघटन क्रमशः चार्ट 1.6 एवं 1.7 में प्रदर्शित किया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


पांच वर्षों (2010-15) की अवधि में कुल व्यय 62.3 प्रतिशत बढ़ गया। यह पिछले वर्ष से 15.2 प्रतिशत बढ़ गया। प्लान तथा नॉन-प्लान व्यय का हिस्सा 34 प्रतिशत तथा 66 प्रतिशत के अनुपात में था। इस अवधि के दौरान, राजस्व व्यय 73.5 प्रतिशत बढ़ गया और पूंजीगत व्यय 7.8 प्रतिशत घट गया। 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान ऋणों और अग्रिमों का सवितरण भी 16.8 प्रतिशत बढ़ गया।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 2010-11 में 85.62 प्रतिशत से 2014-15 में 91.51 प्रतिशत तक बढ़ गया जबकि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2010-11 में 12.19 प्रतिशत से 2014-15 में 6.92 प्रतिशत तक घट गया जो चिंता का विषय है। सवितरित ऋणों एवं अग्रिमों का हिस्सा भी 2010-11 में 2.19 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में

1.57 प्रतिशत हो गया। कुल व्यय से गै.यो.रा.व्य. का अनुपात 2010-11 में 66.72 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 67.73 प्रतिशत हो गया। स.रा.घ.उ. से गै.यो.रा.व्य. का अनुपात 2010-11 में 8.46 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 8.35 प्रतिशत हो गया।



व्यय के विभिन्न घटकों के संबंधित हिस्सों के चलन ने प्रकट किया कि जबकि ब्याज भुगतानों तथा सामाजिक सेवाओं सहित सामान्य सेवाओं का हिस्सा 2010-11 में क्रमशः 29 तथा 37 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में क्रमशः 32 तथा 40 प्रतिशत हो गया, आर्थिक सेवाओं का हिस्सा 2010-11 में 33 प्रतिशत से कम होकर 2014-15 में 27 प्रतिशत हो गया जबकि उसी अवधि हेतु सहायतानुदान का हिस्सा लगभग एक प्रतिशत के स्तर पर समान रहा। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं का संयुक्त हिस्सा, जिसने विकास व्यय निरूपित किया है, भी 2010-11 में 70 प्रतिशत से कम होकर 2014-15 में 67 प्रतिशत हो गया।

1.6.2 राजस्व व्यय

तालिका 1.14 पांच वर्षों (2010-15) के राजस्व व्यय की वृद्धि प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.14: राजस्व व्यय की वृद्धि

	(₹ करोड़ में)				
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व व्यय	28,310	32,015	38,072	41,887	49,118
वृद्धि दर (प्रतिशत)	12	13	19	10	17
स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता	11	11	11	11	11
गैर-योजनागत राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.)	22,059	24,223	28,616	31,735	36,358
राजस्व व्यय से गै.यो.रा.व्य. की प्रतिशतता	78	76	75	76	74

2010-15 के दौरान राजस्व व्यय 12 से 19 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित वृद्धि दर के साथ ₹ 20,808 करोड़ (73.5 प्रतिशत) बढ़ गया किंतु इसी अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. से इसकी प्रतिशतता लगभग 11 पर स्थिर रही।

राजस्व व्यय वर्ष 2013-14 में ₹ 41,887 करोड़ से 17.26 प्रतिशत बढ़कर 2014-15 में ₹ 49,118 करोड़ हो गया। मुख्यतः पेंशनों (₹ 432.65 करोड़) तथा ब्याज भुगतानों

(₹ 1,078.50 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹ 3,168 करोड़ तक बढ़ गया। गत वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर भी व्यय मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 1,919.68 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 471.21 करोड़) तथा समाज कल्याण एवं पोषण (₹ 1,167.74 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण ₹ 3,706 करोड़ तक बढ़ गया। आर्थिक सेवाओं पर व्यय मात्र ₹ 348 करोड़ तक बढ़ गया। राजस्व व्यय के गै.यो.रा.व्य. (74 प्रतिशत) तथा योजनागत राजस्व व्यय (यो.रा.व्य.) (26 प्रतिशत) में विघटन ने दर्शाया कि गै.यो.रा.व्य. का अनुपातिक हिस्सा यो.रा.व्य. से बहुत अधिक था। राजस्व व्यय में ₹ 7,230.77 करोड़ की कुल वृद्धि में गै.यो.रा.व्य. और यो.रा.व्य. के क्रमशः ₹ 4,622.51 करोड़ और ₹ 2,608.26 करोड़ शामिल थे।

2014-15 में ₹ 36,357.52 करोड़ का गै.यो.रा.व्य., ते.वि.आ. के नार्मेटिव निर्धारण (₹ 24,102.58 करोड़), रा.सु.प. में किए गए प्रक्षेपण (₹ 35,210 करोड़) से अधिक था परंतु सरकार द्वारा अपने म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपण (₹ 36,777.53 करोड़) से थोड़ा कम था (परिशिष्ट 1.6)।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतनों एवं मजदूरी, पेंशनों तथा सबसीडियों पर व्यय शामिल हैं। 2010-15 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को तालिका 1.15 एवं चार्ट 1.8 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.15: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)


प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरियां जिसमें	9809 (38)	9,960 (33)	11,464 (34)	11,816 (31)	14,510	14,359* (35)
गैर-योजनागत शीर्ष	8,974	9,070	10,280	10,374	12,592	12,250
योजनागत शीर्ष**	835	890	1,184	1,442	1,918	2,109
ब्याज भुगतान	3,319 (13)	4,001 (13)	4,744 (14)	5,850 (15)	7,015	6,928 (17)
पेंशनों पर व्यय	3,094 (12)	3,204 (10)	3,636 (11)	4,169 (11)	4,602	4,602 (11)
सबसीडिज	3,285 (13)	3,853 (13)	5,454 (16)	5,681 (15)	5,695	5,693 (14)
कुल	19,507	21,018	25,298	27,516	31,822	31,582

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रदत्त सूचना)।

नोट: कोष्ठकों में दर्शाए गये आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता इंगित करते हैं।

* ₹ 203.53 करोड़ की मजदूरियां शामिल हैं।

** योजनागत शीर्ष में केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत दिये गये वेतन एवं मजदूरियां भी सम्मिलित हैं।



वेतन, ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर कुल व्यय (₹ 25,686 करोड़), सरकार द्वारा अपने रा.सु.प. (₹ 22,680 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 3,006 करोड़ (13.25 प्रतिशत) अधिक था तथा ते.वि.आ. में प्रक्षेपित 35 प्रतिशत के विरुद्ध राजस्व प्राप्तियों का 63 प्रतिशत उपयोग किया। चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, पेंशन भुगतान तथा सबसिडी ने 2014-15 के दौरान गै.यो.रा.व्य. का लगभग 81 प्रतिशत संघटित किया।

वेतनों पर व्यय

2010-11 से 2014-15 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय (₹ 14,359 करोड़) 46.39 प्रतिशत बढ़ गया। 2005-06 से 2013-14 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय की कंपाऊंड वार्षिक विकास दर 14.88 प्रतिशत थी, जो सामान्य श्रेणी राज्यों (₹ 15.23 प्रतिशत) में अधिक थी। यह वृद्धि दर पिछले वर्ष की 21.52 प्रतिशत से सामान्य श्रेणी राज्यों में 11.75 प्रतिशत की वृद्धि दर से अधिक थी (परिशिष्ट 1.1)। वेतनों पर व्यय (₹ 14,156 करोड़) राज्य के अपने रा.सु.प. (₹ 12,310 करोड़), ते.वि.आ. द्वारा निर्धारण (₹ 8,148 करोड़) से अधिक था किंतु म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 14,737 करोड़) से कम था (परिशिष्ट 1.6)।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान (₹ 6,928 करोड़) पांच वर्ष (2010-15) की अवधि में 108.74 प्रतिशत बढ़ गया। गत वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान ₹ 1,078 करोड़ (18.43 प्रतिशत) की वृद्धि थी। राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 2010-11 में 12.98 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 16.98 प्रतिशत हो गई। 2014-15 के दौरान ब्याज भुगतान राज्य द्वारा अपने रा.सु.प. में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 5,800 करोड़) और ते.वि.आ. द्वारा किए गए निर्धारण (₹ 6,113 करोड़) से अधिक थे किंतु म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपणों (₹ 7,139 करोड़) के अंतर्गत थे (परिशिष्ट 1.6)।

सबसिडीज़

सबसिडीज़ पर भुगतान 2010-11 में ₹ 3,285 करोड़ से ₹ 2,408 करोड़ (73.3 प्रतिशत) बढ़कर 2014-15 में ₹ 5,693 करोड़ हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 13.95 प्रतिशत था। ₹ 5,693 करोड़ की कुल सबसिडीज़ में से ₹ 5,238 करोड़ (92 प्रतिशत) विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्रों के लिए था। बिजली एवं ऊर्जा क्षेत्र को कुल सबसिडीज़ रा.सु.प. (₹ 4,420 करोड़) तथा म.अ.वि.नी.वि. (₹ 4,495 करोड़) में प्रक्षेपण से अधिक थी (परिशिष्ट 1.6)।

सबसिडीज़ आंशिक तस्वीर प्रस्तुत करती हैं क्योंकि इनमें अप्रत्यक्ष सबसिडीज़ शामिल नहीं हैं। 2014-15 के दौरान प्रदान की गई कुछ अप्रत्यक्ष सबसिडीज़ तालिका 1.16 में वर्णित हैं।

तालिका 1.16: कुछ अप्रत्यक्ष सबसिडीज़ के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम /सबसिडी	बजट अनुमान		व्यय
		मूल	संशोधित	
1.	मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रीएंट डैफिशिएंसी मैनेज करने की स्कीम	4.00	0.09	0.09
2.	फसलों की विविधता के प्रोत्साहन की स्कीम	8.00	4.30	4.30
3.	मिट्टी स्वास्थ्य एवं उर्वरता के प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना	2.00	0.37	0.37
4.	जल बचाव प्रौद्योगिकी को अपनाने पर सहायता प्रदान करने की स्कीम	10.00	8.32	8.32
5.	हरियाणा में एकीकृत बागवानी विकास की स्कीम	7.50	6.25	6.25
6.	बागवानी क्षेत्र में उन्नत अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के प्रमोशन की स्कीम	7.00	5.50	5.50
7.	माइक्रो इरीगेशन	46.49	28.54	28.54
8.	हाई-टेक डेरी इकाइयों की स्थापना के लिए स्कीम	4.00	4.85	4.85
9.	सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिम दिए गए लघु अवधि ऋणों पर ब्याज की दर पर छूट	32.16	15.16	15.16
10.	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को सहायता	86.00	86.00	86.00
11.	सभी सहकारी चीनी मिलों के पुराने ऋण का समायोजन	190.00	190.00	190.00

(स्रोत: विस्तृत विनियोजन लेखे)

पेंशन भुगतान

2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान (₹ 4,602 करोड़) 48.74 प्रतिशत तक बढ़ गए जोकि राजस्व प्राप्तियों का 11.28 प्रतिशत था। 2014-15 में पेंशन भुगतानों पर व्यय ते.वि.आ. द्वारा किए गए आकलनों (₹ 2,839 करोड़) तथा सरकार द्वारा ₹ 4,570 करोड़ के अपने रा.सु.प. तथा म.अ.वि.नी.वि. (₹ 4,500 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से अधिक था (परिशिष्ट 1.6)। 1 जनवरी 2006 से राज्य द्वारा बढ़ती हुई पेंशन देयताओं को पूरा करने के लिए एक नई अंशदायी पेंशन स्कीम आरम्भ की गई थी।

फलैगशिप स्कीमों: व्यय की स्थिति

फलैगशिप स्कीमों, राष्ट्र के इनक्लुसिव विकास की ओर भारत सरकार की प्रतिबद्धता का संपूर्ण एवं विवेचनात्मक भाग हैं। केंद्रीय सरकार, हरियाणा सरकार के मंत्रालयों, उनकी फंक्शनरीज तथा विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा फलैगशिप स्कीमों के लिए 2014-15 के दौरान तालिका 1.17 में दर्शाई गई राशियां जारी की गई थी।

तालिका 1.17: हरियाणा में कार्यान्वित फलैगशिप स्कीमों के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता की तुलना में व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	आरंभिक शेष	से प्राप्त निधियां			कुल	व्यय	उपलब्ध निधियों से व्यय की प्रतिशतता
			भारत सरकार	राज्य का हिस्सा	अन्य स्रोत			
1	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	91.99	248.96	112.47	19.24	472.66	468.92	99.2
2	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	14.57	186.75	20.75	(-) 2.83	219.24	217.82	99
3	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	54.01	18.59	59.50	0.86	132.96	121.16	91
4	इन्दिरा आवास योजना	29.20	97.62	32.16	7.11	166.09	135.90	82
5	सर्व शिक्षा अभियान	108.89	465.49	223.19	8.35	805.92	761.11	94
6	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	16.05	277.98	387.89	--	681.92	596.92	88
7	मिड-डे-मील स्कीम	52.26	163.99	111.02	--	327.27	266.21	81
8	एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	61.70	225.81	25.02	--	312.53	250.25	80
9	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	13.31	244.27	81.42	36.00	375.00	373.89	100
10	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	(-) 15.00	--	--	55.00	40.00	51.93	130
11	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	15.79	--	--	0.30	16.09	17.38	108
12	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा.कृ.वियो.)	73.84	--	119.42	--	193.26	166.48	86
13	निर्मल भारत अभियान	139.25	5.93	-	-	145.18	85.15	59
	कुल	655.86	1,935.39	1,172.84	124.03	3,888.12	3,513.12	90

(स्रोत: वित्तीय लेखे एवं संबंधित विभागों से प्राप्त सूचना।)

राज्य ने फलैगशिप स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से 2014-15 के दौरान ₹ 1,935.39 करोड़ प्राप्त किए। 2014-15 के लिए ₹ 3,888.12 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों में से राज्य ने ₹ 3,513.12 करोड़ (90 प्रतिशत) उपयोग किए। इंदिरा आवास योजना, मिड-डे मील, एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, निर्मल भारत अभियान तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध निधियों की उपयोगिता 90 प्रतिशत से कम थी।

1.6.4 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

तालिका 1.18: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15		
					बजट अनुमान	वास्तविक	भिन्नता की प्रतिशतता
शिक्षा संस्थाएं (सहायताप्राप्त स्कूल, सहायताप्राप्त कालेज, विश्वविद्यालय आदि)	741.79	648.39	1,140.09	783.66	1,810.05	1,809.77	(-) 0.02
नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	291.43	894.67	1,274.01	1,120.80	744.63	744.63	-
जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थाएं	267.83	722.40	882.65	1,263.49	1,191.57	1,192.04	0.04
विकास अभिकरण	388.23	480.96	450.65	523.36	745.12	723.72	(-) 2.87
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	211.97	357.67	580.02	518.83	986.47	979.70	(-) 0.69
अन्य	322.21	201.92	320.53	329.53	669.05	656.14	(-) 1.93
कुल	2,223.46	3,306.01	4,647.95	4,539.67	6,146.89	6,106.00	(-) 0.67
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	8	10	12	11		12	

(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित सूचना)

तालिका 1.18 इंगित करती है कि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2010-11 में ₹ 2,223.46 करोड़ से 2014-15 के दौरान राजस्व व्यय का 12.43 प्रतिशत संघटित करते हुए ₹ 6,106 करोड़ तक बढ़ गई। शैक्षिक संस्थाओं (₹ 1,026.11 करोड़) तथा अस्पतालों एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं (₹ 460.87 करोड़) को सहायता में वृद्धि के कारण गत वर्ष की तुलना में यह ₹ 1,566.33 करोड़ (34.50 प्रतिशत) तक बढ़ गई। ₹ 6,146.89 करोड़ के अनुमानित प्रावधान के विरुद्ध, ₹ 6,106 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाओं एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं को बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक सहायता में कमी की रेंज 0.02 और 2.87 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक मूलभूत संरचनाओं की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। व्यय की गुणवत्ता के सुधार में मूलतः तीन पहलू सम्मिलित होते हैं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान); व्यय की कुशलता (प्रयोग) तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिये परिव्यय-परिणाम संबंधों का आकलन)।

1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

मानवीय विकास बढ़ाने के लिये राज्यों द्वारा मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर उनका व्यय बढ़ाना अपेक्षित है। तालिका 1.19, 2014-15 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय तथा पूंजीगत व्यय से संबंधित सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता एवं राजकोषीय क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.19: 2011-12 और 2014-15 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता और राजकोषीय क्षमता

राज्य की प्राथमिकता	राजकोषीय	कु.व्य./सरा.घ.उ.	वि.व्य./कु.व्य.	सा.क्षे.व्य./कु.व्य.	पू.व्य./कु.व्य.	शिक्षा/कु.व्य.	स्वास्थ्य/कु.व्य.
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2011-12		12.73	71.53	36.85	14.13	16.74	3.28
सामान्य श्रेणी राज्य* औसत (अनुपात) 2011-12		15.98	65.39	36.63	13.23	17.10	4.68
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2014-15		12.33	67.40	39.16	6.92	17.66	4.17
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2014-15		16.49 [@]	69.12	36.50	14.01	16.23	5.04

* दो राज्यों अर्थात् गोवा तथा पुदुचेरी को छोड़कर सामान्य श्रेणी राज्य।
 कु.व्य. - कुल व्यय, वि.व्य. - विकास व्यय, सा.क्षे.व्य. - सामाजिक क्षेत्र व्यय, पू.व्य. - पूंजीगत व्यय।
[@] गोवा तथा पुदुचेरी को छोड़कर 17 राज्यों पर आधारित।
[#] विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय और सवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।
 सरा.घ.उ. का स्रोत: राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय से सूचना प्राप्त की गई थी।

राजकोषीय प्राथमिकता:

- सरा.घ.उ. के अनुपात के रूप में हरियाणा का कुल व्यय 2011-12 तथा 2014-15 दोनों वर्षों में सामान्य श्रेणी राज्यों (सा.श्रे.रा.) की तुलना में कम था।
- 2011-12 की तुलना में 2014-15 में विकास व्यय पर प्राथमिकता कम कर दी गई क्योंकि कुल व्यय से इसका अनुपात 71.53 से 67.40 प्रतिशत तक कम हो गया था जबकि सामान्य श्रेणी राज्यों में यह अनुपात बढ़ गया।
- कुल व्यय से सामाजिक क्षेत्र व्यय का अनुपात 2011-12 की तुलना में 2014-15 में हरियाणा में बढ़ गया जबकि सामान्य श्रेणी राज्यों में यह अनुपात थोड़ा सा कम हो गया।
- कुल व्यय से पूंजीगत व्यय का अनुपात 2011-12 की तुलना में 2014-15 में महत्वपूर्ण रूप से घट गया है तथा सामान्य श्रेणी राज्यों से बहुत कम था।
- शिक्षा पर व्यय का अनुपात 2014-15 में थोड़ा सा बढ़ गया था तथा सामान्य श्रेणी राज्यों से अधिक था।
- हरियाणा में स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई तथा अनुपात 2014-15 में बढ़ गया किंतु सामान्य श्रेणी राज्यों से अभी कम था।

1.7.2 व्यय प्रयोग की कुशलता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षो पर सार्वजनिक व्यय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, सरकार के लिये समुचित व्यय की तर्कसंगत व्यवस्था करना तथा कोर पब्लिक और मैरिट गुड्स के प्रावधान पर बल देना आवश्यक है। विकास व्यय आबंटन बढ़ाने के अतिरिक्त, विशेषरूप से हाल के वर्षों में उधार सर्विसिंग पर व्यय में कमी के कारण सृजित किए जा रहे फिस्कल स्पेस के दृष्टिगत, कुल व्यय (और/अथवा सरा.घ.उ.) से पूंजीगत व्यय का अनुपात और वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रख-रखाव पर किए जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात के द्वारा भी व्यय प्रयोग की दक्षता प्रतिबिम्बित होती है। कुल व्यय (और/अथवा सरा.घ.उ.) से इन घटकों का अनुपात जितना उच्चतर होगा उतनी ही व्यय की गुणवत्ता अच्छी होगी। विकास व्यय में सामाजिक-आर्थिक सेवाओं में ऋणों एवं अग्रिमों सहित

राजस्व तथा पूंजीगत व्यय शामिल है। तालिका 1.20, 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय के संबंध में विकास व्यय में प्रवृत्तियों को दर्शाती है। तालिका 1.21 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रस्व-रखाव पर किए गए राजस्व व्यय के घटकों तथा पूंजीगत व्यय के विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.20: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (क से ग तक)	23,266 (70)	27,192 (72)	31,868 (72)	32,300 (69)	41,899 (70)	36,180 (67)
क) विकास राजस्व व्यय	18,901 (57)	21,696 (57)	26,073 (59)	28,154 (60)	35,870 (60)	32,208 (60)
ख) विकास पूंजीगत व्यय	3,832 (12)	5,137 (14)	5,511 (12)	3,653 (8)	5,440 (9)	3,425 (6)
ग) विकास ऋण एवं अग्रिम	533 (1)	359 (1)	284 (1)	493 (1)	589 (1)	547 (1)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

(नोट: कोष्ठकों में आंकड़े कुल व्यय की प्रतिशतता सूचित करते हैं।)

2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान विकास व्यय 55.5 प्रतिशत तक बढ़ गया। यह व्यय, जिसने कुल व्यय का 67 प्रतिशत संघटित किया, 2013-14 में ₹ 32,300 करोड़ से मात्र ₹ 3,880 करोड़ (12 प्रतिशत) बढ़कर 2014-15 में ₹ 36,180 करोड़ हो गया। विकास राजस्व व्यय ने विकास व्यय का 89 प्रतिशत संघटित किया जबकि ऋणों और अग्रिमों सहित पूंजीगत व्यय का हिस्सा केवल सात प्रतिशत था। विकास पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष से 6.24 प्रतिशत कम हो गया। ₹ 41,899 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 36,180 करोड़ था जोकि बजट अनुमान का 86.35 प्रतिशत है।

तालिका 1.21: चयनित सामाजिक व आर्थिक सेवाओं में व्यय-प्रयोग की कुशलता

सामाजिक/आर्थिक आधारभूत संरचना	2013-14			2014-15		
	कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में का हिस्सा		कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में का हिस्सा	
		वे. व म.	प. व र.		वे. व म.	प. व र.
सामाजिक सेवाएं (सा.से.)						
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.021	67.66	0.03	0.020	66.21	0.04
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.028	51.07	*	0.029	48.38	-
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	0.343	17.58	7.52	0.319	18.91	7.98
कुल (सा.से.)	0.125	53.23	1.83	0.103	53.67	1.69
आर्थिक सेवाएं (आ.से.)						
कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	(-) 1.396	36.16	2.05	(-) 1.098	38.96	1.89
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.439	7.34	7.95	0.454	6.32	8.07
विद्युत एवं ऊर्जा	0.019	0.01	*	0.013	0.03	-
परिवहन	0.440	36.20	2.71	0.371	39.59	3.33
कुल (आ.से.)	0.145	15.24	1.84	0.120	17.07	1.98
कुल (सा.से. + आ.से.)	0.135	35.38	1.83	0.111	37.89	1.81

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

कु.व्य.: कुल व्यय; पू.व्य.: पूंजीगत व्यय, रा.व्य.: राजस्व व्यय, वे. व म.: वेतन एवं मजदूरियां; प. व रस्व.: परिचालन एवं रस्व-रखाव; * राशि नगण्य

कुल व्यय के संदर्भ में सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का अनुपात 2013-14 में 0.125 से 2014-15 में 0.103 तक तथा आर्थिक सेवाओं के लिए 2013-14 में 0.145 से 2014-15 में 0.120 तक कम हो गया।

सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत, वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय का हिस्सा 2013-14 में 53.23 प्रतिशत से 2014-15 में 53.67 प्रतिशत तक थोड़ा सा बढ़ गया। परिचालन एवं रख-रखाव पर व्यय का हिस्सा 2013-14 में 1.83 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 1.69 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2013-14 में 15.24 प्रतिशत से 2014-15 में 17.07 प्रतिशत तक बढ़ गया। परिचालन एवं रख-रखाव का हिस्सा भी 2013-14 में 1.84 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 1.98 प्रतिशत हो गया। सामाजिक सेवाएं एवं आर्थिक सेवाएं संयुक्त के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2013-14 में 35.38 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 37.89 प्रतिशत हो गया। परिचालन एवं रख-रखाव का हिस्सा 2013-14 में 1.83 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 1.81 प्रतिशत हो गया।

1.8 राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2005 के बाद के फ्रेमवर्क में राज्य से अपना राजकोषीय घाटा (और उधार) न केवल निम्न स्तर पर रखने बल्कि पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) की जरूरतों की पूर्ति की भी आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार को अप्रत्यक्ष सबसीडियों के रूप में बजट में खर्च करने के बजाय इसके निवेशों पर पर्याप्त आमदनी कमाने और उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय शुरू करने और वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने के लिये जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। इस भाग में पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय के विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत किए जाते हैं।

1.8.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

मार्च 2015 के अंत पर ₹ 585.07 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय वाली आठ सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों ने दर्शाया कि 2014-15 के दौरान इन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व (₹ 111.14 करोड़) पूंजीगत परिव्यय का 19 प्रतिशत था। कार्यचालन एवं रख-रखाव व्यय (₹ 294.66 करोड़) तथा ब्याज प्रभारों (₹ 29.25 करोड़) को वहन करने के पश्चात् ₹ 212.77 करोड़ की हानि थी।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2015 को अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभागवार सूचना तालिका 1.22 में दी गई है। अपूर्ण परियोजनाओं के अन्तर्गत केवल वे परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की निश्चित तिथियां 31 मार्च 2015 को पहले ही समाप्त हो चुकी हैं।

तालिका 1.22: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजट लागत	परियोजनाओं की संशोधित कुल लागत	मार्च 2015 तक कुल व्यय
सिंचाई	8	56.60	56.60	28.78
लोक निर्माण विभाग (भ. एवं स.)	6	53.64	53.64	33.41
कुल	14	110.24	110.24	62.19

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

दो विभागों की 14 परियोजनाओं के पूर्ण करने की निश्चित तिथि दिसंबर 2012 और मार्च 2015 के मध्य थी, परन्तु ये ₹ 62.19 करोड़ के निवेश से वांछित लाभों की अप्राप्ति सहित जून 2015 तक अपूर्ण थी।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2015 तक सरकार ने साविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टाक कम्पनियों और सहकारिताओं में ₹ 7,500.22 करोड़ निवेश किए थे (तालिका 1.23)। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.066 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2010-15 के दौरान अपने उधारों पर 9.59 प्रतिशत की औसत ब्याज दर अदा की।

तालिका 1.23: निवेशों पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वर्ष के अन्त पर निवेश (₹ करोड़ में)	6,376.98	6,981.91	7240.02	7378.87	7,757.23	7,500.22
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	2.48	1.64	7.05	6.49	8.30	5.80
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.04	0.02	0.10	0.09	0.11	0.08
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	9.22	9.73	9.86	9.83	10.50	9.33
ब्याज दर और प्रतिलाभ के बीच अन्तर (प्रतिशत)	9.18	9.71	9.76	9.74	10.39	9.25

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

सरकार द्वारा निवेश 2010-11 से 2014-15 तक पांच वर्षों की अवधि में 17.61 प्रतिशत तक बढ़ गए, जबकि निवेशों से प्रतिलाभ 2010-11 में ₹ 2.48 करोड़ (0.04 प्रतिशत) से 2014-15 में ₹ 5.80 करोड़ (0.08 प्रतिशत) तक घट गए। सरकार ने अपने उधारों पर 2010-15 के दौरान 9.22 से 9.86 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज अदा किया जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों से प्रतिलाभ की प्रतिशतता 0.02 और 0.10 के बीच रही। राज्य सरकार ने 2014-15 के दौरान ₹ 140.09 करोड़ के निवेश किए। इनमें से ₹ 66.94 करोड़ चार विद्युत कंपनियों की साम्या पूंजी में निवेश किए गए थे।

₹ 4,983.04 करोड़ के कुल निवेश वाली दस सरकारी कम्पनियां घाटे में चल रही थी और इन कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियां ₹ 25,618.85 करोड़ थी

(परिशिष्ट 1.7)। तीन⁴ विद्युत उत्पादन एवं वितरण कम्पनियों में ₹ 25,059 करोड़ की हानियों ने सरकारी कम्पनियों की कुल हानियों का 98 प्रतिशत संघटित किया।

राज्य सरकार ने गैर-कार्यचालन सा.क्षे.उ. के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन की क्रिया शुरू नहीं की थी यद्यपि ते.वि.आ. ने इसकी सिफारिश की थी।

1.8.4 विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के कार्य भी किये जाते हैं। उस वर्ष, जिसके प्रोफार्मा लेखे अन्तिमकृत किये गये थे, तक सरकार द्वारा किये गये निवेशों की विभागवार स्थिति, निवल लाभ/हानि के साथ-साथ इन उपक्रमों में निवेश की गई पूंजी पर प्रतिलाभ **परिशिष्ट 1.8** में दिए गए हैं। निम्नलिखित बिन्दु अवलोकित किए गए थे:

- सरकार द्वारा पांच उपक्रमों में उस वित्तीय वर्ष, जिसके लेखे अन्तिमकृत किए गए थे, के अंत तक ₹ 7,030.36 करोड़ की राशि निवेश की गई थी।
- नुकसान में चल रहे उपक्रमों में से हरियाणा रोडवेज छः वर्षों से अधिक समय से लगातार नुकसान में चल रहा था और कृषि विभाग (बीज डिपो योजना) ने पिछले 26 वर्षों से अपने प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किये थे।
- ₹ 678.74 करोड़ के कुल निवेश के विरुद्ध दो⁵ विभागीय उपक्रमों की हानियां ₹ 288.84 करोड़ थीं।

1.8.5 लोक निजी साझेदारी में निवेश

सामाजिक तथा भौतिक मूलभूत संरचना का पर्याप्त विकास उपलब्ध कराने के विचार से, जो आर्थिक वृद्धि कायम रखने के लिए पूर्व अपेक्षित है, राज्य सरकार ने मूलभूत संरचना के विकास के लिए लोक निजी साझेदारी (लो.नि.सां.) माध्यम को अपनाया।

31 मार्च 2014 को ₹ 58,821.70 करोड़ की कुल अनुमानित लागत के साथ चौदह लो.नि.सां. परियोजनाएं (**परिशिष्ट 1.9**) कार्यान्वयन अधीन थीं।

1.8.6 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त सरकार अनेक संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही थी। **तालिका 1.24**, 31 मार्च 2015 को बकाया ऋणों एवं अग्रिमों तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज अदायगियों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को दर्शाती है।

⁴ 2013-14 तक संचित हानियां: उ.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 13,893.80 करोड़), द.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 10,726.59 करोड़) तथा ह.वि.उ.नि.लि. (₹ 438.45 करोड़)।

⁵ कृषि विभाग (बीज डिपो स्कीम): ₹ 0.01 करोड़ तथा हरियाणा रोडवेज: ₹ 288.83 करोड़।

तालिका 1.24: राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों/ब्याज प्राप्तियों/उधारों की लागत की प्रमात्रा	2012-13	2013-14	2014-15	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	3,316	3,489		4,002
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	522	775	1001	843
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	349	262	342	273
अन्त शेष	3,489	4,002		4,572
बकाया शेष जिसके लिए नियम व शर्तें निर्धारित की गई हैं	3,489	4,002		4,572
निवल बढ़ोतरी	173	513	659	570
ब्याज प्राप्तियां	69	66	84	40
बकाया ऋणों व अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियां	2.03	1.76	1.84	0.93
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान	7.32	7.67	8.73	7.83
ब्याज भुगतान एवं ब्याज प्राप्तियों के बीच अन्तर (प्रतिशत)	5.29	5.91	6.89	6.90

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 570 करोड़ की निवल बढ़ोतरी के कारण 31 मार्च 2015 को कुल बकाया ऋण एवं अग्रिम ₹ 4,572 करोड़ थे। ₹ 1,028.90 करोड़ की राशि के ऋण वर्ष 2014-15 के आरंभ में सहकारी शुगर मिलों के विरुद्ध बकाया थे। आगे, इन शुगर मिलों को ₹ 190 करोड़ के कुल ऋण दिए गए थे तथा पिछले ऋणों के विरुद्ध केवल ₹ छः करोड़ वसूल किए गए थे। इसी प्रकार, ₹ 118.11 करोड़ के ऋण वर्ष 2014-15 के दौरान ट्रांसमिशन तथा सवितरण सेवाओं हेतु विद्युत परियोजनाओं को दिए गए थे, 31 मार्च 2014 को बकाया ₹ 933.46 करोड़ के पिछले ऋणों के विरुद्ध केवल ₹ 25.95 करोड़ वसूल किए गए थे।

1.8.7 नकद शेष और नकद शेषों का निवेश

वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के नकद शेषों और नकद शेष के निवेश के तुलनात्मक आंकड़े तालिका 1.25 में दिए गए हैं।

तालिका 1.25: नकद शेष और नकद शेष के निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2014 को आरंभिक शेष	31 मार्च 2015 को अंत शेष
(ए) सामान्य नकद शेष		
रिजर्व बैंक में जमा	(-) 652.85	75.53
ट्राजिट लोकल में प्रेषण	0.54	0.54
कुल	(-) 652.31	76.07
नकद शेष निवेश लेखे में किया गया निवेश	3,774.41	2,571.52
कुल (ए)	3,122.10	2,647.59
(बी) अन्य नकद शेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद यानि लोक निर्माण विभाग अधिकारी, वन विभाग अधिकारी, जिला कलेक्टरज	(-) 1.44	3.07
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थाई अग्रिम	0.11	0.11
चिन्हित निधियों का निवेश	2,886.41	3,856.75
कुल (बी)	2,885.08	3,859.93
कुल योग (ए)+(बी)	6,007.18	6,507.52

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

वर्ष 2014-15 के दौरान रोकड़ शेष ₹ 6,007.18 करोड़ से बढ़कर ₹ 6,507.52 करोड़ हो गया। रोकड़ शेषों में से किए गए निवेश ₹ 3,774.41 करोड़ से घटकर ₹ 2,571.52 करोड़ हो गए। चिन्हित शेषों से निवेश 1 अप्रैल 2014 को ₹ 2,886.41 करोड़ से ₹ 970.34 करोड़ बढ़कर 31 मार्च 2015 को ₹ 3,856.75 करोड़ हो गए, जो मुख्यतः सिकिंग फंड (₹ 91.12 करोड़) तथा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड (₹ 431.87 करोड़) से निवेशों में वृद्धि के कारण था। वर्ष 2014-15 के दौरान निवेशों से प्राप्त ₹ 79.70 करोड़ का ब्याज वर्ष 2013-14 के दौरान अर्जित ब्याज (₹ 112.59 करोड़) से ₹ 32.89 करोड़ तक घट गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अनुबंध के अनुसार सरकार को ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना था तथा न्यूनतम रोकड़ शेष रखने के लिए 2014-15 के दौरान कोई साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया गया था।

‘चैक्स एंड बिल्स’ शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष

प्रमुख शीर्ष ‘8670’ चैक्स एंड बिल्स लेन-देनों, जो आखिरकार क्लीयर किए जाने होते हैं, के आरंभिक अभिलेख इंटरमीडियरी अकाउंट हेड को निरूपित करता है। 1 अप्रैल 2014 को ₹ 0.11 करोड़ की राशि बकाया थी। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के कारण वर्ष के दौरान कोई लेन-देन नहीं हुआ तथा अंत शेष वही रहा।

सरकार ने वर्ष 2014-15 के दौरान 8.04 प्रतिशत से 9.07 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित ब्याज दर पर खुले बाजार से ₹ 13,200 करोड़ का ऋण लिया यद्यपि कौश बैलेस इनवेस्टमेंट अकाउंट में शेष 2014-15 के दौरान ₹ 2,826.18 करोड़ से ₹ 6,106.09 करोड़ के मध्य श्रृंखलित रहा जोकि पांच से 5.50 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित ब्याज दर पर निवेश किया गया था। यह दर्शाता है कि राज्य ने नए उधार लेने से पहले अपने मौजूदा नकद शेषों का उपयोग नहीं किया था।

1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.9.1 परिसम्पत्तियों और देयताओं की वृद्धि एवं संघटन

विद्यमान सरकारी लेखांकन प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि एवं भवन जैसी स्थायी परिसम्पत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करते हैं। 31 मार्च 2015 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार गत चार वर्षों की तदनुसूची स्थिति से तुलना करके **परिशिष्ट 1.5 भाग क एवं ख** में दिया गया है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यतः आन्तरिक उधार, भा.स. से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा और रिजर्व फंड से प्राप्तियां शामिल हैं, परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।


जैसा कि रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में परिभाषित किया गया है 'कुल देयता' का अर्थ है राज्य की समेकित निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत देयताएं तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लिए गए उधारों और विशेष प्रयोजन वाहनों एवं गारंटियों सहित अन्य समतुल्य दस्तावेजों, जहां मूलधन और/या ब्याज राज्य बजट से दिये जाते हैं, को भी शामिल करती हैं।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति को परिशिष्ट 1.5 भाग - ख में प्रस्तुत किया गया है। 2010-15 के दौरान राजकोषीय देयताओं की संरचना को तालिका 1.26 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.26: 2010-11 से 2014-15 तक राजकोषीय देयताओं में प्रवृत्तियां

राजकोषीय देयता के घटक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आंतरिक ऋण	32,486	39,343	48,680	58,143	68,797
केंद्र सरकार से ऋण	2,180	2,053	1,978	2,151	2,128
लोक लेखा देयताएं	11,616	13,144	14,160	15,969	17,521
कुल	46,282	54,540	64,818	76,263	88,446
वृद्धि दर	17.66	17.84	18.84	17.66	15.97
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	181.04	178.48	192.72	200.63	216.78
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि से उत्प्लावकता	0.81	0.91	1.87	1.36	2.18
जी.एस.डी.पी. का अनुपात	17.76	18.26	18.99	19.61	20.32



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2010-11 में ₹ 46,282 करोड़ से मुख्यतः लोक ऋण (₹ 36,259 करोड़) और लोक लेखा देयताओं (₹ 5,905 करोड़) में वृद्धि के कारण 91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2014-15 में ₹ 88,446 करोड़ हो गई। सर.घ.उ. से राजकोषीय देयताओं के अनुपात ने वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई और 2010-11 में 17.76 प्रतिशत

से बढ़कर 2014-15 में 20.32 प्रतिशत हो गई। 2014-15 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 2.17 गुणा और राज्य के अपने संसाधनों का 2.74 गुणा थी। वर्ष 2014-15 के दौरान राजकोषीय देयताओं पर ब्याज की अदायगी ₹ 6,928 करोड़ (7.83 प्रतिशत) थी। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 88,446 करोड़ की राजकोषीय देयताएं वर्ष 2014-15 में म.अ.रा.नी.वि. में प्रोजेक्टिड ₹ 81,806 करोड़ की सीमा से अधिक थी।

राज्य सरकार ने खुले बाजार ऋणों को छुड़ाने के लिए 2002 में समेकित सिकिंग फंड स्थापित किया। दिशानिर्देशों के अनुसार सरकार द्वारा पिछले वर्ष के अंत में बकाया खुले बाजार ऋणों का एक से तीन प्रतिशत निधि को अंशदान किया जाना अपेक्षित है। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के 2006 के दिशानिर्देशों ने यद्यपि सरकार की कुल देयताओं (आंतरिक ऋण तथा लोक लेखा देयताएं) पर 0.50 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक अंशदान निर्धारित किया।

सरकार ने 2014-15 के लिए समेकित सिकिंग फंड को अंशदान देने के लिए ₹ 699.38 करोड़ का बजट प्रावधान किया। किंतु निवेश पर ब्याज के रूप में अर्जित ₹ 91.12 करोड़ को छोड़कर वर्ष के दौरान निधि में कोई अंशदान नहीं किया गया था। कोई सवितरण नहीं किए गए थे तथा निधि में ₹ 1,153.30 करोड़ की राशि थी।

1.9.3 रिजर्व फंड के अंतर्गत लेन-देन

2014-15 के प्रारंभ में रिजर्व फंड ₹ 3,164.21 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 1,257.10 करोड़ की बढ़ोतरी तथा ₹ 247.79 करोड़ के वितरण के कारण अंतिम शेष ₹ 4,173.52 करोड़ का था। रिजर्व फंडों में मुख्यतः सिकिंग फंड, गारंटी रिडंप्शन फंड तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) शामिल हैं।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में ₹ 1,736.31 करोड़ का आरंभिक शेष था। वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 255.41 करोड़ की राशि जारी की तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य हिस्से के रूप में ₹ 85.14 करोड़ (75:25 के अनुपात में) का अंशदान करना अपेक्षित था। अतः निधि में कुल ₹ 340.55 करोड़ का अंशदान किया जाना था। परंतु राज्य सरकार ने केवल ₹ 216.37 करोड़, अर्थात् ₹ 124.18 करोड़ का कम अंशदान किया। इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा जारी निधियों ने भी रा.आ.प्र.नि. को पूरी तरह अंशदान नहीं किया।

भारत सरकार के दिशानिर्देशों (सितंबर 2010) के अनुसार रा.आ.प्र.नि. के गठन एवं प्रशासन पर इस निधि से प्रत्यक्ष व्यय वर्जित है। राज्य सरकार ने उपर्युक्त दिशानिर्देशों के उल्लंघन में रा.आ.प्र.नि. से प्रत्यक्ष रूप से ₹ 218.04 करोड़ (2013-14: ₹ 103.80 करोड़ तथा 2014-15: ₹ 114.24 करोड़) खर्च किए।

1.9.4 इनओपरेटिव रिजर्व फंड्स

वित्त लेखा की विवरणी संख्या 21 में दिए गए विवरणानुसार विशेष प्रयोजनों के लिए चिन्हित ग्यारह रिजर्व फंड्स थे। जिनमें से केवल आठ फंड्स एक्टिव हैं तथा वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर ₹ 12.27 करोड़ के अंत शेष वाले कृषि प्रयोजनों के लिए विकास फंड्स, औद्योगिक विकास फंड्स, खाद्यान्न रिजर्व फंड्स नामक तीन फंड्स निष्क्रिय हैं।

1.9.5 गारंटियों की स्थिति - आकस्मिक देयताएं

ऋण लेने वालों, जिनके लिये गारंटियां दी गई हैं, ऋण वापस न करने पर गारंटियां राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं। राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर सरकार द्वारा गारंटियां जारी करने की अधिकतम सीमा के लिए संविधान की धारा 293 के अन्तर्गत राज्य विधायिका द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है।

वित्त लेखाओं की विवरणी 9 के अनुसार पिछले पांच वर्षों की बकाया गारंटियां तालिका 1.27 में दी गई है।

तालिका 1.27: हरियाणा सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ में)

गारंटी	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
फीस सहित गारंटियों की बकाया राशि	4,528	5,608	21,124	27,309	30,389
कुल राजस्व प्राप्तियों से गारंटी की बकाया राशि की प्रतिशतता	18	18	63	72	74

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2014-15 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों के प्रति कोई राशि अदा नहीं की गई थी। 31 मार्च 2015 को गारंटी फीस सहित गारंटियों की ₹ 30,389 करोड़ की बकाया राशि विद्युत (₹ 28,354 करोड़), सहकारी बैंकों और समितियों (₹ 1,373 करोड़) तथा निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों (₹ 662 करोड़) के संबंध में थी। गारंटियों के अतिरिक्त सरकार ने विद्युत क्षेत्र में सरकारी कम्पनियों की देयताओं के विरुद्ध ₹ 2,604 करोड़ के लैटर्स ऑफ कम्फर्ट बैंकों को जारी किए जिनसे आकस्मिक देयताओं का सृजन हुआ।

सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों की ओर से जारी की गई गारंटियों से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को चुकाने के लिए 2003-04 के दौरान गारंटी रिडंपशन निधि की संरचना की। भारतीय रिजर्व बैंक के 2013 के दिशानिर्देश पिछले वर्ष की बकाया गारंटियों का न्यूनतम तीन से पांच प्रतिशत का कोरपस प्राप्त करने के लिए वर्ष के आरंभ में बकाया गारंटियों का न्यूनतम एक प्रतिशत का अंशदान तथा उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष 0.5 प्रतिशत का न्यूनतम अंशदान इंगित करते हैं। इस निधि के अंतर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 753.15 करोड़ शेष थे (₹ 27,307.71 करोड़ पर पिछले वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों का 2.75 प्रतिशत) जोकि निवेश किया गया रहा। सरकार ने 2014-15 के दौरान निवेश पर अर्जित ₹ 11.90 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 653.50 करोड़ का योगदान निधि में दिया। आगे, यह देखा गया था कि निधियां, दो से सात प्रतिशत के बीच श्रृंखलित प्रीमियम पर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की गई थी परिणामतः ₹ 35.37 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। 2014-15 के दौरान गारंटियों तथा लैटर्स ऑफ कम्फर्ट सहित कुल देयताएं ₹ 1,21,439 करोड़ (₹ 88,446 करोड़ + ₹ 30,389 करोड़ + ₹ 2,604 करोड़) रही जोकि सर.घ.उ. का 27.90 प्रतिशत थी।

1.10 ऋण प्रबंध

तालिका 1.28 गत पांच वर्ष के राज्य सरकार के आंतरिक उधार प्रोफाइल का टाइम सीरिज विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.28: राज्य सरकार का आंतरिक ऋण प्रोफाइल तथा प्रति व्यक्ति उधार
(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	ऋण प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	गत वर्ष पर वृद्धि की प्रतिशतता	प्रति व्यक्ति ऋण ₹ में
2010-11	26,798.03	10,204.94	4,517.00	32,485.97	5,687.94	21.23	12,790
2011-12	32,485.97	11,643.38	4,786.52	39,342.83	6,856.86	21.11	15,489
2012-13	39,342.83	15,509.16	6,171.45	48,680.54	9,337.71	23.73	19,166
2013-14	48,680.54	17,371.48	7,908.87	58,143.15	9,462.61	19.44	22,891
2014-15	58,143.15	18,727.99	8,073.67	68,797.47	10,654.32	18.32	27,086

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य सरकार का आंतरिक उधार 2010-11 में ₹ 26,798 करोड़ से ₹ 41,999 करोड़ (157 प्रतिशत) बढ़कर 2014-15 में ₹ 68,797 करोड़ हो गया। 2014-015 के दौरान आंतरिक उधार पर ₹ 5,887 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था।

ऋण पोषण क्षमता

सरकार के ऋण की प्रमात्रा के अतिरिक्त, राज्य की ऋण पोषण क्षमता को निश्चित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना आवश्यक है। यह सैक्शन ऋण स्थिरीकरण; गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता; उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता; ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात द्वारा माप की गई) और सरकार की प्रतिभूतियों की मैच्योरिटी प्रोफाइल के संबंध में सरकार की ऋण पोषण क्षमता निर्धारित करता है। तालिका 1.29 2010-11 से आरंभ पांच वर्ष की अवधि के लिये इन सूचकों के अनुसार राज्य के ऋण पोषण क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.29: ऋण पोषण क्षमता: सूचक एवं प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरीकरण के सूचक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा फेलाव + प्राथमिक घाटा)	(-) 17	259	(-)2,869	(-)344	(-) 3,675
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (रिसोर्स गैप)	2,831	105	(-)3,209	2,048	(-) 4,272
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	3,564	4,642	6,138	6,045	5,254
ब्याज भुगतानों का भार (आई.पी./आर.आर. अनुपात)	13	13	14	15	17
राज्य ऋण का मेच्योरिटी प्रोफाइल (वर्षों में)					
0-1	3,275.07 (9)	4,970.85 (12)	6,224.90 (12)	4,948.92 (8)	3,189.78 (4)
1-3	4,314.32 (12)	4,585.10 (11)	4,731.52 (9)	3,904.94 (6)	4,233.24 (6)
3-5	4,431.02 (13)	3,645.32 (9)	2,450.62 (5)	5,308.41 (9)	9,901.34 (14)
5-7	2,115.30 (6)	4,714.03 (11)	8,825.02 (18)	10,725.71 (18)	12,903.60 (18)
7 वर्ष एवं अधिक	20,538.33 (60)	23,480.82 (57)	28,423.90 (56)	35,405.98 (59)	40,975.44 (58)

(कोष्ठकों में आंकड़े राज्य के कुल ऋण से प्रतिशतता को सूचित करते हैं)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा फैलाव आगे 2013-14 में (-) ₹ 344 करोड़ से घटकर 2014-15 में (-) ₹ 3,675 करोड़ हो गया। परिणामस्वरूप ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ गया जो यदि सुधारात्मक उपाय न किए जाएं तो मध्यम से दीर्घ अवधि में राज्य की ऋण पोषण क्षमता को प्रभावित करता है।

वर्ष 2014-15 के दौरान संसाधन अंतराल निगेटिव रहा तथा प्राथमिक व्यय यह इंगित करते हुए उधार ली गई निधियों से अंशतः वहन किया गया था कि राज्य को अपनी ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने संसाधन संघटन प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है।

उधार ली गई निधियों से उपलब्ध निवल निधियों की स्थिति 2013-14 में ₹ 6,045 करोड़ से घटकर 2014-15 में ₹ 5,254 करोड़ हो गई। 2014-15 के दौरान राज्य सरकार ने 2013-14 में ₹ 11,446 करोड़ की तुलना में 8.04 से 9.07 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित ब्याज दरों पर ₹ 13,200 करोड़ के बाजार ऋण उठाए।


राज्य ऋण की मैच्योरिटी प्रोफाइल, जैसा कि तालिका 1.29 में दी गई है, इंगित करती है कि सरकार को अपने ऋणों का एक से तीन वर्षों के मध्य छः प्रतिशत, तीन से पांच वर्षों के मध्य 14 प्रतिशत, पांच से सात वर्षों के मध्य 18 प्रतिशत और सात वर्षों के बाद 58 प्रतिशत ऋण का पुनर्भुगतान करना होगा जिसके लिए सरकार को आने वाले वर्षों में ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए निधियां सृजित करने के लिए अपनी ऋण पोषण क्षमता बढ़ानी होगी।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान सरकार के वित्तों में समग्र राजकोषीय असंतुलनों की सीमा को तीन राजकोषीय मानक अर्थात् राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटा इंगित करते हैं। यह सैक्शन, इन घाटों की प्रवृत्ति, स्वरूप, मात्रा और इन घाटों के वित्त पोषण की पद्धति को तथा वित्त वर्ष 2014-15 के लिये रा.उ.ब.प्र. अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों का निर्धारण भी प्रस्तुत करता है।

1.11.1 घाटों की प्रवृत्तियां

चार्ट 1.11 2010-15 की अवधि में घाटा संकेतकों में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राजस्व घाटा, जो राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य इंगित करता है रा.उ.ब.प्र. के अनुसार 2011-12 तक शून्य तक नीचे लाया जाना था और 2014-15 तक शून्य पर स्थिर रखा जाना था। राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा जो 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 3,875 करोड़, ₹ 8,314 करोड़ और ₹ 2,464 करोड़ था, 2014-15 में क्रमशः ₹ 8,319 करोड़, ₹ 12,586 करोड़ और ₹ 5,658 करोड़ तक बढ़ गया। वर्ष 2014-15 के लिए नियत किया गया शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका तथा राजकोषीय घाटा एफ.आर.बी.एम. तथा म.अ.वि.नी.वि. में नियत किए गए क्रमशः तीन तथा 2.54 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध सर.घ.उ. का 2.89 प्रतिशत था (परिशिष्ट 1.6)।

1.11.2 राजकोषीय घाटा और इसकी वित्त पोषण पद्धति का संघटन

तालिका 1.30 में दर्शाए गए अनुसार राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में संघटनीय बदलाव आया है। 2014-15 के दौरान राजकोषीय घाटा वित्त प्रबंध के घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण तालिका 1.31 में दिए गए हैं।

तालिका 1.30: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजकोषीय घाटे के घटक	(-) 7,258	(-) 7,153	(-) 10,362	(-) 8,314	(-) 12,586
1 राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 2,746	(-) 1,457	(-) 4,438	(-) 3,875	(-) 8,319
2 निवल पूंजीगत व्यय	(-) 4,023	(-) 5,363	(-) 5,751	(-) 3,925	(-) 3,697
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 489	(-) 333	(-) 173	(-) 514	(-) 570
राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति					
1 मार्केट उधार	4,157.63	5,994.89	8,574.38	10,621.36	12,372.99
2 भा.स. से ऋण	183.71	(-) 127.17	(-) 75.54	173.08	(-) 22.98
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	934.31	(-) 329.47	(-) 91.55	28.07	707.45
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	595.99	1,191.44	854.88	(-) 1,186.82	(-) 2,426.12
5 लघु बचत भविष्य निधि इत्यादि	747.80	718.53	457.96	720.99	1,041.05
6 रिजर्व निधि	8.93	(-) 16.65	(-) 39.09	2.29	38.97
7 जमा एवं अग्रिम	316.66	826.54	597.05	1,086.43	471.42
8 उचित एवं विविध	(-) 635.88	406.73	370.77	(-) 3948.95	1,145.54
9 प्रेषण	305.08	214.88	(-) 72.60	(-) 0.25	(-) 13.89
10 ओवर आल सरप्लस (+) घाटा (-)	6,614.23	8,879.72	10,576.26	7,496.20	13,314.43
11 रोकड़ शेष में अधिक (-) कमी (+)*	(+) 644.20	(-) 1,726.40	(-) 214.43	(+) 817.28	(-) 728.38
12 सकल राजकोषीय घाटा	7,258	7,153	10,362	8,314	12,586.05

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

* 8999 - रोकड़ शेष (रिजर्व बैंक के पास जमा एवं कोषालय में प्रेषण)।

तालिका 1.31: वित्तीय घाटे को पोषित करने वाले घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1 बाजार उधार	13,200.00	827.01	12,372.99
2 भा.स. से ऋण	130.76	153.74	(-) 22.98
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,251.31	543.86	707.45
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	4,276.68	6,702.80	(-) 2,426.12
5 लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	2,747.69	1,706.64	1,041.05
6 जमा और अग्रिम	17,091.82	16,620.40	471.42
7 रिजर्व निधियां	1,475.15	1,436.18	38.97
8 उचित एवं विविध	50,502.13	49,356.59	1,145.54
9 प्रेषण	6,514.21	6,528.10	(-) 13.89
10 समय आधिक्य (-) घाटा (+)			13,314.43
11 नकद शेष में वृद्धि (-) कमी (+)			(-) 728.38
12 कुल राजकोषीय घाटा			12,586.05

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

2013-14 में बाजार उधारों का योगदान ₹ 12,373 करोड़ था जो कि पिछले वर्ष के ₹ 10,621 करोड़ से ₹ 1,752 करोड़ अधिक था। घाटे को पोषित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य मुख्य उपाय, राज्य भविष्य निधि में वृद्धि (₹ 1,041 करोड़) और जमाओं में वृद्धि (₹ 471 करोड़) थी।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक राजस्व घाटे में प्राथमिक घाटे के घटक एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) राज्य के वित्तों में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करते हैं। प्राथमिक घाटे के द्विभाजन (तालिका 1.3.2) से यह पता चलता है कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि, जोकि राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए वांछनीय है, के कारण घाटे में कितना योगदान है।

तालिका 1.3.2: प्राथमिक घाटा/आधिक्य-फैक्टरज का द्विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2010-11	25,805	24,991	4,031	722	29,744	814	(-)3,939
2011-12	30,861	28,014	5,372	627	34,013	2,847	(-) 3,152
2012-13	33,994	33,328	5,762	522	39,612	666	(-)5,618
2013-14	38,284	36,037	3,935	776	40,748	2,247	(-) 2464
2014-15	41,091	42,190	3,716	843	46,749	(-) 1,099	(-) 5,658

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

पिछले वर्षों का प्राथमिक राजस्व आधिक्य 2014-15 के दौरान प्राथमिक राजस्व घाटे में बदल गया क्योंकि प्राथमिक राजस्व व्यय गैर-ऋण प्राप्ति से उच्चतर दरों पर बढ़ गया। यह दर्शाता है कि गैर-ऋण प्राप्ति, प्राथमिक राजस्व व्यय को वहन करने में भी कम पड़ गई तथा प्राथमिक घाटा इंगित करता है कि उधार ली गई निधियां, प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग की गई थी।

1.12 निष्कर्ष

2014-15 के दौरान राजस्व प्राप्ति का मुख्यतः कर राजस्व ₹ 2,067.97 करोड़ (8.09 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष से ₹ 2,786.58 करोड़ (7.33 प्रतिशत) तक बढ़ गई। 2014-15 के लिए कर-राजस्व ते.वि.आ. द्वारा नियत लक्ष्यों के 9.41 प्रतिशत तक कम तथा कर-भिन्न राजस्व 75.50 प्रतिशत तक कम पड़ गया। हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत एकत्रित ₹ 1,520.54 करोड़ की राजस्व प्राप्ति 2011-14 के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गई थी।

वर्ष के दौरान कुल व्यय में से 91.51 प्रतिशत राजस्व व्यय था। इसका गै.यो.रा.व्य. घटक, ₹ 36,358 करोड़ था, जो ते.वि.आ. (₹ 24,103 करोड़) के प्रक्षेपण से 51 प्रतिशत अधिक था जिसमें से 81 प्रतिशत व्यय चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरियां, पेंशन देयताएं, ब्याज भुगतान और सबसीडियों पर किया गया। इसके अतिरिक्त, कुल सबसीडियों (₹ 5,693 करोड़) का 92 प्रतिशत (₹ 5,238 करोड़) ऊर्जा क्षेत्र के लिए दिया गया। सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत रिटर्न पिछले पांच वर्षों में 0.02 से 0.10 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि सरकार ने अपने उधारों पर 9.22 से 9.86 प्रतिशत तक का औसत ब्याज भुगतान किया।

राजस्व घाटा जो 2011-12 के दौरान शून्य तक लाया जाना तथा 2014-15 तक शून्य बनाए रखना अपेक्षित था, 2013-14 में ₹ 3,875 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 8,319 करोड़ हो गया। अन्य राजकोषीय मानकों अर्थात् राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटों में प्रवृत्तियां 2013-14 में क्रमशः ₹ 8,314 करोड़ और ₹ 2,464 करोड़ रही, 2014-15 में क्रमशः ₹ 12,586 करोड़ और ₹ 5,658 करोड़ तक बढ़ गईं।

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 31 मार्च 2015 को ₹ 88,446 करोड़ थी। राजकोषीय देयताएं सरा.घ.उ. का 20.32 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 2.17 गुणा थी।

सरकार के आंतरिक ऋण 2013-14 में ₹ 58,143 करोड़ से बढ़कर 2014-15 के दौरान ₹ 68,797 करोड़ हो गए। 2014-15 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 5,887 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था। 2014-15 के दौरान रिसोर्स गैप निगेटिव रहा तथा प्राथमिक व्यय, उधार ली गई निधियों से आंशिक रूप से वहन किया गया था।

1.13 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- (i) ते.वि.आ. की सिफारिशों के अनुसार राजस्व घाटा शून्य तक लाने तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त उपाय आरंभ करना।
- (ii) राज्य की समेकित निधि में सभी राजस्व प्राप्तियों को जमा करना तथा राज्य विधान सभा की स्वीकृति के बाद व्यय करना।
- (iii) राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जो भारी हानियां उठा रहे हैं, के कार्यचालन की समीक्षा करना, अनुकूल योजना बनाना तथा उनके पुनरूद्धार के लिए इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।



अध्याय-2

वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण

अध्याय-2

वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोजन लेखे, विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न सूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोजनों की राशि के साथ तुलना किए गए प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के प्रभारित और दत्तमत खर्च के लेखे हैं। ये लेखे मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोजनों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करते हैं और बजट की दोनों प्रभारित और दत्तमत मदों के संबंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय इंगित करते हैं। विनियोजन लेखे, इस प्रकार, वित्तों का प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की मॉनीटरिंग को सरल बनाते हैं और इसलिए, वित्त लेखाओं के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियमों के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के भीतर है तथा सविधान के प्रावधानों के अंतर्गत, जहां आवश्यक हो, व्यय को इस प्रकार प्रभारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा में अवलोकित बजट एवं व्यय के प्रबंधन में कमियां तथा बजट मैनुअल का उल्लंघन अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित किया गया है।

2.2 विनियोजन लेखाओं का संक्षेप

46 अनुदानों/विनियोजनों के विरूद्ध 2014-15 के दौरान वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है:

तालिका 2.1: मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	45,405.74	2,872.54	48,278.28	41,708.36	(-)6,569.92
	II पूंजीगत	14,451.65	510.70	14,962.35	1,0342.36	(-)4,619.99
	III ऋण एवं अग्रिम	1,001.40	0.00	1,001.40	842.87	(-)158.53
	कुल दत्तमत	60,858.79	3,383.24	64,242.03	52,893.59	(-)11,348.44
भारित	IV राजस्व	7,708.20	966.92	8,675.12	7,700.00	(-)975.12
	V पूंजीगत	65.00	0.00	65.00	66.58	(+)1.58
	VI लोक ऋण पुनर्भुगतान	13,849.85	0.00	13,849.85	8,227.41	(-)5,622.44
	कुल भारत	21,623.05	966.92	22,589.97	15,993.99	(-)6,595.98
	आकस्मिक निधि से विनियोजन	--	--	--	--	--
	कुल योग	82,481.84	4,350.16	86,832.00	68,887.58	(-)17,944.42

नोट: ऊपर दर्शाए गए व्यय, राजस्व शीर्षों (₹ 290.48 करोड़) और पूंजीगत शीर्षों (₹ 6,693.42 करोड़) के अंतर्गत व्यय की कटौती के रूप में लेखाओं में समायोजित वसूलियां परिगणना में लिए बिना, सकल आंकड़े हैं।

₹ 4,350.16 करोड़ के अनुपूरक प्रावधानों द्वारा मूल प्रावधान का पांच प्रतिशत संघटित किया गया जोकि गत वर्ष में चार प्रतिशत था।

₹ 17,944.42 करोड़ की समग्र बचतें, राजस्व खंड के अंतर्गत 44 अनुदानों, पूंजीगत खंड के अंतर्गत 22 अनुदानों और ऋण खंड के अंतर्गत एक विनियोजन (लोक ऋण पुनः अदायगियां) में ₹ 18,350.77 करोड़ की बचतों तथा अनुदान संख्या 24-सिंचाई के पूंजीगत खंड के अंतर्गत मुख्यतः ₹ 406.35 करोड़ के आधिक्य के कारण थी। ₹ 406.35 करोड़ के आधिक्य का सविधान की धारा 205 के अंतर्गत विनियमन अपेक्षित है।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन

2.3.1 आबंटनों की तुलना में विनियोजन

विनियोजन लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि 24 प्रकरणों में बचतें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक थी (परिशिष्ट 2.1)। ₹ 76,519 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध, वास्तविक व्यय ₹ 59,169.39 करोड़ था तथा बचतें ₹ 17,349.61 करोड़ थी। आठ अनुदानों शीर्षक-9-शिक्षा (राजस्व-दत्तमत), 13-स्वास्थ्य (राजस्व-दत्तमत), 15-स्थानीय शासन (राजस्व-दत्तमत), 24-सिंचाई (राजस्व-दत्तमत), 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (राजस्व-दत्तमत), 6-वित्त (राजस्व-भारित), 23-खाद्य एवं आपूर्ति (पूंजीगत-दत्तमत) तथा लोक ऋण, में बचतें ₹ 500 करोड़ से अधिक थी। महत्वपूर्ण बचतों हेतु कारण राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किए गए थे।

2.3.2 निरंतर बचतें

पिछले पांच वर्षों के दौरान सात अनुदानों तथा एक विनियोजन ने ₹ 10 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें दर्शाई तथा जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थी (तालिका 2.2)।

तालिका 2.2: निरन्तर बचतें दर्शाने वाले अनुदान

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व (दत्तमत)						
1.	09-शिक्षा	10 (610.53)	13 (882.37)	19 (1,591.65)	21 (1,818.31)	14 (1,369.49)
2.	13-स्वास्थ्य	19 (249.65)	16 (222.05)	14 (253.27)	14 (279.74)	21 (576.18)
3.	15-स्थानीय शासन	69 (654.40)	39 (587.83)	22 (379.76)	27 (589.57)	28 (584.00)
4.	24-सिंचाई	27 (311.48)	30 (409.81)	27 (375.55)	25 (382.54)	31 (512.00)
पूँजीगत (दत्तमत)						
5.	8-भवन एवं सड़कें	19 (260.48)	22 (351.37)	12 (226.50)	14 (346.60)	20 (449.61)
6.	38-जन-स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	30 (303.54)	20 (201.05)	28 (324.40)	11 (137.28)	13 (146.74)
7.	45- राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	55 (880.53)	46 (532.72)	41 (366.19)	29 (313.67)	16 (158.54)
पूँजीगत (भारित)						
8.	लोक ऋण	41 (3,226.08)	37 (2,944.26)	40 (4,250.68)	38 (5,027.64)	41 (5,622.44)

* कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

अनुदान संख्या 9-शिक्षा के अंतर्गत बचतें मुख्यतः शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्राथमिक शिक्षा, 101-सरकारी प्राईमरी स्कूल, 95-कक्षा 6 से 8 (पूर्ण कालिक) सुविधाओं का विस्तार (₹ 108.94 करोड़) में हुई, अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य के अंतर्गत बचतें मुख्यतः शीर्ष 2210-चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य, 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, 103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 84-एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत राज्य के हिस्से के रूप में सहायता अनुदान (₹ 75.17 करोड़) में हुई, अनुदान संख्या 15-स्थानीय शासन के अंतर्गत बचतें मुख्यतः शीर्ष 2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्ड इत्यादि को सहायता, 96-नगर निगमों को स्टाम्प शुल्क की प्राप्तियों से स्थानीय निकायों को अंशदान (₹ 100.37 करोड़) में हुई, अनुदान संख्या 24-सिंचाई के अंतर्गत बचतें मुख्यतः शीर्ष 2700-बृहद सिंचाई, 02-पश्चिमी जमुना कैनल परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता, 89-विशेष राजस्व, 92-अधीक्षण अभियंता (₹ 331.38 करोड़) में हुई। पूँजीगत दत्तमत में अनुदान संख्या 8-भवन एवं सड़कें के अंतर्गत बचतें मुख्यतः शीर्ष 5054-सड़क एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय, 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना, 98-पी.एम.जी.एस.वाई. स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में ग्रामीण सड़कें (₹ 61.81 करोड़) में हुई, अनुदान संख्या 38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति के अंतर्गत बचतें मुख्यतः शीर्ष 4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय, 01-जलापूर्ति, 101-शहरी जलापूर्ति, 99-शहरी जलापूर्ति, 97-टी.एफ.सी. (शिवालिक तथा दक्षिणी हरियाणा) (₹ 61.24 करोड़) में हुई, अनुदान संख्या 45-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत

बचतें मुख्यतः शीर्ष 6801-विद्युत परियोजना के लिए ऋण, 205-संचारण एवं वितरण, 98-हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को ऋण (₹ 213.91 करोड़) में हुई तथा पूंजीगत (भारित) लोक ऋण के अंतर्गत बचतें मुख्यतः शीर्ष 6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण, 107-स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा अन्य बैंकों से ऋण (₹ 3,504.55 करोड़) में हुई। इन शीर्षों के अंतर्गत निरंतर बचतों के कारण सूचित नहीं किए गए थे।

2.3.3 अधिक व्यय

अनुदान संख्या "24-सिंचाई" (तालिका 2.3) में ₹ 10 करोड़ से ज्यादा का अधिक व्यय पिछले पांच सालों से लगातार देखा गया था:

तालिका 2.3: 2010-15 के दौरान निरन्तर अधिक व्यय दर्शाने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	अधिक व्यय की राशि				
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
पूंजीगत - दत्तमत						
1.	24 - सिंचाई	39 (198.58)	45 (254.64)	53 (275.23)	33 (213.26)	79 (402.89)

* कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से आधिक्य की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

आधिक्य मुख्यतः शीर्ष "4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनल का सुधार, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी इंजीनियर, 89-विशेष राजस्व, 92-सुपरिटेडिंग इंजीनियर, 93-चीफ इंजीनियर, 88-पेंशनरी प्रभारों" (₹ 148.89 करोड़) के अंतर्गत हुए।

2.3.4 प्रावधान के बिना व्यय

बजट मैनुअल के अनुसार, निधियों के प्रावधान के बिना, कोई व्यय स्कीम/सेवा पर नहीं किया जा सकता। फिर भी, यह देखा गया कि परिशिष्ट 2.2 में दिए गए ब्यौरे अनुसार 50 मामलों में मूल अनुदानों/पूरक मांगों में किसी प्रावधान के बगैर तथा इस संबंध में किसी पुनर्विनियोजन आदेशों के बिना ₹ 838.08 करोड़ का व्यय किया गया।

2.3.5 प्रावधानों पर आधिक्य जिसे विनियमन की जरूरत है

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकारों के लिए जरूरी है कि राज्य विधायिका द्वारा अनुदानों/विनियोजनों पर आधिक्य विनियमित करवाये जाएं। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं की चर्चा के पूरा होने के बाद अधिक व्यय विनियमित किया जाता है। फिर भी, 2011-12 से 2013-14 की अवधि हेतु ₹ 1,021.22 करोड़ की राशि का अधिक व्यय पी.ए.सी. द्वारा चर्चित नहीं किया गया था तथा 2014-15 के दौरान ₹ 406.35 करोड़ भी अभी विनियमित किए जाने शेष थे।

2.3.6 अनावश्यक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान

28 मामलों में प्राप्त कुल ₹ 2,660.04 करोड़ के पूरक प्रावधान, वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में आवेष्टित ₹ 50 लाख या इससे अधिक अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं आया जैसा कि परिशिष्ट 2.3 में वर्णित है।

2.3.7 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक यूनिट, जहां बचतें पूर्वानुमानित हैं, से अन्य यूनिट जहां अतिरिक्त निधियों की जरूरत होती है, एक अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है। पुनर्विनियोजन अत्यधिक अभ्यर्पणों या अपर्याप्त वृद्धि के कारण अनुचित सिद्ध हुए और परिणामस्वरूप 27 उप-शीर्षों में ₹ 499.40 करोड़ से अधिक के आधिक्य और प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक तक 39 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,307.71 करोड़ से अधिक की बचतें हुईं जैसाकि परिशिष्ट 2.4 में वर्णित हैं। 27-उप शीर्षों के अंतर्गत आधिक्य/बचतें ₹ 10 करोड़ से ज्यादा थीं। 14¹ मामलों में, पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधानों में कटौती अविवेकपूर्ण सिद्ध हुईं क्योंकि वास्तविक व्यय पुनर्विनियोजन द्वारा कम किए गए प्रावधानों से ज्यादा था। इसी तरह, आठ² मामलों में निधियों का पुनर्विनियोजन ज्यादा सिद्ध हुआ क्योंकि बचतें पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान की गई निधियों से ज्यादा थीं।

2.3.8 निधियां न सौंपना तथा अधिक सौंपना

वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर, 47 मामलों में प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियां सौंपी गईं। इन मामलों में, कुल प्रावधान ₹ 85,696.81 करोड़ था तथा वास्तविक व्यय ₹ 67,919.09 करोड़ था परिणामतः ₹ 17,777.72 करोड़ की बचतों तथा ₹ 402.89 करोड़ के आधिक्य के कारण ₹ 17,374.83 करोड़ की निवल बचतें हुईं, जिसमें से ₹ 17,083.97 करोड़ सौंपे गए (परिशिष्ट 2.5) जो अपर्याप्त बजटीय तथा वित्तीय नियंत्रण दर्शाता है।

आगे विश्लेषण ने प्रकट किया कि 18 मामलों में ₹ 4,507.64 करोड़ की बचतों के विरुद्ध केवल ₹ 1,374.37 करोड़ की बचतें नहीं सौंपी गईं जो पंजाब बजट मैनुअल (हरियाणा को भी लागू) के पैराग्राफ 13.2 के प्रावधानों के विरुद्ध था। बीस मामलों में ₹ 9,719.93 करोड़ की बचतों के विरुद्ध ₹ 9,963.77 करोड़ सौंपे गए थे तथा 24-सिंचाई (पूजीगत दत्तमत) में यद्यपि वास्तविक व्यय ₹ 402.89 करोड़ तक अधिक थे, परंतु फिर भी ₹ 33.91 करोड़ की निधियां अनुचित रूप से सौंपी गईं। केवल आठ मामलों में ₹ 3,953.03 करोड़ की सभी बचतें सौंपी गईं थीं। अभ्यर्पण न करने तथा अधिक अभ्यर्पण हेतु कारण राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किए गए थे।

¹ परिशिष्ट 2.4 की क्र.सं. 7, 8, 9, 10, 11, 16, 43, 45, 46, 48, 49, 54, 57 तथा 64.

² परिशिष्ट 2.4 की क्र.सं. 2, 5, 18, 33, 44, 50, 52 तथा 65.

2.3.9 व्यय का वेग

सामान्य वित्तीय नियमों का नियम 56 प्रावधान करता है कि व्यय के वेग को विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में वित्तीय औचित्य का उल्लंघन समझा जाता है और इससे बचना चाहिए। इसके विपरीत **परिशिष्ट 2.6** में सूचीबद्ध 11 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 11 शीर्षों के संबंध में ₹ 10 करोड़ से अधिक स्वर्च और भी वर्ष के लिए कुल स्वर्च का 50 प्रतिशत से ज्यादा वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान या मार्च 2015 में किया गया।

आगे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2014-15 के दौरान 11 अनुदानों के अंतर्गत 11 मुख्य शीर्षों पर किए गए ₹ 1,817.89 करोड़ के व्यय में से, ₹ 1,011.04 करोड़ (56 प्रतिशत) का स्वर्च मार्च 2015 के महीने के दौरान किया गया। अंतिम तिमाही के दौरान विशेषतः मार्च महीने के दौरान व्यय के वेग ने वित्तीय नियमों की अननुपालना दर्शाई।

2.4 ट्रेजरीज के कार्यचालन में देखी गई कमियां

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) {म.ले. (ले. व हक.)} द्वारा 2014-15 के लिए संकलन एवं निरीक्षण के दौरान ट्रेजरीज के कार्यचालन में देखी गई कमियां नीचे दी गई हैं:

2.4.1 भुगतानों के समर्थन में वाउचरों का अप्रस्तुतीकरण

पंजाब वित्तीय नियम खंड-1 का नियम 3.17 प्रावधान करता है कि ट्रेजरी आफिसरज को सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखा कार्यालय को भेजे जाने हेतु अपेक्षित सभी वाउचर संबंधित मासिक सिविल लेखाओं के साथ अटैच किए जाते हैं। **परिशिष्ट 2.7** के अनुसार ₹ 40.34 करोड़ के 3,416 वाउचर मिसिंग पाए गए। म.ले. (ले. व हक.) कार्यालय द्वारा निदेशक खजाना एवं लेखा हरियाणा, चंडीगढ़ के साथ नियमित पत्राचार तथा संबंधित तिमाहियों में निरंतर दौरों के माध्यम से किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद विभिन्न खजाना अधिकारियों से वाउचर अभी भी प्रतीक्षित थे।

2.4.2 ट्रेजरीज द्वारा मासिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब

वर्ष के दौरान, 87 मामलों में विभिन्न ट्रेजरीज से लेखे (44 मामलों में भुगतान की पहली सूची तथा 43 मामलों में भुगतान की दूसरी सूची) चार से 19 दिनों तक की देरी से प्राप्त हुए थे। अतः मात्र 84 प्रतिशत लेखे विभिन्न ट्रेजरीज से समय पर प्राप्त हुए थे। मामला प्रत्येक माह सरकार के ध्यान में लाया गया था किंतु विलंब होना जारी रहा। प्रारंभिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब के कारण महालेखाकार (ले. व हक.) द्वारा मासिक सिविल लेखाओं के संकलन में परिणामी विलंब हुआ। इस कार्यालय को आरंभिक लेखे का समय पर प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करने के लिए ट्रेजरी आफिसरज को निदेश दिए जाने की आवश्यकता है।

2.4.3 प्लस एंड माइनस मैमोरेण्डम प्रस्तुत न करना

पंजाब वित्तीय नियम खंड-1 के नियम 13.5 के अनुसार सभी डिपोजिट लेन-देनों के प्लस एंड माइनस मैमोरेण्डम तैयार किए जाने चाहिए तथा कोषालय के लिए लेखांकन नियम, 1992 के नियम 91 तथा 92 में निर्धारित किए गए अनुसार महालेखाकार को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

परंतु प्लस एंड माइनस मैमोरेण्डम स्वजाना अधिकारियों द्वारा मासिक लेखाओं के साथ नियमित रूप से तथा समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाते। वर्ष 2014-15 के लिए कई प्लस एंड माइनस मैमोरेण्डम नौ स्वजाना अधिकारियों से अभी भी प्रतीक्षित हैं, इस प्रकार, परिणामतः ब्राड शीट्स में बकाया शेष हैं। इस संबंध में ट्रेजरी आफिसर्स को सरव्ती से अनुदेश दिए जाने की आवश्यकता है।

2.4.4 नॉन ऑपेशनल पर्सनल लेजर अकाउंट्स

पंजाब वित्तीय नियम खंड-I के नियम 12.7 के अनुसार समेकित निधि को डेबिट द्वारा क्रेडिट किए गए पी.एल.एज. को, समेकित निधि में संबद्ध सेवा शीर्षों को शेष के माइनस डेबिट द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत पर बंद किया जाना चाहिए। नए पी.एल.एज., यदि आवश्यक हो, सामान्य ढंग से अगले वर्ष दोबारा खोले जाने चाहिए। इस संबंध में सभी ट्रेजरी आफिसर को सरव्त् अनुदेश जारी किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर ₹ 232.37 करोड़ के शेष के साथ 157 पी.एल.एज. थे, जिनमें से ₹ 5.30 करोड़ से आवेष्टित 76 लेखे तीन वर्षों से अधिक समय से परिचालन में नहीं थे तथा बंद नहीं किए गए हैं, इससे निर्धारित प्रक्रिया में विचलन हुआ।

2.4.5 पेंशन/फेमिली पेंशन/मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान/कम्यूटेशन के सवितरण के कारण अधिक भुगतान के विवरण

स्वजाना राज्य के वित्तीय प्रशासन का आधारभूत इकाई है। रोकड़ प्रबंधन में रोकड़ की हैंडलिंग तथा धारण में निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं का सरव्त् अनुपालन अपेक्षित है। वर्ष 2014-15 के लिए उप-स्वजानों सहित जिला-स्वजानों के निरीक्षण ने राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों/आदेशों की अनुपालना न करने/गलत विवेचना, पेंशन के हिस्से की कम्यूटिड वैल्यू की कटौती न करने, फेमिली पेंशन तथा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के अधिक भुगतान के कारण पेंशनरों/फेमिली पेंशनरों को स्वजाना अधिकारियों/उप-स्वजाना अधिकारियों द्वारा ₹ 1.52 करोड़ के पेंशनरी लाभों का अधिक भुगतान प्रकट किया।

2.5 बजटीय अनुमानों के विश्लेषण का परिणाम

2.5.1 अवास्तविक बजट अनुमान

वर्ष 2014-15 के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया ₹ 59,451.23 करोड़ का मूल बजट ₹ 61,449.82 करोड़ तक संशोधित किया गया था, इसके विरुद्ध 2014-15 के दौरान केवल ₹ 53,676.27 करोड़ का वास्तविक व्यय किया गया था जो मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं था। इसी प्रकार के मामले वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी पाए गए थे (तालिका 2.4)।

³ अंबाला, भिवानी, फतेहाबाद, गुड़गांव, झज्जर, जींद, कैथल, नारनौल तथा रेवाड़ी।

तालिका 2.4: 2010-11 से 2014-15 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय के विवरण

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
मूल बजट	33,600.84	40,276.28	45,318.93	53,073.59	59,451.23
संशोधित अनुमान	36,571.70	41,487.77	46,413.29	53,548.30	61,449.82
वास्तविक व्यय	33,063.16	38,014.30	44,355.56	46,597.31	53,676.27
बचत/आधिव्यय	3,508.54	3,473.47	2,057.73	6,950.99	7,773.55

(₹ करोड़ में)

(स्रोत: वित्त विभाग से प्राप्त आंकड़े)

आगे, न केवल वार्षिक योजना के प्रावधान को ₹ 22,251 करोड़ से ₹ 22,110 करोड़ तक घटाया गया था, बल्कि किया गया वास्तविक व्यय ₹ 17,597 करोड़ था जोकि वर्ष 2014-15 के दौरान प्रक्षेपित योजना लागत का केवल 79 प्रतिशत था, जबकि यह पिछले वर्ष में 75 प्रतिशत था, जो अवास्तविक प्रावधान इंगित करता है (तालिका 2.5)।

तालिका 2.5: वार्षिक योजना के प्रावधान के विवरण

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
मूल बजट	11,864	15,337	16,549	20,353	22,251
संशोधित अनुमान	12,772	15,254	16,336	19,471	22,110
वास्तविक व्यय	10,096	12,146	13,647	15,219	17,597
बचत/आधिव्यय	2,676	3,108	2,689	4,252	4,513

(₹ करोड़ में)

(स्रोत: वित्त विभाग)

इसी प्रकार, ₹ 48,058 करोड़ की अनुमानित प्राप्ति ₹ 45,821 करोड़ तक संशोधित की गई थी जिसके विरुद्ध केवल ₹ 41,090 करोड़ वास्तव में वसूल किए गए थे (तालिका 2.6)।

तालिका 2.6: प्राप्तियों के विवरण

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
मूल बजट	24,785	32,268	37,722	44,098	48,058
संशोधित अनुमान	27,822	33,806	38,281	42,033	45,821
वास्तविक व्यय	25,805	30,861	33,994	38,284	41,090
बचत/आधिव्यय	2,017	2,945	4,287	3,749	4,731

(₹ करोड़ में)

(स्रोत: वित्त विभाग)

2.5.2 संसाधनों का अवास्तविक पूर्वानुमान

पंजाब स्टेट बजट मैनुअल के नियम 4.2 के अनुसार संशोधित अनुमानों के पूर्वानुमान जहां तक संभव हों परिशुद्ध बनाए जाने चाहिए कि वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां क्या होंगी तथा इसलिए उन्हें तैयार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में वर्ष के उन महीनों की वास्तविक प्राप्तियां होंगी जो पहले ही बीत गए हों। यदि कोई अधिकारी देखता है कि राजस्व के विशेष स्रोत से वास्तविक प्राप्तियां पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में वृद्धि या कमी प्रकट करती हैं तो वह शेष महीनों के दौरान उसी दर पर वृद्धि या गिरावट की निरंतरता को मान सकता है। विभाग तथा जिला अनुमान दोनों को हमेशा उन अधिकारियों के सावधानीपूर्वक व्यक्तिगत ध्यान प्राप्त करने चाहिए जो उन्हें प्रस्तुत करते हैं। ये जहां तक संभव हों परिशुद्ध होने चाहिए। तथापि, यह देखा गया था कि कर-भिन्न राजस्व पूर्वानुमानों के लिए

2014-15 का संशोधित अनुमान ₹ 12,016.39 करोड़ था जबकि वास्तविक प्राप्ति ₹ 9,616.00 करोड़ थी परिणामतः ₹ 2,400.39 करोड़ की अधोमुखी भिन्नता हुई अर्थात् मूल पूर्वानुमान से 20 प्रतिशत नीचे। इसी प्रकार, वर्ष 2014-15 के लिए कर राजस्व ₹ 33,402.75 करोड़ पर प्रक्षेपित था जबकि वास्तविक प्राप्ति ₹ 31,182.66 करोड़ थी परिणामतः पूर्वानुमान से नीचे ₹ 2,220.09 करोड़ की भिन्नता हुई। गत पांच वर्षों के पूर्वानुमान तथा वास्तविक राजस्व नीचे तालिका 2.7 में दिए गए हैं।

तालिका 2.7: वास्तविक की तुलना में कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व के पूर्वानुमान
(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	संशोधित अनुमान	वास्तविक	अंतर
2010-11	कर राजस्व	19,653.46	19,092.12	561.34
	कर-भिन्न राजस्व	7,943.28	6,471.56	1,471.72
2011-12	कर राजस्व	23,780.57	23,081.01	699.56
	कर-भिन्न राजस्व	9,707.06	7,476.58	2,230.48
2012-13	कर राजस्व	27,460.10	26,621.13	838.97
	कर-भिन्न राजस्व	10,363.97	7,012.40	3,351.57
2013-14	कर राजस्व	30,234.52	28,909.84	1,324.68
	कर-भिन्न राजस्व	11,401.42	9,102.24	2,299.18
2014-15	कर राजस्व	33,402.75	31,182.66	2,220.09
	कर-भिन्न राजस्व	12,016.39	9,616.00	2,400.39

2.5.3 योजनागत अनुमानों में कमियां

2014-15 के दौरान योजनागत व्यय हेतु ₹ 22,110 करोड़ का आकलन किया गया था। ₹ 17,597 करोड़ का वास्तविक व्यय, जो उपर्युक्त राशि का 79.59 प्रतिशत तथा प्रक्षेपणों से कम था। भिन्नताएं, निम्न तथ्यों के कारण थी:

- 2014-15 के लिए अनुमोदित प्लान में शामिल की गई ₹ 219.54 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय वाली कुल 16 योजनाएं कार्यान्वित नहीं की गई थी तथा संशोधित अनुमानों में निकाल दी गई थी (परिशिष्ट 2.8)।
- 2014-15 के लिए अनुमोदित परिव्यय में 17 योजनाओं के अंतर्गत किया गया ₹ 456.87 करोड़ का प्रावधान संशोधित अनुमान में ₹ 77.92 करोड़ तक कम कर दिया गया था किंतु योजनाएं कार्यान्वित नहीं की गई थी (परिशिष्ट 2.9) जिसके लिए कारण नहीं दिए गए थे।
- अनुमोदित परिव्यय के साथ-साथ संशोधित परिव्यय में 17 योजनाओं के अंतर्गत ₹ 210.54 करोड़ का प्रावधान किया गया था किंतु वर्ष 2014-15 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था (परिशिष्ट 2.10)।
- 15 योजनाओं के अंतर्गत किया गया ₹ 420.59 करोड़ का प्रावधान ₹ 603.75 करोड़ तक बढ़ाया गया था जिसके विरुद्ध वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 179.42 करोड़ (43 प्रतिशत) का व्यय किया गया था। आगे, पूरक अनुदानों के माध्यम से निधियों में की गई वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि कुल व्यय मूल अनुमानों के 80 प्रतिशत से भी कम था (परिशिष्ट 2.11)।

v. 60 प्लान योजनाओं, जिनके निष्पादन के लिए 2014-15 के दौरान ₹ 2,671.10 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया था, संशोधित अनुमानों में ₹ 1,666.81 करोड़ तक कम कर दिया गया था। इन योजनाओं पर किया गया व्यय संशोधित परिव्यय के 80 प्रतिशत से भी कम था जैसा कि **परिशिष्ट 2.12** में विवरण दिया गया है।

vi. 16 योजनाएं, जिनके लिए ₹ 459.70 करोड़ का प्रावधान ₹ 339.59 करोड़ तक संशोधित किया गया था, किंतु ₹ 527.31 करोड़ का व्यय संशोधित प्रावधान का 155 प्रतिशत था जैसा कि **परिशिष्ट 2.13** में विवरण दिया गया है।

vii. 40 योजनाएं, जिनके लिए संशोधित अनुमानों के साथ-साथ अनुमोदित परिव्यय में ₹ 1,075.40 करोड़ का प्रावधान किया गया था किंतु ₹ 382.28 करोड़ (36 प्रतिशत) का व्यय किया गया था जोकि किए गए प्रावधान से बहुत कम था (**परिशिष्ट 2.14**)।

viii. तीन योजनाओं, जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान ₹ 12.70 करोड़ से ₹ 50.40 करोड़ तक बढ़ाया गया था तथा आठ नई योजनाओं, जिनके लिए ₹ 33.47 करोड़ का प्रावधान संशोधित अनुमानों में किया गया था, किंतु वर्ष 2014-15 के दौरान इन योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया था (**परिशिष्ट 2.15**)।

2.6 चयन किए गए अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

दो अनुदानों (अनुदान संख्या "14-शहरी विकास" तथा अनुदान संख्या "27-कृषि") के व्यय पर बजटीय प्रक्रिया तथा नियंत्रण की समीक्षा गत तीन वर्षों के दौरान भिन्नताओं तथा वर्ष 2014-15 के दौरान अनुदानों तथा पूरक मांगों के विस्तार के आधार पर की गई थी (जुलाई-अगस्त 2015)।

2.6.1 अनुदान संख्या 14 - शहरी विकास

2014-15 के लिए अनुदान संख्या 14-शहरी विकास की समीक्षा के दौरान अवलोकित महत्वपूर्ण बिंदु नीचे वर्णित हैं:

i. राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹ 136.08 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 103.44 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 32.64 करोड़ की बचतें हुईं जो बजट प्रावधान का 24 प्रतिशत थी। यह दर्शाता है कि बजट में अवास्तविक प्रावधान किया गया था।

ii. आठ स्कीमों पर ₹ 531.21 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 235.16 करोड़ (44.27 प्रतिशत) का व्यय 2014-15 की अंतिम तिमाही के दौरान इन स्कीमों पर किया गया था। उपर्युक्त आठ स्कीमों में से दो स्कीमों पर 100 प्रतिशत व्यय अंतिम तिमाही के दौरान किया गया था (**परिशिष्ट 2.16**)।

iii. चार उप-शीर्षों में, **परिशिष्ट 2.17** में दिए गए विवरणानुसार कुल प्रावधान के 5 तथा 86 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित सतत् बचतें थीं।

iv. जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए स्टीम्यूलस पैकेज शीर्ष 4217-60-51-97 के अंतर्गत ₹ 249.43 करोड़ (पुनर्विनियोजन के पश्चात्) के प्रावधान के विरुद्ध ₹ 254.18 करोड़ का व्यय 2014-15 के दौरान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.75 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

2.6.2 अनुदान संख्या 27-कृषि

वर्ष 2014-15 के दौरान अनुदानों तथा पूरक मांगों के आधार पर अनुदान संख्या 27 “कृषि” के लिए बजटीय प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण बिंदु निम्नानुसार हैं:

i. वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,276.14 करोड़ (मूल: ₹ 1,254.54 करोड़ तथा पूरक: ₹ 21.60 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 802.40 करोड़ का व्यय किया गया था परिणामतः ₹ 473.74 करोड़ की बचत हुई।

ii. वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व भारित के अंतर्गत ₹ 0.36 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध मात्र ₹ 0.03 करोड़ का व्यय किया गया था परिणामतः ₹ 0.33 करोड़ (बजट प्रावधान का 91.67 प्रतिशत) की बचत हुई।

iii. 36 स्कीमों पर 2014-15 के लिए ₹ 304.41 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 252.96 करोड़ (83 प्रतिशत) का व्यय वर्ष 2014-15 की अंतिम तिमाही के दौरान इन स्कीमों पर किया गया था। इन 36 स्कीमों में से 14 स्कीमों पर 100 प्रतिशत व्यय अंतिम तिमाही के दौरान किया गया था (परिशिष्ट 2.18)।

iv. ₹ 244.71 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 84.35 करोड़ की बचतें 15 स्कीमों (34.47 प्रतिशत) में दर्शाई गई थी (परिशिष्ट 2.19)।

v. कृषि यंत्रीकरण शीर्ष पर उप-मिशन के अंतर्गत ₹ 21.60 करोड़ के पूरक प्रावधान के विरुद्ध 100 प्रतिशत बचत दर्शाई गई थी। स्कीम के अंतर्गत अधिसूचना का अंतिमकरण न किए जाने के कारण यह राशि खर्च नहीं की जा सकी।

vi. सरकार की वार्षिक वित्तीय विवरणी विभिन्न विकास कार्यक्रमों/स्कीमों को चलाने के उद्देश्य से विभिन्न स्कीमों तथा कार्यक्रमों के लिए प्रावधान करती है। अनुदान संख्या 27 में यह देखा गया था कि 26 माइनर शीर्षों/स्कीमों में वित्तीय वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर ₹ 192.60 करोड़ का समग्र बजटीय प्रावधान अप्रयुक्त पड़ा रहा तथा ₹ 192.60 करोड़ की राशि का समग्र बजट प्रावधान मार्च 2015 के माह में पुनर्विनियोजन के माध्यम से आहरित किया गया था जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 2.20** में दिए गए हैं।

2.7 बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

वर्ष 2014-15 हेतु बजट अनुमान, प्रशासनिक विभाग तथा विभिन्न कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा 4 नवम्बर 2013 से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे। इसके विपरीत, दो अनुदानों (अनुदान संख्या 14 और अनुदान संख्या 27) की समीक्षा के दौरान यह देखा गया

कि विभागाध्यक्षों ने वित्त विभाग को अपने बजट अनुमान 38 तथा 107 दिनों के मध्य श्रृंखलित विलम्बों के पश्चात् क्रमशः 13 दिसंबर 2013 तथा 20 फरवरी 2014 को प्रस्तुत किए।

2.8 निष्कर्ष

2014-15 के दौरान, ₹ 86,832.00 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरुद्ध ₹ 68,887.58 करोड़ का व्यय किया गया था। ₹ 17,944.42 करोड़ की समग्र बचतें, विभिन्न अनुदानों में ₹ 18,350.77 करोड़ की बचत तथा एक अनुदान में ₹ 406.35 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा आफसेट विनियोजन के कारण थी जिसे 2011-12 से 2013-14 की अवधि से संबंधित अनुदानों में ₹ 1,021.22 करोड़ के अधिक व्यय के अतिरिक्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमित किए जाने की आवश्यकता थी।

47 मामलों (प्रत्येक मामलों में ₹ 10 करोड़ से अधिक का सरेंडर) में ₹ 17,083.97 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंत में सरेंडर किए गए थे। आठ मामलों में ₹ 3,353.13 करोड़ सरेंडर किए गए जिसमें वास्तविक बचतों से ₹ 241.02 करोड़ का अधिक सरेंडर शामिल था। यह इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण दर्शाता है। 14 मामलों में ₹ 4,099.37 करोड़ की बचतों में से ₹ 1,374.01 करोड़ की बचतें सरेंडर नहीं की गईं।

2.9 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:

- अधिक व्यय के रेगुलराइजेशन के लिए लोक लेखा समिति सचिवालय के साथ मामला उठाना।
- बृहद् बचतों तथा पूरक प्रावधानों से बचने के लिए सही बजट अनुमान तैयार करना।
- वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय के वेग से बचने के लिए वित्त विभाग द्वारा उपयुक्त यंत्रावली का सूत्रपात करना।
- पेंशनों तथा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के कारण अधिक भुगतान पर निगरानी रखने के लिए स्वजानों द्वारा उपयुक्त यंत्रावली का सूत्रपात करना।

अध्याय-3

वित्तीय रिपोर्टिंग

अध्याय – 3

वित्तीय रिपोर्टिंग

प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचना के साथ एक ठोस आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, राज्य सरकार द्वारा कुशल व प्रभावी अभिशासन में महत्वपूर्ण रूप से सहयोग देती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, प्रोसीजरज व डायरेक्टिवज की अनुपालना के साथ-साथ इस प्रकार की अनुपालनाओं की स्थिति पर रिपोर्टिंग की सामयिकता व गुणवत्ता सुशासन की एक विशेषता है। अनुपालना एवं नियन्त्रणों पर रिपोर्ट्स, यदि प्रभावी व परिचालनात्मक हो, सरकार को कुशल आयोजना व निर्णय लेने सहित इसकी आधारभूत प्रबन्धकीय जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती हैं। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रोसीजरज व डायरेक्टिवज की अनुपालना का विहंगावलोकन व स्थिति दर्शाता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

पंजाब वित्तीय नियम का नियम 8.14, जैसा कि हरियाणा को लागू है, प्रावधान करता है कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रदान किए गए अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से प्राप्त किए जाने चाहिए। सत्यापन के बाद, ये, उचित समय के अन्दर, यदि संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा कोई विशिष्ट समय सीमा निश्चित न की हो, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित किए जाने चाहिए। तथापि, कुल ₹ 10,678.74 करोड़ के अनुदानों एवं ऋणों के संबंध में प्रस्तुतिकरण हेतु देय 3,723 उ.प्र.प. में से ₹ 5,085.56 करोड़ की कुल राशि के 1,270 उ.प्र.प. बकाया थे। 31 मार्च 2015 को देय, प्राप्त एवं लम्बित उ.प्र.प. का विभागावार विघटन परिशिष्ट 3.1 में दिया गया है। उ.प्र.प. के प्रस्तुतिकरण में आयुवार विलंब तालिका 3.1 में दिए गए हैं।

तालिका 3.1: उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के आयुवार बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विलंब की रेंज वर्षों में	भुगतान किए गए कुल अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	0-1	2,125	7,320.03	990	4,363.30
2	1-3	1,145	2,526.00	255	612.10
3	3-5	453	832.71	25	110.15
कुल		3,723	10,678.74	1,270	5,085.56

तालिका 3.1 दर्शाती है कि लम्बित 1,270 उ.प्र.प. में से 280 उ.प्र.प. (22 प्रतिशत) 2008-09 तथा 2011-12 की अवधि के दौरान जारी किए गए अनुदानों के लिए बकाया थे। परिशिष्ट 3.1 का विश्लेषण दर्शाता है कि कुल लम्बित 1,270 उ.प्र.प. में से 853 उ.प्र.प. (67 प्रतिशत) ग्रामीण विकास विभाग से बकाया थे। यह न केवल प्रशासनिक विभागों के

आंतरिक नियंत्रण की कमी को सूचित करता है बल्कि पूर्ववर्ती अनुदानों की उचित उपयोगिता सुनिश्चित किए बिना नए अनुदान सवितरित करते रहने में सरकार की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है।

3.2 लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण/प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

उन संस्थाओं की पहचान करने के लिए जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (नि.म.ले.प. अधिनियम-1971) की धारा 14 तथा 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित करते हैं, सरकार/विभागाध्यक्षों से अपेक्षित है कि वे विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, दी गई सहायता का उद्देश्य और संस्थाओं के कुल व्यय के बारे में विस्तृत सूचना प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करें।

63 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के कुल 186 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2015 तक प्रतीक्षित थे। इन लेखाओं के ब्यौरे परिशिष्ट 3.2 में दिये गए हैं और उनके आयु-वार बकाया लंबनता तालिका 3.2 में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 3.2: निकायों/प्राधिकरणों से देय वार्षिक लेखाओं के आयु-वार बकाया

क्र.सं.	वर्षों की संख्या में विलम्ब	लेखाओं की संख्या	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
1.	0-1	62	160.01
2.	1-3	70	187.64
3.	3-5	41	86.25
4.	5-7	8	4.63
5.	7-9	3	1.26
6.	9 एवं अधिक	2	0.91
	कुल	186	440.70

(स्रोत: सरकारी विभागों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा से प्राप्त आंकड़े)

वार्षिक लेखाओं के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या ये निकाय/प्राधिकरण नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिनियम 1971 की धारा 14 के प्रावधान के अंतर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित करते हैं या नहीं। 120 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों में जो अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित करते हैं, में से 17 निकायों/प्राधिकरणों का आडिट 2014-15 के दौरान किया गया था।

3.3 प्रमाणीकरण के लिए स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण, कृषि, इत्यादि के क्षेत्र में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए गए हैं। राज्य में 29 निकायों के लेखाओं का ऑडिट नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। लेखापरीक्षा को सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखाओं के देने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प.) के जारी करने और विधानसभा में इसके प्रस्तुतिकरण की स्थिति

परिशिष्ट 3.3 में इंगित की गई है। लेखापरीक्षा को लेखाओं के प्रस्तुतिकरण और विधान सभा में पृ.ले.प. के रखने में विलंबों के अनुसार स्वायत्त निकायों के बार-बार वितरण को तालिका 3.3 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.3: लेखाओं के प्रस्तुतिकरण और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण में विलंब

लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलंब (वर्षों में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलंब के कारण	विधानसभा में पृ.ले.प. के प्रस्तुतिकरण में विलंब (वर्षों में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलंब के कारण
1 - 2	3	स्वायत्त निकायों द्वारा लेखे तैयार नहीं किए गए थे।	1 - 2	3	विभागों द्वारा विलम्ब हेतु कारण सूचित नहीं किए गए
2 - 3	2		2 - 3	4	
3 - 4	1		3 - 4	-	
4 - 5	-		4 - 5	1	
5 एवं अधिक	4		5 एवं अधिक	8	
कुल	10			16	

आगे यह देखा गया कि एक¹ स्वायत्त निकाय ने अपने वार्षिक लेखे गत 18 वर्षों (1996 - 97 और उसके आगे) से प्रस्तुत नहीं किए थे।

3.4 विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

अर्ध-वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियां निष्पादन करने वाले कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वह वित्तीय परिचालनों के वर्किंग परिणामों को दर्शाते हुए निर्धारित फारमेट में प्रतिवर्ष प्रोफार्मा लेखे तैयार करे ताकि सरकार उनकी वर्किंग का अनुमान लगा सके। अन्तिम लेखे उनकी समग्र वित्तीय स्थिति और अपने व्यवसाय को चलाने में उनकी दक्षता को प्रदर्शित करते हैं। लेखाओं के समय पर अन्तिमकरण न करने से, सरकार का निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधान सभा की जांच से बाहर रहता है। परिणामतः जिम्मेवारी सुनिश्चित करने और दक्षता को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय, यदि कोई अपेक्षित हो, समय पर नहीं किए जा सकते। इसके अतिरिक्त, विलंब से सार्वजनिक धन की जालसाजी और रिसाव के जोखिम की संभावना है।

जून 2015 तक, ऐसे पांच उपक्रमों में से चार ने 1986 - 87 तथा 2009 - 10 के मध्य श्रृंखलित अवधि से अपने लेखे तैयार नहीं किए थे। इन उपक्रमों में ₹ 7,030.36 करोड़ की राशि की सरकारी निधियां निवेशित थी। यद्यपि लेखाओं को तैयार करने में बकायों के बारे में बार-बार

¹ जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर।

टिप्पणी की गई थी, लेकिन इस संबंध में कोई सुधार नहीं हुआ था। प्रोफार्मा लेखाओं के तैयार करने में बकायों की विभाग-वार स्थिति और सरकार द्वारा किए गए निवेश परिशिष्ट 3.4 में दिए गए हैं।

3.5 दुरुपयोग, हानियां, गबन, इत्यादि

पंजाब वित्तीय नियम का नियम 2.33, जैसा कि हरियाणा को लागू है, निर्धारित करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को उसकी तरफ से धोखा अथवा उपेक्षा के माध्यम से सरकार द्वारा उठाई गई हानि या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की तरफ से धोखा या लापरवाही से उत्पन्न किसी हानि के लिए उस सीमा तक कि हानि में उसके अपने स्वयं के कार्य अथवा लापरवाही से सहयोग दिया, के लिए वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार ठहराया जायेगा। आगे, तंत्रव नियम 2.34 के अनुसार, गबन एवं हानियों के मामले प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सूचित किए जाने अपेक्षित हैं।

राज्य सरकार ने ₹ 1.50 करोड़ राशि के सरकारी धन से आवेष्टित दुरुपयोग, गबन, इत्यादि के 120 मामले सूचित किए जिन पर जून 2015 तक अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी। लम्बित मामलों का विभाग-वार विघटन और आयु-वार विश्लेषण परिशिष्ट 3.5 में दिया गया है और इन मामलों का स्वरूप परिशिष्ट 3.6 में दिया गया है। जैसा कि इन परिशिष्टों से प्रकट है, चोरी और दुर्विनियोजन/हानि की प्रत्येक श्रेणी में लम्बित मामलों की एज प्रोफाइल तथा लम्बित मामलों की संख्या तालिका 3.4 में संक्षेपित की गई हैं।

तालिका 3.4: दुरुपयोग, हानियों, गबन, इत्यादि का प्रोफाइल

लम्बित मामलों का एज-प्रोफाइल			लम्बित मामलों की प्रकृति		
वर्षों में श्रृंखला	मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि (₹ लाख में)		मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि (₹ लाख में)
0 - 5	11	24.20	जून 2014 को लंबित मामले	137	162.39
5 - 10	28	39.47			
10 - 15	22	47.62			
15 - 20	14	15.89	वर्ष के दौरान जोड़े गए मामले	1	3.12
20 - 25	17	17.75			
			कुल	138	165.51
25 एवं अधिक	28	5.33	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए हानियों के मामले	18	15.25
कुल	120	150.26	जून 2015 को कुल लंबित मामले	120	150.26

मामलों के लम्बित रहने के लिए कारण तालिका 3.5 में सूचीबद्ध किए गए हैं।

तालिका 3.5: दुरुपयोग, हानि, गबन, इत्यादि के बकाया मामलों के लिए कारण

विलंब/बकाया मामलों के लिए कारण		मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
i)	विभागीय तथा आपराधिक जांच की प्रतीक्षा में	4	8.05
ii)	विभागीय कार्रवाई आरम्भ की गई परन्तु अंतिम रूप नहीं दिया गया	61	52.84
iii)	आपराधिक कार्यवाहियां पूर्ण की किन्तु राशि की वसूली हेतु प्रमाण-पत्र मामले का कार्यान्वयन लम्बित	9	7.36
iv)	वसूली अथवा बट्टे खाते डालने के लिए आदेशों की प्रतीक्षा में	35	33.91
v)	विधि न्यायालयों में लम्बित	11	48.10
कुल		120	150.26

कुल हानि मामलों में से 62 प्रतिशत मामले सरकारी धन/भण्डार की चोरी से संबंधित थे। आगे, हानियों के 50 प्रतिशत मामलों के संबंध में, विभागीय कार्रवाई को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था और 29 प्रतिशत मामले, वसूली अथवा हानियों को बट्टे खाते में डालने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की कमी के कारण बकाया थे। आगे यह देखा गया कि चोरी/दुरुपयोग इत्यादि के कारण हानियों के 120 मामलों में से 109 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे, इनमें 28 मामले जो 25 वर्षों से अधिक पुराने थे शामिल हैं। इन मामलों को अन्तिम रूप देने में विभागों के ढुल-मुल रवैये के कारण न केवल राज्य राजकोष को हानि हुई बल्कि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध समय पर कार्रवाई भी नहीं हुई।

3.6 लेखाओं का गलत वर्गीकरण

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 का परिचालन

लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' तथा '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुकिंग अपारदर्शी है क्योंकि वे उन स्कीमों, कार्यक्रम इत्यादि को प्रकट नहीं करते, जिनसे वे संबंध रखते हैं। यह उस व्यय को समायोजित करता है जो उपलब्ध कार्यक्रम लघु शीर्षों के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सका।

2014-15 के दौरान कुल ₹ 8,426.51 करोड़ (कुल व्यय का 15.70 प्रतिशत) का व्यय विविध राजस्व तथा पूंजीगत बृहद् शीर्षों के अन्तर्गत लघु शीर्ष-800 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। विद्युत सबसिडी, मुख्य एवं मध्यम सिंचाई, पर्यटन तथा विविध सामान्य सेवाओं पर कुल/मुख्य व्यय वित्त लेखाओं में स्पष्ट रूप से दर्शाने की बजाए बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अन्तर्गत वर्गीकृत किए गए थे।

इसी प्रकार, कुल ₹ 2,345.89 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 5.75 प्रतिशत) की राशि की राजस्व प्राप्तियां संबंधित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई थी। शहरी विकास, भू-राजस्व, लोक निर्माण, मुख्य सिंचाई, सड़क एवं पुल, वन तथा वन्यजीवन इत्यादि के अन्तर्गत राजस्व की मुख्य राशि इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई थी।

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय/प्राप्तियां' के अंतर्गत बृहद् राशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

3.7 निष्कर्ष

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण में पर्याप्त विलंब हुए तथा परिणामस्वरूप अनुदानों का सही उपयोगिता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। वार्षिक लेखाओं के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कुछ स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधान को आकृष्ट करते हैं। स्वायत्त निकायों की एक बहुत बड़ी संख्या और विभागीय तौर पर चलाये जा रहे वाणिज्यिक उपक्रमों ने लंबी अवधि से अपने अन्तिम लेखे तैयार नहीं किए थे परिणामस्वरूप उनकी वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता निर्धारित नहीं की जा सकी। आगे सरकारी धन की चोरी, दुरुपयोग, सरकारी सामग्री की हानि, गबन, इत्यादि के मामलों में विभागीय कार्रवाई दीर्घावधि से लंबित थी। 2014-15 के दौरान बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय/प्राप्तियां' के अन्तर्गत कुल व्यय का 15.70 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 5.75 प्रतिशत वर्गीकृत किया गया था।


3.8 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:

- (i) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा आकर्षित करने वाली संस्थाओं की पहचान करने के लिए प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अनुदानग्राही संस्थाओं से लेखाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय अपनाना।
- (ii) स्वायत्त निकायों तथा विभागीय रूप से चलाए जा रहे उपक्रमों द्वारा उनकी वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए वार्षिक लेखाओं के संकलन तथा प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए प्रणाली स्थापित करना।
- (iii) चोरी, दुरुपयोग इत्यादि के मामलों में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए एक समयबद्ध ढांचा तैयार करना।

- (iv) विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत प्राप्त राशियों एवं किए गए व्यय को लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' तथा '800-अन्य प्राप्तियां' के अन्तर्गत मुख्य स्कीमों की प्राप्ति एवं व्यय में शामिल करने की बजाए स्पष्ट रूप से दर्शाना।

उपर्युक्त बिंदु अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, हरियाणा सरकार के पास भेजे गए थे (सितंबर 2015); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2015)।




(महुआ पाल)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा

चण्डीगढ़

दिनांक: 25 JAN 2016

प्रतिहस्ताक्षरित




(शशि कान्त शर्मा)


भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 28 JAN 2016



परिशिष्ट



परिशिष्ट 1.1
राज्य प्रोफाइल
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1 पृष्ठ 1 तथा 9)

राज्य प्रोफाइल					
क. सामान्य डाटा					
क्र. सं.	विवरण			आंकड़े	
1	क्षेत्र			44,212 वर्ग कि.मी.	
2	जनसंख्या				
	क	2001 की जनगणना के अनुसार		2.11 करोड़	
	ख	2011 की जनगणना के अनुसार		2.54 करोड़	
3	जनसंख्या घनत्व ¹ (2011) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर	
4	गरीबी रेखा ² से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत=29.50 प्रतिशत)			12.50 प्रतिशत	
5	साक्षरता ³ (2011) (अखिल भारतीय औसत=73.00 प्रतिशत)			75.55 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु-दर ³ (प्रति 1000 सजीव जन्म) (अखिल भारतीय औसत=40 प्रति 1000 सजीव जन्म)			41	
7	जन्म ⁴ पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=67.5 वर्ष)			68.2 वर्ष	
8	गिनी सहकारी कारण ⁵				
	क	ग्रामीण (अखिल भारतीय= 0.29)		0.30	
	ख	शहरी (अखिल भारतीय= 0.38)		0.36	
9	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (सरा.घ.उ.) 2014-15 ⁶			₹ 4,35,310 करोड़	
10	प्रति व्यक्ति सरा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2005-06 से 2014-15)	हरियाणा		14.70 प्रतिशत	
11		सामान्य श्रेणी राज्य		13.86 प्रतिशत	
12	सरा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2004-05 से 2013-14) ⁷	हरियाणा		16.83 प्रतिशत	
13		सामान्य श्रेणी राज्य		15.44 प्रतिशत	
14	हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि (2005 से 2014)			16.32 प्रतिशत	
15	सामान्य श्रेणी राज्यों की जनसंख्या ⁸ वृद्धि (2005 से 2014)			12.76 प्रतिशत	
ख	वित्तीय आंकड़े				
	विवरण	आंकड़े (प्रतिशत में)			
	सी.ए.जी.आर	2005-06 से 2013-14		2005-06 से 2014-15	
		सामान्य श्रेणी राज्य ⁹	हरियाणा	सामान्य श्रेणी राज्य	हरियाणा
क	राजस्व प्राप्तियों का	15.76	13.45	16.10	7.33
ख	स्वयं के कर राजस्व का	15.32	13.82	10.51	8.09
ग	कर-भिन्न राजस्व का	13.53	9.21	10.07	(-) 7.28
घ	कुल व्यय का	15.23	15.78	19.32	15.19
ङ	पूंजीगत व्यय का	14.61	11.80	21.87	(-) 5.57
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	17.10	17.94	14.55	26.02
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.20	18.13	28.73	27.66
ज	वेतन एवं मजदूरियों का	15.23	14.88	11.75	21.52
झ	पेंशन का	18.70	19.05	12.43	10.39

¹ जनगणना सूचना भारत 2011 अंतिम जनसंख्या कुल।

² निर्धनता के माप के लिए पद्धति आयोजना आयोग (जून 2014) कार्यप्रणाली की समीक्षा के लए विशेषज्ञ दल (रंगराजन) की रिपोर्ट।

³ सितंबर 2014 की सैपल रजिस्ट्रेशन प्रणाली बुलेटिन (भारत के महारजिस्ट्रार)।

⁴ भारत का आर्थिक सर्वे 2014-15 तालिका 9.1

⁵ 2009-10 के लिए योजना आयोग डाटा।

⁶ सांख्यिकी विश्लेषण निदेशालय हरियाणा।

⁷ सी.एस.ओ. (एच.टी.टी.पी./एस.ओ. एस.पी.आई. निक.इन/मोसपी-न्यू/साईट/ईनर एस. पी. एक्स? एम.टी. यू.एस.-3 एंड मैनु-आई.डी.=82)।

⁸ भारत तथा राज्यों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण 2001-2006 (संशोधित दिसंबर 2006)। जनसंख्या तालिका-14 पर जनसंख्या राष्ट्रीय आयोग द्वारा गठित जनसंख्या प्रक्षेपणों पर तकनीकी ग्रुप की रिपोर्ट।

⁹ पुदुचेरी को छोड़कर 18 सामान्य श्रेणी राज्यों पर आधारित जैसे 1) तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश 2) बिहार, 3) छत्तीसगढ़, 4) गोआ, 5) गुजरात, 6) हरियाणा, 7) झारखण्ड, 8) कर्नाटक, 9) केरल, 10) मध्य प्रदेश, 11) महाराष्ट्र, 12) उड़ीसा, 13) पंजाब, 14) राजस्थान, 15) तमिलनाडु, 16) उत्तर प्रदेश, 17) पश्चिम बंगाल, 18) दिल्ली।

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: अनुच्छेद प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

भाग क: सरकारी लेखाओं का ढांचा एवं स्वरूप

सरकारी लेखे का ढांचा: राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिक निधि, एवं (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण (मार्केट ऋण, ब्रॉडस, केंद्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि इत्यादि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम तथा राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त सभी धन शामिल होते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रावधान किए गए प्रयोजनों के लिए तथा पद्धति में कानून के अनुसार के अतिरिक्त कोई धन इस फंड से विनियोजित नहीं किया जा सकता। व्यय की निश्चित श्रेणियां (उदाहरणार्थ-संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण पुनर्भुगतान इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर भार संचटित करती है (भारित व्यय) तथा विधायिका द्वारा मत के अध्यक्षीन नहीं होती। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधायिका द्वारा वोट किए जाते हैं।

समेकित फंड में दो सैक्शन शामिल होते हैं: राजस्व तथा पूंजीगत (ऋण सहित)। ये आगे 'प्राप्तियां' तथा 'व्यय' के अंतर्गत श्रेणीबद्ध हैं। राजस्व प्राप्तियां सैक्शन तीन सैक्टरों अर्थात् 'कर राजस्व', 'कर भिन्न राजस्व' तथा सहायतानुदान तथा अंशदानों में बंटा हुआ है। ये तीन सैक्टर आगे सब-सैक्टर में जैसे 'आय तथा व्यय पर कर' 'राजकोषीय सेवाएं' आदि में विभाजित हैं। पूंजीगत प्राप्तियां सैक्शन में अन्य कोई सैक्टर या सब-सैक्टर नहीं है। राजस्व व्यय सैक्शन चार सैक्टर में विभाजित है अर्थात्, 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं' तथा 'सहायतानुदान एवं अंशदान'। राजस्व व्यय सैक्शन से ये भाग आगे उप भागों में विभाजित हैं 'जैसे राज्य के अंग', 'शिक्षा', 'खेल', 'कला तथा संस्कृति' आदि। पूंजीगत व्यय सैक्शन आठ भागों में उप विभाजित है, अर्थात् 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'सहायतानुदान तथा अंशदान' 'लोक ऋण', 'ऋण तथा अग्रिम', 'अंतर्राज्यीय समायोजन' तथा 'आकस्मिक निधि को ट्रांसफर'।

भाग II: आकस्मिक निधि: यह निधि अग्रदाय के रूप में होती है जो राज्य विधायिका द्वारा कानून द्वारा स्थापित है तथा अप्रत्याशित व्यय, जो राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकार के लिए लम्बित हो, को पूरा करने के लिए दिए जाने वाले अग्रिमों हेतु राज्यपाल की डिस्पोजल पर रखा जाता है फंड की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित क्रियाशील मुख्य शीर्ष को व्यय द्वारा डेबिट कर के की जाती है। 2014-15 के लिए हरियाणा सरकार की आकस्मिक निधि ₹ 200 करोड़ है।

भाग III: लोक लेखा: अन्य सभी पब्लिक धन जो सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त किया जाता है, जिसमें सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में काम करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। पब्लिक अकाउंट में पुनर्भुगतान योग्य जैसे लघु बचतें तथा भविष्य निधियां, डिपोजिटस (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), अग्रिम, रिजर्व फंडस (ब्याज वाले तथा बिना ब्याज वाले) प्रेषण तथा उचत शीर्ष (जिनमें से दोनों ही ट्रांजिटरी शीर्ष है फाइनेल बुकिंग के लिए लंबित है) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध नेट कैश बैलेस भी पब्लिक अकाउंट में शामिल है। लोक लेखे में छ: सैक्टर यानि 'लघु बचतें, भविष्य निधि आदि', 'रिजर्व फंड', 'जमा तथा अग्रिम', 'उचत तथा विविध', 'प्रेषण' तथा 'कैश बैलेस' शामिल हैं। ये सैक्टर आगे उप भागों में विभाजित हैं। पब्लिक अकाउंट विधायिका की वोट के अध्यक्षीन नहीं है।

परिशिष्ट 1.2 भाग - ख: वित्त लेखाओं का विन्यास

विवरणी	विन्यास
	वित्त लेखे दो खंडों में प्रस्तुत किए जाते हैं। खंड- I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का सर्टिफिकेट, वित्त लेखाओं की गाइड, 13 विवरणियां जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा लेन-देनों पर संक्षेपित सूचना, लेखाओं पर टिप्पणियां तथा लेखाओं की टिप्पणियों पर एक परिशिष्ट शामिल होता है। खंड- I में 13 विवरणियों के विवरण नीचे दिए गए हैं:
विवरणी सं. 1	वित्तीय स्थिति की विवरणी: यह विवरणी राज्य सरकार की परिसंपत्तियों तथा देयताओं के संचयी आंकड़े चित्रित करती है, क्योंकि वे वर्ष के अंत में विद्यमान हैं तथा गत वर्ष की वित्तीय स्थिति से तुलना किए गए अनुसार हैं।
विवरणी सं. 2	प्राप्तियों तथा सवितरणों की विवरणी: यह विवरणी, वर्ष के दौरान राज्य सरकार की सभी तीन भागों, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं अर्थात् समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा में सभी प्राप्तियों तथा सवितरणों का चित्रण करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार के कैश बैलेसिज (निवेशों सहित) के वैकल्पिक चित्रण को दिखाते हुए इसमें एक परिशिष्ट शामिल है। परिशिष्ट भी सरकार की अर्थोपाय स्थिति को विस्तार से प्रकट करता है।

परिशिष्ट 1.2 भाग - ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	
विवरण	विन्यास
विवरण सं. 3	प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि): यह विवरणी राज्य सरकार की राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों तथा उधारों को शामिल करती है। यह विवरणी वित्त लेखाओं के खंड-2 में विस्तृत विवरणी 14, 17 तथा 18 के अनुरूप है।
विवरण सं. 4	व्यय की विवरणी (समेकित निधि): वित्त लेखाओं के लघु शीर्ष स्तर के सामान्य चित्रण के अतिरिक्त, यह विवरणी, गतिविधि की प्रकृति द्वारा (व्यय के उद्देश्य) व्यय का विवरण भी देती है। यह विवरणी खंड-2 में विस्तृत विवरणी 15, 16, 17 तथा 18 के अनुरूप है।
विवरण सं. 5	प्रोग्रेसिव पूंजीगत व्यय की विवरणी: यह विवरणी भाग - II में विस्तृत विवरणी 16 के अनुरूप है।
विवरण सं. 6	उधारों तथा अन्य देयताओं की विवरणी: सरकार की उधारों में इसके द्वारा उठाए गए बाजार ऋण (आंतरिक डेब्ट) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम शामिल होते हैं। अन्य देयताओं में लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि 'रिजर्व फंड' तथा 'डिपोजिटस' शामिल हैं। विवरणी में ऋण की सेवा पर एक टिप्पणी भी शामिल है तथा भाग - II में विस्तृत विवरणी - 17 के अनुरूप है।
विवरण सं. 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की विवरणी: यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणियों जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता (सरकारी कर्मचारियों सहित) को दिए गए सभी ऋणों तथा अग्रिमों को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग - II में विस्तृत विवरणी - 18 के अनुरूप है।
विवरण सं. 8	सरकार के निवेशों की विवरणी: यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की इक्विटी में राज्य सरकार के निवेशों को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग - II में विस्तृत विवरणी - 19 के अनुरूप है।
विवरण सं. 9	सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विवरणी: यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उठाए गए ऋणों पर मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान पर राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रदान करती है। यह विवरणी भाग - II में विस्तृत विवरणी - 20 के अनुरूप है।
विवरण सं. 10	सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी: यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ग्रांट प्राप्त करने वालों जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता को दिए गए सभी प्रकार के सहायता अनुदानों को चित्रित करती है। परिशिष्ट III प्राप्तकर्ता संस्थाओं के विवरण प्रस्तुत करता है।
विवरण सं. 11	दत्तमत तथा भारित व्यय की विवरणी: यह विवरणी विनियोजन लेखाओं में प्रकट होने वाले सकल आंकड़ों के साथ वित्त लेखाओं में प्रकट नेट आंकड़ों के एग्रीमेंट में सहायता करती है।
विवरण सं. 12	राजस्व लेखे से पृथक व्यय हेतु निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग की विवरणी: यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अलग किया जाना अपेक्षित है जबकि वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के आरंभ में नकद शेष तथा उधारों से वहन किया गया है।
विवरण सं. 13	समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे के अंतर्गत शेषों का सार: यह विवरणी लेखाओं की परिशुद्धता प्रदान करने में सहायता करती है। विवरणी भाग - II में विस्तृत विवरणी - 14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 के अनुरूप है।
खंड - II में दो भाग शामिल हैं - भाग I में 9 विस्तृत विवरणियां तथा भाग II में 13 परिशिष्ट हैं जैसा कि नीचे दिए गए हैं:	
खंड - II का भाग - I	
विवरण सं. 14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी वित्त लेखाओं के खंड - I में सार विवरणी - 3 के अनुरूप है।

परिशिष्ट 1.2 भाग - ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	
विवरणी	विन्यास
विवरणी सं. 15	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी जो खंड-1 में सार विवरणी 4 के अनुरूप है, प्लान (स्टेट प्लान, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें तथा केंद्रीय प्लान स्कीमें) तथा नॉन प्लान के अंतर्गत राज्य सरकार के राजस्व व्यय को चित्रित करती है। भारत तथा दत्तमत व्यय अलग से दर्शाए जाते हैं।
विवरणी सं. 16	लघु शीर्षों तथा उपशीर्षों द्वारा पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी जो इस खंड के भाग-1 में सार विवरणी 5 के अनुरूप है, प्लान (स्टेट प्लान, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें तथा केंद्रीय प्लान स्कीमें) तथा नॉन-प्लान के अंतर्गत राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से) चित्रित करती है। भारत तथा दत्तमत व्यय अलग से दर्शाए गए हैं। महत्वपूर्ण स्कीमों के संबंध में लघु शीर्ष स्तर पर पूंजीगत व्यय के विवरण निरूपित करने के अतिरिक्त यह विवरणी उपशीर्ष स्तरों पर भी विवरण चित्रित करती है।
विवरणी सं. 17	उधारों तथा अन्य देयताओं की विस्तृत विवरणी: इस विवरणी में जो इस खंड के भाग-1 में सार विवरणी-6 के अनुरूप है, राज्य सरकार (मार्केट ऋण, बॉन्ड्स, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत फंड आदि को जारी विशेष प्रतिभूतियां) द्वारा उठाए गए सभी ऋणों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिमों के सारे विवरण शामिल हैं। यह विवरणी तीन श्रेणियों के अंतर्गत ऋणों पर सूचना प्रस्तुत करती है। (क) व्यक्तिगत ऋणों के विवरण (ख) मैच्योरिटी प्रोफाइल यानि विभिन्न वर्षों में ऋणों की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में भुगतान योग्य राशियां; तथा (ग) बकाया ऋणों की ब्याज दर प्रोफाइल।
विवरणी सं. 18	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी भाग-1 में विवरणी-7 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 19	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी विवरणी 16 तथा 19 के मध्य कमियों, यदि कोई हो, के मुख्य एवं लघु शीर्ष-वार विवरण तथा इक्विटी-वार निवेश चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-1 में विवरणी-8 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 20	सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी सरकारी गारंटी के एनटिटी वार विवरण प्रदान करती है। यह विवरणी भाग-1 में विवरणी-9 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 21	आकस्मिक निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों पर विस्तृत विवरणी: यह विवरणी लघु शीर्ष स्तर पर आकस्मिक निधि के अंतर्गत अप्रतिपूरित राशियों के विवरण, वर्ष के दौरान लोक लेखा लेन-देनों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाया शेषों को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-1 में विवरणी-13 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 22	चिन्हित शेषों पर विस्तृत विवरणी: यह विवरणी रिजर्व फंडों (लोक लेखा) से निवेशों के विवरण चित्रित करती है।
<p>खंड - II भाग - III में मुख्य केंद्रीय स्कीमों तथा स्टेट प्लान स्कीमों आदि के संबंध में स्कीमवार व्यय, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, सहायता अनुदान, सबसीडियों, वेतनों सहित विभिन्न मदों पर 13 परिशिष्ट शामिल है। ये विवरण उप-शीर्ष स्तर या नीचे (अर्थात् लघु-शीर्ष स्तर से नीचे) अकाउंट्स में प्रस्तुत है तथा इसीलिए सामान्य तौर पर वित्त लेखाओं में चित्रित नहीं किए जाते हैं। परिशिष्ट की एक विस्तृत सूची खंड-1 या 2 में 'सूचकांक' पर प्रकट है। परिशिष्टों के साथ पठित विवरणियां राज्य सरकार के वित्तों की स्थिति का एक पूर्ण चित्र देती हैं।</p>	

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: अनुच्छेद प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति

राज्य सरकार द्वारा उनके राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम के अन्तर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित अन्य विवरणियों में की गई वचनबद्धताओं/प्रक्षेपणों तथा वित्तीय योगों के स्थापन हेतु इसके प्रक्षेपणों सहित चयनित वित्तीय परिवर्तनी हेतु बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) द्वारा निर्धारित मानक/सीमाएं, मुख्य वित्तीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के गुणवत्ता निर्धारण हेतु प्रयोग किए जाते हैं। यह मानते हुए कि सर.घ.उ. राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन की उत्तम सूचक है, कर तथा कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा वित्तीय घाटे जैसे मुख्य वित्तीय योगों, वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी) की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। सर.घ.उ. द्वारा निरूपित आधार के संदर्भ में उचित वित्तीय परिवर्तनी हेतु उत्प्लावकता सह-दक्षताएं भी यह निर्धारित करने हेतु परिकलित की गई है, कि संसाधनों का संघटन, व्यय की पद्धति इत्यादि आधार में परिवर्तन की गति के साथ रखे जा रहे हैं अथवा ये वित्तीय योग सर.घ.उ. से अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित हैं।

गत पांच वर्षों हेतु सर.घ.उ. में प्रवाह नीचे सूचित किए गए हैं:

चालू दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (सर.घ.उ.) में प्रवाह

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,60,621	2,98,688	3,41,351	3,88,917	4,35,310
सर.घ.उ. की वृद्धि दर	16.56	14.61	14.28	13.93	11.93

स्रोत: निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण, हरियाणा

राजकोषीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के निर्धारण में प्रयुक्त चयनित शब्दावली की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्दावली	गणना के आधार
पैरा मीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि की दर/सर.घ.उ. वृद्धि
अन्य पैरा मीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि की दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर
वृद्धि की दर (आर.ओ.जी.)	$[(\text{चालू वर्ष राशि}/\text{गत वर्ष राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
कुल व्यय	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{गत वर्षों की राजकोषीय देयताओं की राशि} + \text{चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं})2]*100$
ब्याज फैलाव	सर.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
प्रमात्रा फैलाव	ऋण स्टॉक * ब्याज फैलाव
बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	$\text{प्राप्त ब्याज} / [(\text{ऋण एवं अग्रिमों का प्रारम्भिक} + \text{अन्त शेष})2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	वित्तीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियां घटा सभी योजनागत अनुदान तथा मुख्य शीर्ष 2048 के अन्तर्गत अभिलिखित व्यय को छोड़कर योजनेत्तर राजस्व व्यय-ऋण के परिहार की कटौती हेतु विनियोजन

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.3; पृष्ठ 7)

राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम डाटा

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भाग - क प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	25,564	30,558	33,634	38,012	40,799
(i) कर राजस्व	16,790 (66)	20,399(67)	23,559(70)	25,567(67)	27,635(67)
विक्रियों, व्यापार आदि पर कर	11,082 (66)	13,384(66)	15,377(65)	16,774(66)	18,993(69)
राज्य उत्पाद शुल्क	2,366 (14)	2,832(14)	3,236(14)	3,697(14)	3,470(13)
वाहनों पर कर	457 (3)	740(4)	887(4)	1,095(4)	1,192(4)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	2,319 (14)	2,793(14)	3,326(14)	3,203(13)	3,109(11)
भू-राजस्व	10	11	13	12	15
माल एवं यात्रियों पर कर	387 (2)	429(2)	471(2)	498(2)	527(2)
विजली पर कर एवं शुल्क	130 (1)	166	192(1)	219(1)	240(1)
अन्य कर	39	44	57	69	89
(ii) कर - भिन्न राजस्व	3,421 (13)	4,722(15)	4,673(14)	4,975(13)	4,613(13)
(iii) संप्रदाय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	2302 (9)	2,682(9)	3,062(9)	3,343(9)	3,548(9)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	3,051 (12)	2,755(9)	2,340(7)	4,127(11)	5,003(13)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	8	9	11	10	19
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	233	294	349	262	273
4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	25,805	30,861	33,994	38,284	41,091
5. लोक ऋण प्राप्तियां	9,843	10,767	15,213	17,604	18,859
आन्तरिक ऋण (अर्धोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	9,535 (97)	10,669(99)	15,162 (100)	17,263(98)	18,728(99)
अर्धोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	308 (3)	98(1)	51	341(2)	131(1)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	35,648	41,628	49,207	55,888	59,950
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	193	168	-	-	-
8. लोक लेखे प्राप्तियां	16,595	19,260	22,709	26,548	28,064
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	52,436	61,056	71,916	82,436	88,014
भाग - ख व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	28,310	32,015	38,072	41,887	49,118
योजनागत	6,251 (22)	7,792(24)	9,456(25)	10,152(24)	12,760(26)
योजनेत्तर	22,059 (78)	24,223 (76)	28,616(75)	31,735(76)	36,358(74)
सामान्य सेवाएं (व्याज भुगतानों सहित)	9,328 (33)	10,220 (32)	11,897(31)	13,597(32)	16,765(34)
आर्थिक सेवाएं	7,997 (28)	9,054 (28)	11,557(30)	12,740(30)	13,088(27)
सामाजिक सेवाएं	10,904 (39)	12,641 (39)	14,516(38)	15,414(37)	19,120(39)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	81 (-)	99	102	136(1)	145
11. पूंजीगत व्यय	4,031	5,372	5,762	3,935	3,716
योजनागत	3,845 (95)	4,354 (81)	4,191(73)	5,067(129)	4,837(130)
योजनेत्तर	186 (5)	1,018 (19)	1,571(27)	(-),1,132	(-),1,121
				(-29)	(-30)
सामान्य सेवाएं	199 (5)	235 (5)	251(4)	282(7)	291(8)
आर्थिक सेवाएं	2,602 (65)	3,770 (70)	4,065(71)	1,829(46)	1,527(41)
सामाजिक सेवाएं	1,230 (31)	1,367 (25)	1,446(25)	1,824(46)	1,898(51)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण	722	627	522	776	843
13. कुल (10+11+12)	33,063	38,014	44,356	46,598	53,677
14. लोक ऋण के पुनर्भूगतान	3,971	4,037	5,951	7,968	8,227
आन्तरिक ऋण (अर्धोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	3,846 (97)	3,812 (94)	5,825(98)	7,800(98)	8,073(98)
अर्धोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	125 (3)	225 (6)	126(2)	168(2)	154(2)
15. आकस्मिक निधि के विनियोजन	190	-	-	-	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	37,224	42,051	50,307	54,566	61,904
17. आकस्मिक निधि संवितरण	3	168	-	-	-
18. लोक लेखे संवितरण	15,324	17,051	21,074	24,560	25,609
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	52,551	59,270	71,381	79,126	87,513
भाग ग - घाटा / आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+) (1-10)	(-),2,746	(-),1,457	(-),4,438	(-),3,875	(-),8,319
21. राजकोषीय घाटा (-) / आधिक्य (+) (4-13)	(-),7,258	(-),7,153	(-),10,362	(-),8,314	(-),12,586
22. प्राथमिक घाटा (-) / आधिक्य (+) (21+23)	(-),3,939	(-),3,152	(-),5,618	(-),2,464	(-),5,658

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भाग - घ अन्य डाटा					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	3,319	4,001	4,744	5,850	6,928
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	2,223	3,306	4,648	4,540	6,106
25. अर्थोपाय अधिम (अ.अ.)/प्राप्त ओवर ड्राफ्ट (दिनों में)	670(8)	974(11)	347(12)	109 (4)	-
26. अ.अ./ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	1.16	1.51	0.78	0.03	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ¹⁰	2,60,621	2,98,688	3,41,351	3,88,917	4,35,310
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	46,282	54,540	64,818	76,263	88,446
29. ब्याज तथा गारंटी फीस सहित बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में)	4,528	5,608	21,124	27,309	30,389
30. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	21	8	14	40	14
31. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूढ़ पूंजी (₹ करोड़ में)	41	186	48	398	62.19
भाग - ई राजकोषीय स्थिति सूचक					
I संसाधन संघटन					
स्वयं का कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.064	0.068	0.069	0.066	0.063
स्वयं का कर-भिन्न राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.013	0.016	0.014	0.013	0.011
केन्द्रीय अन्तरण/स.रा.घ.उ.	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008
II व्यय प्रबन्ध					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	0.127	0.127	0.130	0.120	0.123
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.293	1.244	1.319	1.226	1.316
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.856	0.842	0.858	0.899	0.915
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.367	0.368	0.360	0.370	0.392
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.321	0.337	0.352	0.313	0.272
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.122	0.141	0.130	0.084	0.069
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.116	0.135	0.124	0.078	0.064
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबन्ध					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-)0.011	(-)0.005	(-)0.013	(-)0.010	(-) 0.019
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-)0.028	(-)0.024	(-)0.030	(-)0.021	(-) 0.029
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-)0.015	(-)0.011	(-)0.016	(-)0.006	(-) 0.013
राजस्व घाटा/वित्तीय घाटा	0.378	0.204	0.428	0.466	0.661
प्राथमिक राजस्व शेष/स.रा.घ.उ.	(-)0.021	(-)0.013	(-)0.017	(-)0.017	(-) 0.025
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्ध					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	0.178	0.183	0.190	0.196	0.203
वित्तीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	1.810	1.785	1.927	2.006	2.168
परिमात्रा विस्तार की तुलना में प्राथमिक घाटा	(-) 0.457	(-) 0.730	(-) 2.044	(-) 1.163	(-) 2.853
ऋण विमोचन (मूल + ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां	0.831	0.810	0.806	0.834	0.864
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर रिटर्न	2.48	1.64	7.05	6.49	5.80
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	2325	4977	3741	4406	1161
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.77	0.78	0.75	0.74	0.68

परिशिष्ट 1.5 भाग - क

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 2)

वर्ष 2014 - 15 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

	प्राप्तियां		संवितरण				
	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15			
				नॉन - प्लान	प्लान	कुल	
भाग क: राजस्व							
I. राजस्व प्राप्तियां	38,012.08	40,798.66	I. राजस्व व्यय	41,887.10		49,117.87	
कर राजस्व	25,566.60	27,634.57	सामान्य सेवाएं	13,597.31	16,658.80	105.93	16,764.73
कर भिन्न राजस्व	4,975.06	4,613.12	सामाजिक सेवाएं	15,413.41	9,199.59	9,920.97	19,120.56
संघीय करों का राज्य का हिस्सा	3,343.24	3,548.09	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	7,373.50	5,860.95	3,432.23	9,293.18
नॉन प्लान अनुदान	2,256.17	1,723.20	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,702.64	936.80	1,237.06	2,173.86
राज्य प्लान स्कीमों हेतु अनुदान	856.66	2,815.36	जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	2,880.19	1,419.28	1,601.84	3,021.12
केन्द्रीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	1,014.35	464.32	सूचना एवं प्रसारण	94.38	40.48	60.85	101.33
			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	321.82	138.40	131.60	270.00
			श्रम एवं श्रम कल्याण	237.71	177.16	112.55	289.71
			समाज कल्याण एवं पोषण	2,797.06	619.96	3,344.84	3,964.80
			अन्य	6.11	6.56	--	6.56
			आर्थिक सेवाएं	12,740.20	10,354.53	2,733.47	13,088.00
			कृषि एवं सहायक गतिविधियां	1,846.45	1,018.71	993.21	2,011.92
			ग्रामीण विकास	1,727.40	570.09	1,273.35	1,843.44
			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,161.83	944.66	214.48	1,159.14
			ऊर्जा	5,212.05	5,241.85	2.82	5,244.67
			उद्योग एवं खनिज	97.07	37.38	108.30	145.68
			परिवहन	2,380.01	2,492.36	74.65	2,567.01
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	29.75	7.82	13.83	21.65
			अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	285.64	41.66	52.83	94.49
			सहायता अनुदान तथा अंशदान	136.18	144.59	--	144.59
II. भाग ख को अग्रणीत राजस्व घाटा	3,875.02	8,319.21	भाग ख को अग्रणीत राजस्व आधिक्य				
योग भाग क	41,887.10	49,117.87		41,887.10	36,357.52	12,760.35	49,117.87
भाग ख - अन्य							
III. स्थायी अग्रियों एवं नकद शेष निवेश सहित आरम्भिक नकद शेष	2,697.11	6,007.18	III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरम्भिक ओवरड्राफ्ट				
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	9.89	18.74	IV. पूंजीगत परिव्यय	3,934.60	(-) 1,121.09	4,836.62	3,715.53
			सामान्य सेवाएं	282.16	--	290.70	290.70
			सामाजिक सेवाएं	1,823.95	--	1,897.56	1,897.56
			शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	158.99	-	186.06	186.06
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	49.83	-	64.87	64.87
			जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	1,500.63	-	1,418.25	1,418.25
			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1.25	-	1.25	1.25
			समाज कल्याण एवं पोषण	1.93	-	56.84	56.84
			अन्य	111.32	-	170.29	170.29

प्राप्तियां			संवितरण				
2013-14		2014-15	2013-14	2014-15			
				नोंन - प्लान	प्लान	कुल	
			आर्थिक सेवाएं	1,828.49	(-1,121.09)	2,648.36	1,527.27
			कृषि एवं सहायक गतिविधियां	(-1,075.70)	(-1,121.43)	68.40	(-) 1,053.03
			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	908.29	-	965.33	965.33
			ऊर्जा	100.08	-	66.94	66.94
			उद्योग एवं खनिज	6.05	-	1.22	1.22
			परिवहन	1,869.48	0.34	1,516.96	1,516.96
			सामान्य आर्थिक सेवाएं	20.29	-	29.51	29.51
V. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	261.85	272.82	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	775.61	296.29	546.58	842.87
बिजली परियोजनाओं से	7.94	25.95	बिजली परियोजनाओं हेतु	290.88	-	118.11	118.11
सरकारी कर्मचारियों से	207.89	217.65	सरकारी कर्मचारियों को	282.26	296.29	-	296.29
अन्यों से	46.02	29.22	अन्यों को	202.47	-	428.47	428.47
VI राजस्व आधिक्य नीचे लाया गया	-	-	VI. राजस्व घाटा नीचे लाया गया	3,875.02			8,319.21
VII. लोक ऋण प्राप्तियां बाह्य ऋण	17,604.16	18,858.75	VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान बाह्य ऋण	7,968.47			8,227.41
अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	17,262.69	18,727.99	अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	7,800.08	8,073.67		
अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल संपादन	--	--	अर्थोपाय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल संपादन	--	--		
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	341.47	130.76	केन्द्रीय सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	168.39	153.74		
VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन	-	-	VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन	-	-		
IX. आकस्मिक निधि से अंतरित राशि	-	-	IX. आकस्मिक निधि से व्यय	-	-		
X. लोक लेखा प्राप्तियां लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि.	26,548.06	28,064.30	X. लोक लेखा संवितरण लघु बचत, भविष्य निधियां, इत्यादि.	24,560.19			25,609.25
आरक्षण निधियां	511.50	1,257.10	आरक्षण निधियां	60.20	247.79		
उच्चत एवं विविध	371.03	453.48	उच्चत एवं विविध	641.64	506.32		
प्रेषण	7,521.22	6,514.21	प्रेषण	7,521.46	6,528.10		
निक्षेप एवं अग्रिम	15,645.50	17,091.82	डिपोजिट्स एवं अग्रिम	14,559.07	16,620.40		
XI. रिजर्व बैंक आफ इंडिया से संवरण ओवरड्राफ्ट			XI. समाप्ति पर नकद शेष	6,007.18			6,507.52
			कोषालयों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद	0.54	0.54		
			रिजर्व बैंक के साथ निक्षेप	(-) 652.85	75.53		
			स्थायी अग्रिमों इत्यादि सहित विभागीय नकद शेष	(-) 1.33	3.18		
			नकद शेष निवेश एवं उद्दिष्ट निवेश	6,660.82	6,428.27		
योग भाग - स्व	47,121.07	53,221.79	योग	47,121.07			53,221.79

परिशिष्ट 1.5 भाग ख
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.2; पृष्ठ 30)
31 मार्च 2015 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2014 को	देयताएं	31 मार्च 2015 को
58,143.15	आन्तरिक ऋण	68,797.47
	40,277.53 ब्याज युक्त बाजार ऋण	52,650.52
	2.31 ब्याज रहित बाजार ऋण	2.31
	2.48 जीवन बीमा निगम से ऋण	1.41
	6,329.11 अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण	3,904.06
	11,531.72 केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	12,239.17
2,150.81	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,127.83
	1984 - 85 से पूर्व के ऋण	
	48.98 योजनेतर ऋण	47.16
	2,095.50 स्टेट प्लान स्कीमों हेतु ऋण	2,074.33
	केन्द्रीय प्लान स्कीमों हेतु ऋण	-
	6.33 केन्द्रीय प्रायोजित प्लान स्कीमों हेतु ऋण	6.34
200.00	आकस्मिक निधि	200.00
10,116.63	लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	11,157.68
5,574.98	डिपोजिटस	6,046.33
3,164.21	आरक्षण निधियां	4,173.52
-	उचंत तथा विविध शेष	-
157.23	प्रेषण शेष	143.34
79,507.01		92,646.17
31 मार्च 2014 को	परिसम्पत्तियां	31 मार्च 2015 को
48,448.90	स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय	
	7,378.87 कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	7,500.22
	41,070.03 अन्य पूंजीगत परिव्यय	44,645.46
4,002.24	ऋण एवं अग्रिम	
	933.46 बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण	1,025.62
	2,328.62 अन्य विकास ऋण	2,727.87
	740.16 सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	818.80
0.78	अग्रिम	0.71
141.14	उचन्त एवं विविध शेष	193.99
-	प्रेषण शेष	
6,007.18	नकद	6,507.52
	0.54 कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	0.54
	(-) 652.85 रिजर्व बैंक में डिपोजिटस	75.53
	(-) 1.44 विभागीय नकद शेष	3.07
	0.11 स्थायी अग्रिम	0.11
	3,774.41 नकद शेष निवेश	2,571.52
	2,886.41 आरक्षण निधि निवेश	3,856.75
20,906.77	सरकारी लेखाओं पर घाटा	
	3,875.02 (i) चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य/घाटा	8,319.21
	17,031.75 (ii) गत वर्ष तक संचित घाटा	20,906.77
79,507.01	कुल	92,646.17

परिशिष्ट 1.3 तथा 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी: आगे विवरणियों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखाओं में टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के साथ पढ़े जाने हैं। सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण, सरकारी लेखे पर घाटा, जैसा कि परिशिष्ट 1.5 में दर्शाया गया है, नकद आधार पर स्थिति सूचित करता है जो वाणिज्यिक लेखांकन में अर्जन आधार के विरुद्ध है। परिणामतः, देय अथवा प्राप्य मदें अथवा स्टाक आंकड़ों में हास अथवा भिन्नता जैसे मदें लेखे में लेखाबद्ध नहीं होती। उचन्त एवं विविध शेषों में, जारी किए गए परन्तु भुगतान नहीं किए गए बैंक, राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन इत्यादि सम्मिलित हैं। लेखाओं में दर्शाए गए तथा "भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप" के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2015 को सूचित किए गए आंकड़ों में ₹ 24.51 करोड़ (जमा) का अंतर था। अंतर मिलान अधीन था (अगस्त 2015)।

परिशिष्ट 1.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 3)

वर्ष 2014-15 के लिए तेरहवें वित्त आयोग, राजकोषीय सुधार पथ तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी के अन्तर्गत निर्धारण/प्रक्षेपणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	ते.वि.आ. द्वारा निर्धारण	रा.सु.प. में प्रक्षेपण	म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपण
स्वयं का कर राजस्व	30,506.85	32,205	30,374.75
स्वयं का कर - भिन्न राजस्व	18,830.33	5,330	5,866.57
स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	49,337.18	37,535	36,241.32
योजनेतर राजस्व व्यय	24,102.58	35,210	36,777.53
योजनागत राजस्व व्यय		9,230	15,925.18
वेतन	8147.81	12,310	14,736.52
ब्याज भुगतान	6113.37	5,800	7,138.89
पेंशन	2839.36	4,570	4,500.00
सबसिडी - विद्युत		4,420	4,495.28
राजस्व घाटा	शून्य	(-) 495	5,012.57
राजकोषीय घाटा	सरा.घ.उ. का तीन प्रतिशत	(-) 8,323	सरा.घ.उ. का 2.54 प्रतिशत
बकाया ऋण	सरा.घ.उ. का 22.9 प्रतिशत	75,555	सरा.घ.उ. का 18.24 प्रतिशत
देयताएं			81,805.84

परिशिष्ट 1.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.3; पृष्ठ 27)

अंततम वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, में हानियों में चल रहे सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति

क्र. सं.	सरकारी कम्पनियां	निवेश (2014-15 तक)	संचित हानि	लेखा वर्ष
		(₹ करोड़ में)		
1.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	24.02	9.26	2010-11
2.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड	10.89	352.89	2013-14
3.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	185.74	25.28	2012-13
4.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2,745.24	438.45	2013-14
5.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	948.67	13,893.80	2013-14
6.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	865.74	10,726.59	2013-14
7.	हरियाणा वित्तीय निगम	201.98	160.60	2013-14
8.	हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड	0.24	11.76	2011-12
9.	यमुना कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	0.01	0.07	2013-14
10.	हरियाणा मॉस रेपिड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	0.51	0.15	2013-14
कुल		4,983.04	25,618.85	

परिशिष्ट 1.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.4; पृष्ठ 27)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों की सारांशित वित्तीय विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	गत खाते के अनुसार नियोजित पूंजी	साधन सरकारी पूंजी	हास मूल्य पर ब्लाक परिसम्पत्तियाँ	वर्ष के दौरान किया गया हास प्रावधान	टर्नओवर	निवल लाभ/हानि	पूंजी पर ब्याज	कुल रिटर्न (9+10)	पूंजी पर रिटर्न प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कृषि विभाग (बीज डिपो स्कीम)	1988-89	-	-	-	-	0.03	(-) 0.01	-	(-) 0.01	-
2	कृषि विभाग (कीटनाशियों का क्रय एवं वितरण)	1986-87 ¹¹	0.82	1.68	-	-	1.67	0.13	-	0.13	7.74
3	मुद्रण एवं लेखन (राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम)	2007-08	17.97	21.59	0.09	0.01	7.24	1.74	1.43	3.17	14.68
4	स्वाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम)	2013-14	6,332.83	5,886.37	-	-	6,494.56	161.73	386.35	548.08	9.31
5	परिवहन विभाग हरियाणा रोडवेज	2009-10	678.74	643.37	635.67	(-) 1.59 ¹²	668.06	(-) 288.83	50.82	(-) 238.01	-
कुल			7,030.36	6,553.01	635.76	(-) 1.58	7,171.56	(-) 125.24	438.60	313.36	31.73

¹¹ ये स्कीमें 1986-87 के बाद सहकारी समितियों को अंतरित की गई।

¹² नेगेटिव आंकड़े, वर्ष 2009-10 में हास आरक्षण निधि में कमी के कारण हैं।

परिशिष्ट 1.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.5; पृष्ठ 27)

कार्यान्वयनाधीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मूलभूत संरचना परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग / एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी. / बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तारीख	पूर्णता की संभावित तारीख
1.	राई मलिकपुर का विकास (राजस्थान सीमा) - हरियाणा राज्य में नारनौल - महेन्द्रगढ़ - दादरी - भिवानी - स्वरक गलियारा	लोनिवि. (भ. व. स.)	1201.70	डी.बी.एफ.ओ.टी.	-	राज्य सरकार ने इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया (फरवरी 2015)। अतः, डी.बी.एफ.ओ.टी. के अंतर्गत सड़क के निर्माण हेतु प्रस्ताव को स्वगित रखा गया है।
2.	कुण्डली मानेसर पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेसवे का निर्माण	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	4000.00	बी.ओ.टी.	14 नवंबर 2005	रियायत अनुबंध निरस्त किया गया है। मानेसर-पलवल सेक्शन का कार्य आईटम रेट मोड पर अबतक किया गया जोकि जनवरी 2016 तक पूरा किया जाएगा तथा कुण्डली-मानेसर सेक्शन जून 2018 तक पूरा किया जाएगा।
3.	मनोरंजन पार्क गुडगांव का निर्माण	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	230.00	संयुक्त उद्यम	01 अप्रैल 2004	कंपनी ने हानियों के कारण होटल ब्लॉक को बेचने की अनुमति मांगी। शेष वाणिज्यिक क्षेत्र अब तक आपरेजनल नहीं है।
4.	रिलायंस विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, गुडगांव	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	12,500.00	संयुक्त उद्यम	19 जून 2006	सरकार ने भूमि अधिग्रहण की लागत के रूप में रिलायंस को ₹ 349.39 करोड़ वापस किए थे।
5.	रिलायंस विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, ब्रजजर	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	12,500.00	संयुक्त उद्यम	19 जून 2006	
6.	यूनिटेक विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, कुण्डली - सोनीपत	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	22,000.00	संयुक्त उद्यम	04 अप्रैल 2007	परियोजना स्वगित रखी गई है।
7.	पेट्रोकेमिकल हब, पानीपत	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	3,730.00	संयुक्त उद्यम	14 अप्रैल 2006	परियोजना शुरू नहीं की जा सकी क्योंकि एच.एस.आई.आई.डी.सी. स्वयं परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा था।
8.	नैनोसिटी, पंचकुला	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	1,846.00	संयुक्त उद्यम	31 अक्टूबर 2006	परियोजना रद्द की गई तथा 22 जनवरी 2013 को प्रोमोटर्स को सूचना दी गई।
9.	यूरोपियन टेक्नोलोजी पार्क, फरीदाबाद	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	1,448.00	संयुक्त उद्यम	10 अक्टूबर 2006	परियोजना रद्द की गई तथा 22 जनवरी 2013 को प्रोमोटर्स को सूचना दी गई।
10.	दिल्ली मेट्रो सिकन्दरपुर से सैक्टर-56, गुडगांव तक मेट्रो लिंक का विकास	एच.एम.आर. टी.सी.एल.	2143.00	डी.बी.एफ.ओ.टी.	1 अक्टूबर 2012	मार्च 2016 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।
11.	बदरपुर से फरीदाबाद मेट्रो	एच.एम.आर. टी.सी.एल.	2494.00		24 मार्च 2012	परियोजना को जून/जुलाई 2015 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।
12.	मुंडका से बहादुरगढ़ मेट्रो	एच.एम.आर. टी.सी.एल.	787.96		02 फरवरी 2013	परियोजना को दिसंबर 2016 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।
13.	वाई.एम.सी.ए. चौक से बल्लभगढ़ मेट्रो	एच.एम.आर. टी.सी.एल.	715.00		20 फरवरी 2014	परियोजना को दिसंबर 2017 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग / एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी. / बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तारीख	पूर्णता की संभावित तारीख
14.	सामान्य सेवा केन्द्र स्कीम	हारटोन	18.00	बी.ओ.टी.	17 अप्रैल 2007	वर्तमान में आपरेशनल नहीं हैं। विकल्पी माडलज का अध्ययन किया जा रहा है। आई.टी. विभाग विश्लेषण कर रहा है तथा नया मॉडल बनाएगा।
15.	आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत पूर्ण सुविधा प्रबंध	स्कूल शिक्षा	39.78	बी.ओ.ओ. / बी.ओ.ओ.टी.	19 नवंबर 2009	नवंबर 2014 तक पूरा किया जाना था। मार्च 2015 को प्रगति पर।
16.	आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत पूर्ण सुविधा प्रबंध	स्कूल शिक्षा	11.22	बी.ओ.ओ. / बी.ओ.ओ.टी.	25 नवंबर 2009	नवंबर 2014 तक पूरा किया जाना था। मार्च 2015 को प्रगति पर।
17.	213 गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत विस्तृत कम्प्यूटर शिक्षा परियोजना	स्कूल शिक्षा	47.00	बी.ओ.ओ. / बी.ओ.ओ.टी.	03 मार्च 2010	सितंबर 2015 तक लक्ष्य पूर्ण किया जाना है।
कुल			58,821.70			

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 40)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 100 करोड़ से अधिक थी, की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	पूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचतें	अभ्यर्पण
राजस्व (दत्तमत)							
1	6 - वित्त	4,565.51	299.82	4,865.33	4,654.48	210.85	210.73
2	7 - आयोजना तथा सार्विकी	409.04	0.36	409.40	75.82	333.58	329.29
3	9 - शिक्षा	9,459.11	654.62	10,113.73	8,744.23	1,369.50	1,372.37
4	10 - तकनीकी शिक्षा	491.20	-	491.20	354.12	137.08	130.30
5	13 - स्वास्थ्य	2,699.87	50.00	2,749.87	2,173.69	576.18	579.50
6	15 - स्थानीय सरकार	2,070.98	50.00	2,120.98	1,536.98	584.00	422.07
7	20 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2,909.22	249.20	3,158.42	2,878.66	279.76	279.85
8	21 - महिला एवं बाल विकास	886.10	6.80	892.91	697.83	195.08	195.26
9	23 - खाद्य एवं आपूर्ति	366.66	-	366.66	200.24	166.42	166.43
10	24 - सिंचाई	1,621.54	3.95	1,625.49	1,113.49	512.00	222.76
11	27 - कृषि	1,254.54	21.60	1,276.14	802.40	473.74	455.65
12	32 - ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास	2,503.01	55.87	2,558.87	1,977.92	580.95	520.46
13	34 - परिवहन	1,878.38	30.20	1,908.58	1,791.66	116.92	112.25
14	38 - जन-स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति	1,427.29	48.40	1,475.69	1,360.20	115.49	83.42
15	40 - ऊर्जा और विद्युत	4,533.76	843.22	5,376.98	5,256.49	120.49	120.43
कुल		37,076.21	2,314.04	39,390.25	33,618.21	5,772.04	5,200.77
राजस्व (भारित)							
16	6 - वित्त	7,605.32	943.31	8,548.63	7,581.77	966.86	181.16
कुल		7,605.32	943.31	8,548.63	7,581.77	966.86	181.16

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	पूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचतें	अभ्यर्पण
पूंजीगत (दत्तमत)							
17	8 - भवन एवं सड़क	2,073.62	221.33	2,294.96	1,845.35	449.61	450.98
18	14 - शहरी विकास	800.00	--	800.00	427.77	372.23	376.98
19	21 - महिला एवं बाल विकास	170.49	50.10	220.59	56.62	163.97	163.97
20	23 - खाद्य एवं आपूर्ति	8,806.61	--	8,806.61	5,542.49	3,264.12	3,264.12
21	38 - जन-स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति	1,000.20	106.50	1,106.70	959.96	146.74	153.54
22	40 - ऊर्जा और विद्युत	500.00	-	500.00	66.94	433.06	433.06
23	45 - ऋण एवं अग्रिम	1,001.41	--	1,001.41	842.87	158.54	158.92
कुल		14,352.33	377.93	14,730.27	9,742.00	4,988.27	5,001.57
पूंजीगत (भारित)							
24	लोक ऋण	13,849.85	-	13,849.85	8,227.41	5,622.44	5,622.93
कुल		13,849.85	-	13,849.85	8,227.41	5,622.44	5,622.93
कुल योग		72,883.71	3,635.28	76,519.00	59,169.39	17,349.61	16,006.43

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.4; पृष्ठ 42)

2014 - 15 के दौरान प्रावधान के बिना किए गए व्यय का ब्यौरा

क्र.स.	अनुदान की संख्या तथा नाम	प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	व्यय का लघु/उप-शीर्ष
1.	24 - सिंचाई	0.19	01-बहुउद्देश्य नदी परियोजना (वाणिज्यिक), 93-मुख्य अभियंता
2.	2700-मुख्य सिंचाई	129.10	02-पश्चिमी जमुना कैनल प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक), 800-अन्य व्यय, 99-ब्याज
3.		2.23	02-पश्चिमी जमुना कैनल प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता
4.		48.94	80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 97-निष्पादन सिंचाई
5.		4.06	80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 98-पर्यवेक्षण सिंचाई
6.		3.98	80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 95-विशेष राजस्व प्रभार
7.		1.72	18-गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व
8.		2.00	05-जवाहरलाल नेहरू कैनल परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता
9.		0.24	05-जवाहरलाल नेहरू कैनल परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व
10.		1.39	04-लोहारू कैनल परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता
11.		0.29	24-जल क्षेत्र प्रबंधन, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता
12.	24 - सिंचाई 4701-मध्यम	116.44	07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता
13.	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	17.62	07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व
14.		8.02	07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता
15.		6.58	07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षण अभियंता
16.		0.23	07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 88-पेंशनरी प्रभार
17.		36.70	06-जल के उचित बंटवारे के लिए नई माइनर, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता
18.		5.55	06-जल के उचित बंटवारे के लिए नई माइनर, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व
19.		2.53	06-जल के उचित बंटवारे के लिए नई माइनर, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता

क्र.स.	अनुदान की संख्या तथा नाम	प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	व्यय का लघु/उप-शीर्ष
20.	24 - सिंचाई 4701 - मध्यम	2.07	06 - जल के उचित बंटवारे के लिए नई माइनर, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 92 - अधीक्षण अभियंता
21.	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5.92	23 - राज्य में जल निकायों का विकास, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 91 - कार्यकारी अभियंता
22.		0.90	23 - राज्य में जल निकायों का विकास, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 89 - विशेष राजस्व
23.		0.41	23 - राज्य में जल निकायों का विकास, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 93 - मुख्य अभियंता
24.		0.33	23 - राज्य में जल निकायों का विकास, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 92 - अधीक्षण अभियंता
25.		6.88	80 - सामान्य, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 91 - कार्यकारी अभियंता
26.		1.04	80 - सामान्य, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 89 - विशेष राजस्व
27.		0.47	80 - सामान्य, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 93 - मुख्य अभियंता
28.		0.39	80 - सामान्य, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 92 - अधीक्षण अभियंता
29.		0.98	19 - कौशल्या डैम, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 91 - कार्यकारी अभियंता
30.		24 - सिंचाई	72.35
31.	4711 - बाढ़	7.19	01 - बाढ़ नियंत्रण, 001 - निदेशन तथा प्रशासन, 95 - विशेष राजस्व
32.	नियंत्रण	4.80	01 - बाढ़ नियंत्रण, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 99 - मुख्य अभियंता
33.	परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3.53	01 - बाढ़ नियंत्रण, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 98 - अधीक्षण अभियंता
34.	24 - सिंचाई 4700 - मुख्य	64.24	16 - विद्यमान चैनलों/ट्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 91 - कार्यकारी अभियंता
35.	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	7.84	16 - विद्यमान चैनलों/ट्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 89 - विशेष राजस्व
36.		3.96	16 - विद्यमान चैनलों/ट्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 93 - मुख्य अभियंता
37.		3.04	16 - विद्यमान चैनलों/ट्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 92 - अधीक्षण अभियंता
38.		19.69	13 - नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 91 - कार्यकारी अभियंता
39.		2.40	13 - नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 89 - विशेष राजस्व
40.		1.21	13 - नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 93 - मुख्य अभियंता
41.		0.93	13 - नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 92 - अधीक्षण अभियंता

क्र.स.	अनुदान की संख्या तथा नाम	प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	व्यय का लघु/उप-शीर्ष
42.		5.19	15 - चैनलों की लाईनिंग, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 91 - कार्यकारी अभियंता
43.		0.63	15 - चैनलों की लाईनिंग, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 89 - विशेष राजस्व
44.		0.32	15 - चैनलों की लाईनिंग, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 93 - मुख्य अभियंता
45.		0.25	15 - चैनलों की लाईनिंग, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 92 - अधीक्षण अभियंता
46.		3.71	14 - दादुपुर नलवी सिंचाई परियोजना, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 91 - कार्यकारी अभियंता
47.		0.45	14 - दादुपुर नलवी सिंचाई परियोजना, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 89 - विशेष राजस्व
48.		0.23	14 - दादुपुर नलवी सिंचाई परियोजना, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 93 - मुख्य अभियंता
49.		0.18	14 - दादुपुर नलवी सिंचाई परियोजना, 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 92 - अधीक्षण अभियंता
50.	लोक ऋण	228.74	6003 - राज्य सरकार के आंतरिक ऋण। 109 - अन्य संस्थाओं से ऋण। 97 - सड़कों (भवन एवं सड़क) के उन्नयन के लिए एन.सी.आर.पी.बी. से ऋण।
	कुल	838.08	

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.6; पृष्ठ 43)

उन मामलों के विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	प्रावधानों में से बचतें
राजस्व (दत्तमत)					
1	1-विधानसभा	63.66	10.88	61.55	12.99
2	3-सामान्य प्रशासन	169.64	8.77	164.63	13.78
3	5-आबकारी एवं कराधान	181.76	1.05	153.41	29.40
4	9- शिक्षा	9,459.11	654.62	8,744.23	1,369.49
5	11-खेल एवं युवा कल्याण	183.28	48.40	172.85	58.82
6	13-स्वास्थ्य	2,699.87	50.00	2,173.69	576.18
7	15-स्थानीय शासन	2,070.98	50.00	1,536.98	584.00
8	16- श्रम	36.74	3.63	34.87	5.49
9	18- औद्योगिक प्रशिक्षण	208.45	15.97	200.42	24.00
10	20- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2,909.22	249.20	2,878.66	279.76
11	21-महिला एवं बाल विकास	886.10	6.80	697.83	195.08
12	24- सिंचाई	1,621.54	3.95	1,113.49	512.00
13	26- स्वदान एवं भू- विज्ञान	10.31	0.78	9.11	1.98
14	27-कृषि	1,254.54	21.60	802.40	473.74
15	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2,503.01	55.87	1,977.92	580.96
16	33- सहकारिता	246.59	9.30	240.03	15.86
17	34- परिवहन	1,878.38	30.20	1,791.66	116.92
18	38-जन - स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,427.29	48.40	1,360.20	115.49
19	41-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई.टी.	26.67	10.87	23.71	13.83
20	44-मुद्रण एवं लेखन - सामग्री	35.70	1.50	33.23	3.97
उप - योग		27,872.84	1,281.79	24,170.87	4,983.74
राजस्व (भारित)					
21	6-राजस्व	7,605.32	943.31	7,581.77	966.86
22	36- गृह	2.80	1.00	2.31	1.49
उप - योग		7,608.12	944.31	7,584.08	968.35
पूंजीगत (दत्तमत)					
23	8-भवन एवं सड़क	2,073.62	221.33	1,845.35	449.61
24	13- स्वास्थ्य	75.00	40.00	36.25	78.75
25	21 महिला एवं बाल विकास	170.48	50.11	56.62	163.97
26	34- परिवहन	196.20	1.00	168.07	29.13
27	36- गृह	124.00	15.00	120.16	18.84
28	38-जन - स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,000.20	106.50	959.96	146.74
उप - योग		3,639.50	433.94	3,186.41	887.04
कुल योग		39,120.46	2,660.04	34,941.36	6,839.13

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 43)

प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक की निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
1	01	विधान सभा	2011- संसद /स्टेट /यू.टी. विधायिका 02- स्टेट /यू.टी. विधायिका 103- विधानसभा सचिवालय 98- मुख्य संसदीय सचिव /संसदीय सचिव	(ओ) 21.65 (एस) 8.38 (आर) (-) 9.46 20.57	18.79	(-) 1.78
2	03	सामान्य प्रशासन	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं 003- प्रशिक्षण 98- हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान 98- स्थापना व्यय	(ओ) 8.34 (आर) 0.50 8.84	6.75	(-) 2.09
3	04	राजस्व	2245- प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 05- राज्य आपदा अनुक्रिया फंड 101- राज्य आपदा अनुक्रिया फंड 99- राज्य अंशदान	(ओ) 234.48 (एस) 108.00 (आर) (-) 131.11 211.37	216.37	(+) 5.00
4			2245- प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 02- बाढ़, तूफान आदि 101- आनुश्रुतिक राहत 97- बीज, खाद तथा कृषीय उपकरणों की आपूर्ति	(ओ) 65.00 (आर) (-) 23.45 41.55	51.55	(+) 10.00
5			2030- स्टॉम्पस एवं पंजीकरण 102- स्टॉम्पस की बिक्री पर व्यय 99- चैकिंग स्टाफ	(ओ) 4.00 (आर) 1.29 5.29	1.77	(-) 3.52
6			3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं 091- संबद्ध कार्यालय 99- राजस्व विभाग	(ओ) 6.02 (आर) (-) 5.57 0.45	4.78	(+) 4.33
7			2245- प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 01- सूखा 101- आनुश्रुतिक राहत 98- बीज, खाद तथा कृषीय उपकरणों की आपूर्ति	(ओ) 9.00 (आर) (-) 9.00	84.64	(+) 84.64
8			2245- प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 80- सामान्य 800- अन्य व्यय 99- औलावृष्टि राहत /शीत लहर /पासा राहत	(ओ) 64.39 (आर) (-) 16.20 48.19	109.17	(+) 60.98
9			2245- प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 02- बाढ़, तूफान आदि 101- आनुश्रुतिक राहत 99- भोजन एवं वस्त्र	(ओ) 2.50 (आर) (-) 2.50	31.01	(+) 31.01
10			2245- प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 02- बाढ़, तूफान आदि 800- अन्य व्यय	(ओ) 3.85 (आर) (-) 3.85	18.53	(+) 18.53
11			2245- प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 122- क्षतिग्रस्त सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यों की मरम्मत एवं पुनर्बाध	(ओ) 5.00 (आर) (-) 5.00	11.81	(+) 11.81

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
12	6	वित्त	2049 ब्याज भुगतान 01- आंतरिक ऋण पर ब्याज 200- अन्य आंतरिक ऋण पर ब्याज 92- एन.सी.आर.पी.बी. से ऋणों पर ब्याज	(ओ) 224.26 (आर) (-) 34.99 189.27	142.35	(-)46.92
13			2049- ब्याज भुगतान 01- आंतरिक ऋण पर ब्याज 101- बाजार ऋणों पर ब्याज 99- ब्याज वाले बाजार ऋणों पर ब्याज	(ओ) 3,344.40 (एस) 31.86 (आर) 447.62 3,823.88	3,653.11	(-)170.77
14			2049- ब्याज भुगतान 01- आंतरिक ऋण पर ब्याज 123- राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज 93- लघु बचत संग्रहण पर ब्याज	(ओ) 1001.63 (आर) 16.48 1018.11	1122.61	(+)104.50
15			2049- ब्याज भुगतान 01- आंतरिक ऋण पर ब्याज 305- ऋण का प्रबंधन 99- नए ऋणों आदि के निर्गम पर व्यय	(ओ) 2.00 (आर) 2.00 4.00	13.78	(+)9.78
16			2049- ब्याज भुगतान 01- आंतरिक ऋण पर ब्याज 200- अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज 91- 8.5% राज्य सरकार के कर मुक्त स्पेशल बांड्स (पावर बांड्स)	(ओ) 31.19 (आर) (-) 27.75 3.44	38.68	(+)35.24
17	07	आयोजना एवं सांख्यिकी	3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं 102- जिला आयोजना मशीनरी 95- जिला योजना	(ओ) 235.00 (आर) (-) 201.93 33.07	29.44	(-) 3.63
18	8	भवन एवं सड़कें	2059- लोक निर्माण 80- सामान्य 052- मशीनरी तथा उपकरण 96- मशीनरी	(ओ) 6.25 (आर) 0.39 6.64	4.66	(-) 1.98
19			3054- सड़क एवं पुल 04- जिला एवं अन्य सड़कें 337- सड़क निर्माण 98- ग्रामीण सड़क	(ओ) 431.46 (आर) 36.13 467.59	472.21	(+)4.62
20			3054- सड़क एवं पुल 80- सामान्य 797- रिजर्व फंड्स / डिपोजिट अकाउंट्स से/को अन्तरण 99- सी.आर.एफ. से अन्तरण - अन्तर्लेखा अंतरण	(ओ) 67.00 (आर) 8.19 75.19	73.73	(-)1.46
21			4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01- सरकारी आवासीय भवन 106- सामान्य पूल आवास 99- न्याय प्रशासन	(ओ) 10.00 (आर) 5.51 15.51	14.34	(-) 1.17
22	9	शिक्षा	2202- सामान्य शिक्षा 01- सामान्य शिक्षा 101- सरकारी प्राथमिक स्कूल 98- मिडल शिक्षा कक्षाएं VI से VIII 98- स्थापना व्यय	(ओ) 2118.73 (आर) (-) 189.17 1929.56	1932.44	(+) 2.88

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
23	10	तकनीकी शिक्षा	2203- तकनीकी शिक्षा 105- बहुतकनीकी 54- एकीकृत कौशल विकास स्कीमें (आई.एस.डी.एस.)	(ओ) - (एस) 0.00 (आर) 9.31 9.31	2.33	(-) 6.98
24	14	शहरी विकास	4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिष्यय 60- अन्य शहरी विकास स्कीम 051- निर्माण 97- जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए प्रोत्साहन पैकेज	(ओ) 350.00 (आर) (-) 107.14 242.86	247.61	(+) 4.75
25	15	स्थानीय शासन	2217- शहरी विकास 80- सामान्य 191- स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता 96- नगर निगम को स्टॉम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान	(ओ) 400.00 (आर) (-) 10.47 389.53	289.16	(-) 100.37
26			2217- शहरी विकास 80- सामान्य 192- नगर पालिकाओं/परिषदों को सहायता 92- नगर पालिकाओं/परिषदों को स्टॉम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान	(ओ) 200.00 (आर) (-) 19.75 180.25	118.69	(-) 61.56
27	18	औद्योगिक प्रशिक्षण	4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिष्यय 800- अन्य व्यय 93- भेवात क्षेत्र में प्रशिक्षण मूलभूत संरचना का विकास	(ओ) 25.00 (एस) 40.39 (आर) (-) 0.35 65.04	59.01	(-) 6.03
28			2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण 277- शिक्षा 93- पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप	(ओ) 12.36 (आर) (-) 6.79 5.57	4.11	(-) 1.46
29	24	सिंचाई	2700- मुख्य सिंचाई 02- पश्चिमी जमुना कैनल प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक) 001- निदेशन एवं प्रशासन 91- कार्यकारी अभियंता	(ओ) 366.95 (आर) (-) 51.07 315.88	33.61	(-) 282.27
30			2700- मुख्य सिंचाई 02- पश्चिमी जमुना कैनल प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक) 001- निदेशन एवं प्रशासन 89- विशेष राजस्व	(ओ) 43.79 (आर) (-) 7.99 35.80	4.05	(-) 31.75
31			2700- मुख्य सिंचाई 02- पश्चिमी जमुना कैनल प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक) 001- निदेशन एवं प्रशासन 92- अधीक्षण अभियंता	(ओ) 26.30 (आर) (-) 7.30 19.00	1.64	(-) 17.36

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
32			2700- मुख्य सिंचाई 800- अन्य व्यय 98- ऊर्जा प्रभार	(ओ) 35.00 (आर) (-) 9.97 25.03	26.09	(+) 1.06
33			2700- मुख्य सिंचाई 01- बहु-उद्देश्य नदी प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक) 001- निदेशन एवं प्रशासन 91- कार्यकारी अभियंता	(ओ) 73.64 (आर) (+) 1.37 75.01	3.52	(-) 71.49
34			2700- मुख्य सिंचाई 01- बहु-उद्देश्य नदी प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक) 001- निदेशन एवं प्रशासन 89- विशेष राजस्व	(ओ) 21.43 (आर) (-) 3.32 18.11	0.61	(-) 17.50
35			2700- मुख्य सिंचाई 01- बहु-उद्देश्य नदी प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक) 001- निदेशन एवं प्रशासन 92- अधीक्षण अभियंता	(ओ) 2.81 (आर) (-) 0.35 2.47	0.15	(-) 2.32
36			2700- मुख्य सिंचाई 80- सामान्य 001- निदेशन एवं प्रशासन 93- मुख्य अभियंता	(ओ) 35.63 (आर) (-) 5.42 30.21	6.26	(-) 23.95
37			2700- मुख्य सिंचाई 800- अन्य व्यय 98- सुधार उन्नयन/परिचालन एवं अनुरक्षण	(ओ) 45.00 (आर) (-) 5.50 39.50	35.08	(-) 4.42
38			2700- मुख्य सिंचाई 18- गैर - वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001- निदेशन एवं प्रशासन 91- कार्यकारी अभियंता	(ओ) 47.09 (आर) (-) 3.63 43.46	13.86	(-) 29.60
39			2700- मुख्य सिंचाई 18- गैर - वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001- निदेशन एवं प्रशासन 92- अधीक्षण अभियंता	(ओ) 4.66 (आर) (-) 1.40 3.26	0.64	(-) 2.62
40			2700- मुख्य सिंचाई 18- गैर - वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001- निदेशन एवं प्रशासन 93- मुख्य अभियंता	(ओ) 3.25 (आर) (-) 0.16 3.09	0.82	(-) 2.27
41			2705- कमांड क्षेत्र विकास 190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता 95- कैनल क्षेत्र (50% आधार) के लिए क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी.ए.डी.)	(ओ) 131.35 (एस) 3.95 (आर) (-) 53.26 82.04	78.09	(-) 3.95
42			2701- मध्यम सिंचाई 10- सिवानी लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक) 800- अन्य व्यय 98- ऊर्जा प्रभार	(ओ) 22.00 (आर) (-) 7.00 15.00	13.78	(-) 1.22
43			2700- मुख्य सिंचाई 01- लोहारू कैनल प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक) 800- अन्य व्यय 98- ऊर्जा प्रभार	(ओ) 28.00 (आर) (-) 2.00 26.00	28.39	(+) 2.39

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
44			2700- मुख्य सिंचाई 02-जवाहर लाल नेहरू कैनल प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक) 800- अन्य व्यय 98- ऊर्जा प्रभार	(ओ) 130.00 (आर) 5.00 135.00	130.00	(-) 5.00
45			2701- मध्यम सिंचाई 07- नाबाई के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार 800- अन्य व्यय 99- ब्याज	(ओ) 132.34 (आर) (-) 7.00 125.34	132.34	(+)7.00
46			2701- मध्यम सिंचाई 14- जल स्रोत समेकित परियोजना 800- अन्य व्यय 99- ब्याज	(ओ) 43.31 (आर) (-)2.17 41.14	43.31	(+) 2.17
47			4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07- नाबाई के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार 800- अन्य व्यय 98- कैनल का नाबाई निर्माण	(ओ) 80.50 (आर) 7.00 87.50	146.56	(+)59.06
48			4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 800- अन्य व्यय 98- कैनल की नई माईनर कंस्ट्रक्शन	(ओ) 20.00 (आर) (-) 1.99 18.01	38.13	(+) 20.12
49			4700- बृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13- कैनल सिस्टम का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग 800- अन्य व्यय 97- बी.एम.एल. हांसी ब्रांच - बुटाना ब्रांच मल्टीपरपज लिंक चैनल	(ओ) 1.00 (आर) (-) 0.06 0.94	6.00	(+) 5.06
50			4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07- नाबाई के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार 789- अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक प्लान 99- राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए आर.आई.डी.एफ. (नाबाई) के अंतर्गत पुराने/विद्यमान चैनलों का सुधार	(ओ) 69.50 (आर) 6.10 75.60	32.43	(-) 43.17
51			4700- बृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13- कैनल सिस्टम का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग 789- अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक प्लान 99- पुनरुद्धार कैनल नेटवर्क - राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में वाटर कोर्सिस के पुनरुद्धार में सुधार	(ओ) 30.00 (आर) (-) 0.05 29.95	4.31	(-) 25.64
52			4700- बृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13- कैनल सिस्टम का आधुनिकीकरण एवं लाईनिंग 800- अन्य व्यय 98- पुनरुद्धार कैनल नेटवर्क - कैनल का निर्माण	(ओ) 40.75 (आर) 4.51 45.26	18.48	(-) 26.78

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
53			4700- बृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 14- दादूपुर नलवी सिंचाई परियोजना 789- अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक प्लान 99- राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में भीठे पानी में दादूपुर नलवी रिचार्ज गाऊंड वाटर	(ओ) 2.50 (आर) (-) 1.33 1.17	--	(-)1.17
54			4700- बृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 14- दादूपुर नलवी सिंचाई परियोजना 800- अन्य व्यय 98- दादूपुर नलवी - कौनाल का निर्माण	(ओ) 4.00 (आर) (-) 0.97 3.03	4.29	(+) 1.26
55	27		2415- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा 01- फसल पालन 277- शिक्षा 99- हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	(ओ) 124.97 (आर) (-) 28.79 96.18	78.73	(-) 17.45
56	28	पशुपालन एवं डेयरी विकास	2403- पशुपालन 102- पशु एवं भेस विकास 95- अंबाला, भिवानी, जींद, पेहोवा तथा सिरसा में गहन पशु विकास परियोजनाओं के स्थापन की स्कीम	(ओ) 40.21 (आर) (-) 1.67 38.53	36.64	(-) 1.89
57			2403- पशुपालन 101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 94- नई पशु चिकित्सा डिस्पेंसरियां खोलना	(ओ) 31.47 (आर) (-) 4.48 26.99	32.49	(+) 5.51
58			2403- पशुपालन 101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 95- पशु चिकित्सा अस्पताल तथा डिस्पेंसरियों की निरंतरता	(ओ) 70.54 (आर) (-) 3.84 66.70	68.46	(+) 1.76
59	34	परिवहन	3055- सड़क परिवहन 201- हरियाणा रोडवेज 98- बी - ओपरेशन	(ओ) 1399.14 (एस) 30.00 (आर) (-) 64.56 1364.57	1360.12	(-) 4.45
60	38	जन- स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	2215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता 01- जलापूर्ति 799- उंचत 99- उंचत	(ओ) 4.00 (आर) (-) 2.00 2.00	(-) 26.34	(-) 28.33
61			2215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता 01- जलापूर्ति 101- शहरी जलापूर्ति प्रोग्राम 99- शहरी जलापूर्ति एवं सीवरेज का अनुरक्षण 98- अनुरक्षण प्रभार	(ओ) 67.50 (एस) 10.00 (आर) 5.55 83.05	79.46	(-) 3.59
62			4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 02- सीवरेज एवं स्वच्छता 101- शहरी स्वच्छता सेवाएं 94- सीवरेज एवं स्वच्छता	(ओ) 150.00 (आर) 6.65 156.65	157.91	(+) 1.26

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
63			4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01- जलापूर्ति 102- ग्रामीण जलापूर्ति 93- ग्रामीण जलापूर्ति 93- नाबाई	(ओ) 98.40 (आर) (-) 8.17 90.23	92.99	(+) 2.76
64			4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01- जलापूर्ति 102- ग्रामीण जलापूर्ति 96- मरुस्थल विकास कार्यक्रम	(ओ) 99.00 (एस) 2.43 (आर) (-) 1.04 100.39	102.31	(+) 1.92
65	41	इलेक्ट्रॉनिक तथा आई.टी.	2852- उद्योग 07- दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग 202- इलेक्ट्रॉनिक 89- नेशनल ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान	(ओ) 5.96 (एस) 10.87 (आर) 3.67 20.50	9.63	(-) 10.87
66		लोक ऋण	6003- राज्य सरकार के आंतरिक ऋण 109- अन्य संस्थानों से ऋण 99- एनसी.आर.पी.बी. (पी.एच. तथा बी. एंड आर.) से ऋण	(ओ) 366.06 (आर) (-) 49.75 316.31	77.38	(-) 238.93
						(-) 1307.71 (+) 499.40

सार	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
विनियोजन पर अतिरिक्त व्यय (+)	27	(+) 504.57
विनियोजन में से बचत (-)	39	(-) 1,307.71
कुल	66	

₹ 10 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 25 करोड़ से कम के आधिक्य के मामले	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
क्र.सं. 10, 11 और 48	3	50.46
₹ 10 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 25 करोड़ से कम की बचत के मामले		
क्र.सं. 31, 34, 36, 55 और 65	5	87.13
कुल	8	

₹ 25 करोड़ से अधिक के आधिक्य के मामले	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
क्र.सं. 7, 8, 9, 14, 16 और 47	6	375.43
₹ 25 करोड़ से अधिक के बचत के मामले		
क्र.सं. 12, 13, 25, 26, 29, 30, 35, 38, 50, 51, 52, 60 और 66	13	1,157.58
कुल	19	

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 43)

मार्च 2015 की समाप्ति पर ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/संख्या	मूल	पूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें/ आधिक्य (-)	अभ्यर्पित राशि
राजस्व (दत्तमत)							
1	1-विधान सभा	63.66	10.88	74.54	61.55	12.99	11.56
2	3-सामान्य प्रशासन	169.64	8.77	178.41	164.63	13.78	11.59
3	4-राजस्व	891.38	122.71	1,014.09	929.34	84.75	303.20
4	5-आवकारी एवं कराधान	181.76	1.05	182.81	153.41	29.40	29.65
5	6-वित्त	4,565.51	299.81	4,865.33	4,654.48	210.85	210.73
6	7-योजना एवं सांख्यिकी	409.04	0.36	409.40	75.82	333.58	329.29
7	8-भवन एवं सड़क	1,159.12		1,159.12	1,077.58	81.54	82.59
8	9-शिक्षा	9,459.11	654.62	10,113.73	8,744.23	1,369.50	1,372.37
9	10-तकनीकी शिक्षा	491.20	--	491.20	354.12	137.08	130.30
10	11-खेल एवं युवा कल्याण	183.28	48.40	231.67	172.85	58.82	56.26
11	13-स्वास्थ्य	2,699.87	50.00	2,749.87	2,173.69	576.18	579.50
12	14-शहरी विकास	136.08	--	136.08	103.44	32.64	32.50
13	15-स्थानीय शासन	2,070.98	50.00	2,120.98	1,536.98	584.00	422.07
14	17-रोजगार	79.86	--	79.86	54.71	25.15	25.26
15	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	208.45	15.97	224.42	200.42	24.00	24.47
16	19-एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	365.09	--	365.09	270.00	95.09	91.61
17	20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2,909.22	249.20	3,158.42	2,878.66	279.76	279.85
18	21-महिला एवं बाल विकास	886.10	6.80	892.91	697.83	195.08	195.26
19	23-स्वाद्य एवं आपूर्ति	366.66	--	366.66	200.24	166.42	166.43
20	24-सिंचाई	1,621.54	3.95	1,625.49	1,113.49	512.00	222.76
21	27-कृषि	1,254.54	21.60	1,276.14	802.40	473.74	455.65
22	28-पशुपालन एवं डेरी विकास	556.07	--	556.07	504.74	51.33	51.45
23	30-वन एवं वन्य जीवन	315.41	32.12	347.53	315.97	31.56	33.97
24	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2,503.01	55.87	2,558.87	1,977.92	580.95	520.46
25	33-सहकारिता	246.59	9.30	255.89	240.03	15.86	15.93
26	34-परिवहन	1,878.38	30.20	1,908.58	1,791.66	116.92	112.25
27	36-गृह	2,598.68	80.04	2,678.72	2,653.61	25.11	25.74
28	37-निर्वाचन	100.23		100.23	85.50	14.73	14.75
29	38-जन-स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	1,427.29	48.40	1,475.69	1,360.20	115.49	83.42
30	39-सूचना एवं प्रचार	145.62	--	145.62	101.33	44.29	44.25
31	40-ऊर्जा एवं विद्युत	4,533.77	843.22	5,376.99	5,256.49	120.49	120.43
32	42-न्याय-प्रशासन	351.54	123.27	474.81	376.74	98.07	96.98
	कुल	44,828.68	2,766.54	47,595.22	41,084.06	6,511.16	6,152.53

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान/संख्या	मूल	पूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें/आधिक्य (-)	अभ्यर्पित राशि
राजस्व (भारित)							
33	6-वित्त	7,605.32	943.31	8,548.63	7,581.77	966.86	181.16
	कुल	7,605.32	943.31	8,548.63	7,581.77	966.86	181.16
पूँजीगत (दत्तमत)							
34	8-भवन एवं सड़क	2,073.62	221.33	2,294.96	1,845.35	449.61	450.98
35	9-शिक्षा	27.23		27.23	12.72	14.51	14.51
36	14-शहरी विकास	800.00		800.00	427.77	372.23	376.98
37	21-महिला एवं बाल विकास	170.48	50.11	220.59	56.62	163.97	163.97
38	23-स्वाद्य एवं आपूर्ति	8,806.61		8,806.61	5,542.49	3,264.12	3,264.12
39	24-सिंचाई	510.24		510.24	913.13	(-)402.89	33.91
40	28-पशुपालन एवं डेरी विकास	20.00		20.00	4.50	15.50	15.50
41	33-सहकारिता	42.79	36.38	79.17	65.27	13.90	13.90
42	34-परिवहन	196.20	1.00	197.20	168.07	29.13	29.13
43	36-गृह	124.00	15.00	139.00	120.16	18.84	18.84
44	38-जन-स्वास्थ्य एवं जल सेवाएं	1,000.20	106.50	1,106.70	959.96	146.74	153.54
45	40-ऊर्जा एवं विद्युत	500.00		500.00	66.94	433.06	433.06
46	45-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,001.41	--	1,001.41	842.87	158.54	158.92
	कुल	15,272.78	430.32	15,703.11	11,025.85	5,080.16	5,127.36
पूँजीगत (भारित)							
47	लोक ऋण	13,849.85		13,849.85	8,227.41	5,622.44	5,622.93
	कुल	13,849.85		13,849.85	8,227.41	5,622.44	5,622.93
	कुल योग	81,556.63	4,140.17	85,696.81	67,919.09	(+) 17,777.72 (-) 402.89	17,083.97

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9; पृष्ठ 44)

वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में व्यय का वेग दर्शाने वाले ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2015 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1.	04- राजस्व	2705- कमांड क्षेत्र विकास	38.00	20.90	55.00	11.40	30.00
2.	06- वित्त	2075- विविध सामान्य सेवाएं	653.66	653.53	99.98	591.51	90.49
3.	07- योजना एवं सांख्यिकी	3451- सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	58.83	50.99	86.68	48.26	82.03
4.	13- स्वास्थ्य	4210- चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	36.25	36.25	100.00	0.00	0.00
5.	14- शहरी विकास	2217- शहरी विकास	103.44	73.53	71.08	3.16	3.05
6.	18- औद्योगिक प्रशिक्षण	4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	89.72	53.78	59.95	45.92	51.18
7.	25- उद्योग	2851- ग्राम एवं लघु उद्योग	72.83	41.95	57.60	9.47	13.00
8.	27- कृषि	2401- फसल पालन	526.28	311.59	59.21	149.82	28.47
9.	32- ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	55.69	36.63	65.77	35.96	64.57
10.	33- सहकारिता	4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	63.03	48.27	76.58	48.09	76.30
11.	36- गृह	4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	120.16	74.34	61.87	67.45	56.13
कुल			1,817.89	1,401.76	77.11	1,011.04	55.62

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.1; पृष्ठ 44)

वर्ष 2014-15 के लिए भुगतान के समर्थन में वाऊचरों को प्रस्तुत न करना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	खजाने का नाम	वाऊचरों की संख्या	राशि
1.	अंबाला कैंट	214	3.07
2.	भिवानी	395	3.27
3.	चण्डीगढ़	24	0.17
4.	फरीदाबाद	306	3.94
5.	फतेहाबाद	15	0.67
6.	गुड़गांव	145	5.43
7.	हिसार	248	3.21
8.	जगाधरी	72	0.65
9.	झज्जर	55	0.34
10.	जींद	10	0.09
11.	कैथल	55	0.49
12.	करनाल	968	10.74
13.	कुरूक्षेत्र	22	0.36
14.	नारनौल	92	0.65
15.	नूंह	50	0.61
16.	पानीपत	94	1.07
17.	पंचकुला	89	0.55
18.	रेवाड़ी	156	1.20
19.	रोहतक	196	1.94
20.	सिरसा	79	0.98
21.	सोनीपत	131	0.91
	कुल	3,416	40.34

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (i); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा अधिक) के विवरण जिनके लिए अनुमोदित आउटले में प्रावधान किए गए परंतु संशोधित अनुमानों में वापस लिए गए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय
1	कृषि	राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा स्कीम	2.50	--	--
2		मौसम आधारित फसल बीमा	40.00	--	--
3	सिंचाई	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी)	32.91	--	--
4	कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण	जल ग्रस्त क्षेत्रों का सुधार (50:40:10)	2.25	--	--
6	माध्यमिक शिक्षा	राज्य में किसान आदर्श विद्यालय की स्थापना	3.18	--	--
7		एजूसैट प्रोजेक्ट की स्थापना	3.00	--	--
8	उच्चतर शिक्षा	हरियाणा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान केंद्र जींद	10.00	--	--
9		राज्य में एजुकेशन सिटी की स्थापना (एजूसैट)	1.00	--	--
10		सरकारी कालेजों एवं होस्टलों का रस्व-रखाव	2.00	--	--
11	तकनीकी शिक्षा	नए सरकारी बहुतकनीकों की स्थापना (एन.सी.आर.पी.बी.)	60.00	--	--
12	चिकित्सा शिक्षा	एन.सी.आर.पी.बी. ऋण	10.00	--	--
13		मैडीकल कालेज/हस्पताल खानपुर कलां सोनीपत पी.एच.2 का विस्तार (एन.सी.आर.पी.बी.)	40.00	--	--
14		पी.जी.आई. रोहतक में मार्चरी के निर्माण के लिए	10.00	--	--
15	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता	अल्प संख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक स्कालरशिप	1.70	--	--
16		वृद्धों तथा अशक्तों के लिए घर (रेवाड़ी)	1.00	--	--
कुल			219.54	-	-

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (ii); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा अधिक) का विवरण जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान कम किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले
1	कृषि	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम	10.00	0.70
2	वन	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन)	25.00	20.00
3	सामुदायिक विकास	पूर्ण स्वच्छता अभियान अब निर्मल भारत अभियान	50.00	11.32
4	माध्यमिक शिक्षा	शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक के लिए गर्ल्स हास्टल का निर्माण एवं चालन (90:10)	3.60	1.78
5	स्वास्थ्य	सिविल पंजीकरण प्रणाली का सुदृढीकरण	1.50	0.50
6		ए.एन.एम./जी.एन.एम. नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल खोलना/सुदृढीकरण	3.00	0.01
7		एन.पी.सी.डी.सी.एस./एन.पी.एच.सी.ई. का कार्यान्वयन	3.00	0.01
8	शहरी विकास	राज्य की नगरपालिकाओं में चौपालों/सामुदायिक केंद्र के उन्नयन के लिए स्कीम (मुख्य मंत्री की घोषणा)	98.55	30.00
9		सैटेलाइट और काउंटर मैग्नेट टाउनस का विकास	5.18	4.68
10		जे.एन.एन.यू.आर.एम. (सी.एस.एस. का केंद्रीय हिस्सा)	150.00	2.85
11	स्वर्ण ज्यंती शहरी रोजगार योजना	स्वर्ण ज्यंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.)	4.52	0.01
12	नगर एवं ग्राम आयोजना (एन.सी.आर.)	चण्डीगढ़ मेट्रो	25.00	0.01
13	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता	कन्यादान	1.00	0.10
14	औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा	कौशल विकास मिशन	4.62	0.50
15	स्वाद्य एवं आपूर्ति	पशुफार्म हिसार, एच.एस.ए.एम.बी. बरवाला, हिसार तथा ग्राम भोर सैदा, कुरुक्षेत्र में गोदाम का निर्माण	50.00	3.00
16	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	गवर्नमेंट प्रैस सैक्टर-18, चण्डीगढ़ का विस्तार	7.90	0.45
17	न्याय प्रशासन	ज्यूडिशरी सहित ग्राम न्यायालयों के लिए मूलभूत संरचना सुविधाओं का विकास	14.00	2.00
कुल			456.87	77.92

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (iii); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए अनुमोदित परिव्यय और संशोधित अनुमानों में प्रावधान किया गया परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले
1	सामुदायिक विकास	निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.)	150.00	150.00
2	सिंचाई	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी)	1.63	1.63
3		यमुना के किनारों को उठाना एवं सुदृढीकरण	2.00	2.00
4	इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी	एस.यू.आई.डी.एच. (टी.एफ.सी.) के अंतर्गत राज्य के नागरिकों को युनीक आई.डी.	6.42	6.42
5	नागर विमानन	प्रशिक्षक/उन्नत प्रशिक्षक विमान का प्रापण	2.00	2.00
6	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	मशीनरी एवं उपकरण	2.00	2.00
7	माध्यमिक शिक्षा	सरकारी विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहन	2.00	2.00
8	आयुष	पट्टीकारा गांव, नारनौल में नए सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय/चिकित्सालय को खोलना/स्थापित करना	7.65	7.65
9		अनिवार्य दवाओं की आपूर्ति	1.24	1.24
10	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	इंदिरा गांधी जल स्कीम (अब अनुसूचित जाति बहुतायत वाले निवास स्थलों को जलापूर्ति)	20.00	20.00
11	अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	रोजगार उत्पन्न करने वाले संस्थानों जैसे ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल जे.वी.टी. ट्रेनिंग संस्थान, पैरामेडिकल/नर्सिंग/एयर होस्टेस आदि स्थापित करके रोजगार उत्पन्न करने के अवसर सृजित करना	1.00	1.00
12		एच.एस.सी.एफ. और डी निगम को हिस्सा पूंजी	1.00	1.00
13		बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (लड़कों के लिए)	1.00	1.00
14		निजी संस्थाओं के द्वारा उच्चतर प्रतियोगी परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता	3.50	3.50
15		अन्य पिछड़े वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टल का निर्माण	2.40	2.40
16		पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए आवास वित्त स्कीम	1.70	1.70
17		अन्य पिछड़े वर्गों और अपरिभाषित नोमैडिक और सेमी नोमैडिक के विकास के लिए स्कीम (अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति)	5.00	5.00
कुल			210.54	210.54

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (iv); पृष्ठ 47)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जहां बजट अनुमानों में वृद्धि की गई परन्तु व्यय मूल प्रावधान के अस्सी प्रतिशत से कम था।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	व्यय	अनुमोदित आउटले से व्यय की प्रतिशतता
1	बागवानी	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	28.50	31.90	18.19	64
2	पशुपालन एवं डेयरी उद्योग	राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (100 प्रतिशत)	3.00	4.00	1.83	61
3	ग्रामीण विकास	एकीकृत वाटर शैड प्रबंध कार्यक्रम (90:10)	15.00	27.00	7.94	53
4	भू-अभिलेख	राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण एवं आधुनिक रिकार्ड कक्ष	5.00	12.35	0.48	10
5	मेवात विकास बोर्ड	सामुदायिक कार्य	7.79	8.34	4.68	60
6	कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण	इक्यूए.एस. को संस्थागत समर्थन (45:45:10)	2.70	2.84	0.56	21
7		राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान/आर.एम.एस.ए.) (सी.एस.एस.)	150.00	200.00	61.61	41
8	माध्यमिक शिक्षा	श्रेष्ठता के निर्देशचिन्ह के रूप में खंड स्तर पर 6000 आदर्श स्कूलों की स्थापना के लिए स्कीम	10.00	16.36	6.87	69
9		सूचना एवं संचार व प्रौद्योगिकी स्कीम	60.00	69.58	2.44	4
10		राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (75:25)	50.00	65.35	8.11	16
11	खेलकूद	खेलकूद स्कीम का सामूहिक प्रचार	1.00	1.33	0.68	68
12	स्वास्थ्य	सिविल सर्जनों के लिए जिला स्टाफ की निरंतरता	3.38	5.09	2.63	78
13	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	टी.एफ.सी. (शिवालिक और दक्षिणी हरियाणा)	75.00	149.12	56.69	76
14		एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	5.12	5.15	3.61	71
15	महिला एवं बाल विकास	आंगनवाड़ी सुरक्षा बीमा योजना ए.इक्यूए.एस./सहायकों की भविष्य बीमा सुरक्षा स्कीम के रूप में पुनः नामकृत	4.00	5.34	3.10	78
		कुल	420.49	603.75	179.42	43

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (v); पृष्ठ 48)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक) के विवरण जिनके लिए संशोधित बजट कम किया गया था परन्तु वास्तविक व्यय संशोधित आऊटले के अस्सी प्रतिशत से कम था
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	विकास के उप-शीर्ष	अनुमोदित योजना 2014-15			संशोधित आऊटले से व्यय की प्रतिशतता
			अनुमोदित आऊटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक व्यय	
1	कृषि (फसल पालन)	कृषि विस्तार मूलभूत संरचना का सुदृढीकरण	8.50	2.50	1.71	68
2		किसानों को भूमि एवं जल परीक्षण सेवाएं प्रदान करना	1.00	0.50	0.05	9
3		वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन गुणवत्ता शहद कृषीय तथा अकृषीय श्रमिक	4.50	3.80	2.60	69
4		भूमि स्वास्थ्य एवं उर्वरकता की व्यवस्था पर राष्ट्रीय परियोजना	2.00	0.52	0.37	72
5		एस.सी. कोप सहित तिलहन, पाम आयल और मक्का के कार्यान्वयन के लिए एकीकृत स्कीम	2.25	1.00	0.64	64
6		राज्य विस्तार कार्यक्रम (सी.एस.एस. का केंद्रीय हिस्सा)	2.60	1.35	0.74	55
7		राष्ट्रीय भोजन सुरक्षा मिशन (सी.एस.एस. का केंद्रीय हिस्सा)	55.00	50.00	26.71	53
8	बागवानी	कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना	2.00	1.57	1.16	74
9		माइक्रो सिंचाई	46.49	28.90	14.34	50
10		सस्टेनेबल कृषि पर राष्ट्रीय मिशन	36.00	25.20	14.20	56
11		औषधीय प्लांटस पर मिशन सहित आयुष पर राष्ट्रीय मिशन	1.90	1.18	0.88	74
12	पशु पालन एवं डेयरी	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	1.00	0.85	0.04	5
13	उद्योग	राष्ट्रीय पशुधन व्यवस्था कार्यक्रम (75:25)	15.00	7.00	0.29	4
14	सहकारिता	सहकारी विभाग का कंप्यूटरीकरण	6.00	0.50	0.17	35
15		एस.सी. और सामान्य एल/सी सोसईटियों को सहायता	1.00	0.75	0.42	57
16	ग्रामीण विकास	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	15.00	8.33	4.33	52
17		एकीकृत वाटरशेड व्यवस्था कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	5.00	3.00	0.88	29
18	सिंचाई	घग्गर नदी पर कौशल्या बांध का निर्माण	7.00	1.50	0.82	55
19		वार्षिकी प्रभार	20.00	12.00	7.95	66
20	उद्योग	एम.एस.एम.ई. समूह विकास कार्यक्रम	6.00	0.84	0.60	71
21	लो.नि.वि. (भवन एवं सड़क)	हाऊसिंग स्कीम (सरकारी आवासीय भवन लोक निर्माण)	5.00	1.50	0.97	65

क्र.सं.	विभाग का नाम	विकास के उप-शीर्ष	अनुमोदित योजना 2014-15			संशोधित आऊटले से व्यय की प्रतिशतता
			अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	
22	सड़क परिवहन	कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण	2.00	0.50	0.05	9
23		विनियामक विंग का भूमि एवं भवन कार्यक्रम	11.29	6.30	3.50	56
24	डी.ई.एस.ए.	राज्य स्तर पर आयोजना मशीनरी का सुदृढीकरण	1.00	0.50	0.37	73
25		विकेद्रित/जिला आयोजना सामान्य घटक	235.00	60.70	29.44	48
26		विकेद्रित/जिला आयोजना एस.सी.एस.पी. घटक	140.00	40.00	19.58	49
27	माध्यमिक शिक्षा	कक्षा 9वीं से 12वीं के सभी बी.पी.एल. छात्रों को मासिक स्टाइपेंड	15.00	12.00	8.64	72
28		शिक्षक कल्याण फंड	2.00	1.00	0.42	42
29		निदेशन एवं प्रशासन-मुख्यालय स्टाफ एवं डी.ई.ओ. मेवात और पलवल कार्यालयों के लिए वेतन	11.03	9.67	4.87	50
30		शिक्षा का सुदृढीकरण-स्कूल में शिक्षा व्यवस्था प्रशासन और आयोजना का सुदृढीकरण-मासिक पत्रिका और शिक्षक डायरी का मुद्रण	1.04	0.60	0.37	62
31		ई-गवर्नेंस और एच.क्यू., डी.ओ., एस. डी.ई.ओ. कार्यालय का कम्प्यूटराईजेशन	4.00	2.55	1.66	65
32		शिक्षा और प्रशिक्षण जिला संस्थान (डी.आई.ई.टी.ज) की स्थापना (75:25)	18.35	13.23	10.48	79
33		साक्षर भारत	9.46	4.00	3.15	79
34	श्रेष्ठता के चिन्ह के रूप में खंड स्तर पर 6000 आदर्श स्कूलों की स्थापना के लिए स्कीम	53.00	30.00	16.04	53	
35	शिक्षक प्रशिक्षण और वयस्क शिक्षा सहित शिक्षा विकास के लिए समर्थन	50.00	45.03	34.68	77	
36	विद्युत	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	78.35	73.25	10.00	14
37		हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	439.35	325.00	155.05	48
38		डी.एच.बी.पी.एन.एल.	218.82	113.25	10.00	9
39	नवीकरण योग्य ऊर्जा	सामान्य जनता के लिए सौर वाटरहीटिंग प्रणाली के प्रस्थापन को प्रोत्साहन	1.50	1.31	0.24	18
40	उच्चतर शिक्षा	हिसार हरियाणा में नया कन्या बी.एन.सी.सी. बनाना	1.38	0.60	0.38	63
41		राष्ट्रीय सेवा स्कीम (एन.एस.एस.)	2.00	0.53	0.32	61

क्र.सं.	विभाग का नाम	विकास के उप-शीर्ष	अनुमोदित योजना 2014-15			संशोधित आऊटले से व्यय की प्रतिशतता
			अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	
42	तकनीकी शिक्षा	एस.सी. छात्रों को मुफ्त पुस्तकों की आपूर्ति	2.00	1.00	0.28	28
43		तकनीकी शिक्षा परियोजना फेज - iv	10.00	5.00	1.50	30
44		एस.सी. छात्रों को फीस की प्रतिपूर्ति	11.00	5.00	0.19	4
45	चिकित्सा शिक्षा	मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना	36.00	35.00	20.18	58
46	स्वास्थ्य	नशा मुक्ति केंद्रों का सुदृढीकरण	4.50	2.66	1.87	70
47		मलेरिया	10.00	8.73	6.81	78
48	स्वाद्य एवं दवा प्रशासन	स्थापना	5.00	3.90	2.65	68
49	आयुष	जिला आयुर्वेदिक कार्यालयों का सुदृढीकरण	1.41	1.15	0.49	42
50	कर्मचारी राज्य बीमा	बी.पी.एल. परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (राज्य हिस्सा)	13.90	4.95	3.77	76
51		राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कार्मिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	15.00	10.00	3.58	36
52	शहरी विकास	राजीव गांधी आवास योजना	50.99	30.00	18.10	60
53	नगर एवं ग्राम आयोजना (एन.सी.आर.)	शहरी मूलभूत संरचना विकास फंड को ऋण/विभिन्न विभागों के लिए प्रोत्साहन पैकेज	800.00	541.00	423.02	78
54		अध्ययन आयोजित करने के लिए	1.00	0.55	0.34	61
55	श्रम	फरीदाबाद, गुड़गांव में श्रम परिसर का निर्माण	11.00	4.00	2.89	72
56	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना	30.00	5.00	3.17	63
57	महिला एवं बाल विकास	हरियाणा बाल कल्याण परिषद	17.00	12.00	5.76	48
58		आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण	102.49	102.46	49.62	48
59	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	आबकारी एवं कराधान भवन, चैक बैरियर इत्यादि	10.00	1.50	0.83	55
60		ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कार्मिकों को गृह स्थल	2.00	0.10	0.02	20
कुल			2,671.10	1,666.81	934.16	56

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (vi); पृष्ठ 48)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के विवरण जिनमें वास्तविक व्यय संशोधित आउटले से बीस प्रतिशत या इससे अधिक से बढ़ गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	संशोधित आउटले से व्यय की प्रतिशतता
1	कृषि	कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन	5.00	5.00	6.69	134
2	ग्रामीण विकास	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.)	34.65	15.00	21.78	145
3		महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) (90:10)	350.00	150.00	196.03	131
4	लो.नि.वि. (भवन एवं सड़क)	न्यायिक मूलभूत संरचना (आवासीय) का विकास (न्याय प्रशासन)	10.00	10.00	15.51	155
5	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	हरियाणा विज्ञान टैलेट खोज स्कीम	2.00	2.00	2.40	120
6	आयुष	श्री कृष्ण सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं फार्मसी, कुरुक्षेत्र/नशा परीक्षण लैब एवं आई.एस.एम.आर. पंचकुला की निरंतरता/सुधार	5.35	5.35	9.82	184
7	जन स्वास्थ्य	उचंत (स्टॉक) यू.आर.बी.ए.एच.	5.00	5.00	8.33	167
8	अभियांत्रिकी	रख - रखाव	15.00	20.00	25.68	128
9	सूचना एवं जन - संपर्क	इतिहास एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना	1.50	1.15	1.50	131
10		हरियाणा संस्कृति अकादमी की स्थापना	1.50	1.15	1.50	131
11		पंजाबी अकादमी की स्थापना	1.50	1.15	1.50	131
12		राज्य में हाली उर्दू अकादमी की स्थापना	1.50	1.15	1.50	131
13		हरियाणा साहित्य अकादमी और ग्रंथ अकादमी की सहायता	6.00	4.60	6.00	131
14	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता	सी.एस.एस. (बी) का केंद्रीय हिस्सा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम	16.70	16.70	21.19	127
15	महिला एवं बाल विकास	एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आई.सी.पी.एस.)	4.00	1.35	4.00	296
16	सहकारिता	कृषकों के लिए एच.एस.सी.ए.आर.डी.बी. को ऋण	0.00	100.00	203.87	204
कुल			459.70	339.59	527.31	155

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (vii); पृष्ठ 48)

प्लान स्कीमों (₹ एक करोड़ और अधिक) के ब्यौरे जिनके लिए अनुमोदित आउटले तथा संशोधित अनुमानों में प्रावधान रखा गया था परंतु किया गया व्यय रखे गए प्रावधान के अस्सी प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित/संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	आउटले से व्यय की प्रतिशतता
1	कृषि	फसल विविधता को प्रोत्साहन	8.00	5.14	64
2		राष्ट्रीय तिलहन और पाम ऑयल मिशन	3.00	1.91	64
3	पशु पालन एवं डेयरी उद्योग	आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत पशुपालन निर्माण/पशु चिकित्सा मूलभूत संरचना सुदृढीकरण पर पूंजीगत परिव्यय	20.00	4.50	23
4	ग्रामीण विकास	पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) (सी.ए.)	30.00	19.10	64
5		स्थानीय क्षेत्र विकास के संसद सदस्य (एम.पी.एल.ए.डी.एस.)	61.00	32.62	53
6	पंचायतें	मैचिंग ग्रांट्स स्कीम	2.00	1.09	55
7	विद्युत	यू.एच.बी.वी.एच.एल.	113.50	10.00	9
8	नवीकरण योग्य ऊर्जा	शिक्षादीप स्कीम/एस.सी. परिवारों के लिए आई.ए.वाई. गृहों के लिए सौर ऊर्जा स्कीम	1.00	0.60	60
9		विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा पैक/संयत्र (आफ गिड सोलर पावर पैक) का एप्लीकेशन प्रदर्शन	1.00	0.40	40
10	स्वान एवं खनिज	खदानों एवं खनिजों का विकास	1.20	0.20	16
11	लो.नि.वि.	सूचना प्रौद्योगिकी	2.15	0.08	4
12	(भवन एवं सड़क)	प्रधानमंत्री ग्राम सुधार योजना	500.00	218.96	44
13	सड़क परिवहन	विनियामक विंग का कंप्यूटराइजेशन	1.10	0.11	10
14	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	एच.ए.आर.एस.ए.सी. की प्रशासन स्थापना	2.00	0.57	28
15	प्राथमिक शिक्षा	मूलभूत संरचना एवं उपकरण का प्रावधान (डयूल डेस्क)	50.00	0.29	1
16		बी.पी.एल. छात्रों (i-viii) को मासिक स्टैंडपेंड फीस	25.00	11.91	48
17		प्राथमिक शिक्षा का कंप्यूटराइजेशन और नेटवर्किंग	1.40	0.77	55
18		छठी कक्षा में एस.सी. लड़कों को मुफ्त साइकिल प्रदान करना	6.00	1.04	17

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित/संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	आउटले से व्यय की प्रतिशतता
19	माध्यमिक शिक्षा	वरिष्ठ माध्यमिक/उच्च स्कूल में पृथक कन्या टॉयलेट/हैंडपंप का निर्माण (नाबाई)	27.23	12.73	47
20		सरकारी उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में ड्यूल डेस्क का प्रावधान	10.00	2.83	28
21		जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.जी) की स्थापना (75:25)	1.66	0.99	60
22	तकनीकी शिक्षा	एस.सी. के लिए हास्टल का निर्माण	10.00	4.50	45
23	स्वास्थ्य	एस.सी. के लिए जननी सुरक्षा स्कीम	15.90	7.33	46
24		उपकरण की मरम्मत/ए.एम.सी./सी.एम.सी.	5.00	2.70	54
25		गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करना (आरोग्य कोष)	1.50	0.25	17
26	जन - स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	आई.ई.सी. गतिविधियां सूचना शिक्षा संचार सांझा करना	1.80	0.88	49
27		राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (एन.आर.सी.पी.)	70.00	12.31	18
28	शहरी विकास	प्राकृतिक आपदाओं के कारण छोटे दुकानदारों की वाणिज्यिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए स्कीम	10.00	2.12	21
29	एस.सी./बी.सी. का कल्याण	अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन	1.00	0.62	62
30		अत्याचार के शिकारों को वित्तीय राहत	1.50	1.07	71
31		एस.सी. के विकास के लिए स्कीम	25.00	3.00	12
32	श्रम	निःसहाय और प्रवासी बाल श्रमिकों का पुनर्वास	1.20	0.66	55
33	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए राज्य स्तर परियोजना/गृह रोहतक (सिरतार)	3.25	1.87	57
34		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम	14.76	7.77	53
35	महिला एवं बाल विकास	हरियाणा महिला विकास निगम (सब्सिडी और हिस्सा पूंजी)	3.50	2.10	60
36		रेचिक्क सैक्टर सुदृढीकरण	1.00	0.00	0
37		राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन/इंदिरा गांधी मानुत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.)	1.00	0.24	24
38		किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीमज (सबला)	4.00	1.29	32
39	ट्रेजरी तथा लेखे	ट्रेजरी एवं लेखे (ऑनलाईन)	8.00	2.13	27
40	आबकारी एवं कराधान	आबकारी एवं कराधान (सी.एस.एस.) ऑनलाईन	29.75	5.59	19
कुल			1,075.40	382.28	36

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.3 (viii); पृष्ठ 48)

स्कीमों का विवरण जिनके संशोधित अनुमान बढ़ाए गए लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक लागत
1.	खेल	पंचायती युवा क्रीडा खेल अभियान (पी.वाई.के.के.ए.)	1.70	7.60	-
2.	खेल	पंचायती युवा क्रीडा और खेल अभियान (पी.वाई.के.के.ए.) केंद्र हिस्सा	1.00	22.80	-
3.	शहरी विकास	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	10.00	20.00	-
कुल			12.70	50.40	-
4.	कृषि	कृषीय यंत्रीकरण का प्रस्तुतिकरण (75:25)	-	0.83	-
5.	बागवानी	बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना	-	0.01	-
6.	वन	राष्ट्रीय हरित भारत मिशन	-	6.65	-
7.	तकनीकी शिक्षा	मेवात इंजीनियरिंग कालेज, गांव पाला, मेवात में नए ब्वायज होस्टल का निर्माण	-	2.00	-
8.	स्वास्थ्य	एच.एम.आई.एस. स्वास्थ्य संस्थाओं की गुणवत्ता सुधार के लिए एच.एस.एच.आर.सी. को जी.आई.ए.	-	12.44	-
9.	आयुष	राष्ट्रीय आयुष मिशन (केंद्र हिस्सा)	-	6.28	-
10.	आयुष	पी.जी.आई.एम.एस, रोहतक में आयुष के विशेषीकृत थेरेपी केंद्र की स्थापना	-	0.26	-
11.	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	एम.एल.ए. प्लैटस	-	5.00	-
कुल			-	33.47	-

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 (ii); पृष्ठ 48)

2014-15 के दौरान अनुदान संख्या 14 (शहरी विकास) के अंतर्गत मासिक/तिमाही व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

माह	व्यय	तिमाही	तिमाही (प्रतिशतता) के दौरान व्यय के निर्धारित नार्मज	तिमाही व्यय	वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
04/14	4.80	I	25	76.27	14.36
05/14	4.45				
06/14	67.02				
07/14	5.72	II	20	62.42	11.75
08/14	22.99				
09/14	33.72				
10/14	105.94	III	25	157.36	29.62
11/14	27.35				
12/14	24.06				
01/15	124.89	IV	30	235.16	44.27
02/15	33.38				
03/15	76.89				
कुल	531.21			531.21	

अनुदान संख्या 14 (शहरी विकास) के अंतर्गत स्कीमों का विवरण जहां अंतिम तिमाही में 100 प्रतिशत व्यय हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	स्कीम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
योजना					
1	4217-60-51-92	एस.बी. 92 सिंचाई विभाग के लिए प्रोत्साहन पैकेज	51.00	51.00	100
2	2217-800-87	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, दिल्ली के चारों ओर एन.सी.आर. को सहायता अनुदान एस.बी. 87	63.31	63.31	100

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 (iii); पृष्ठ 48)

पिछले तीन वर्षों की सतत बचतों से संबंधित शीर्ष वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का विवरण	वर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
1	2217-80-001-94 शहरी संपदा स्थापना भूमि अधिग्रहण तथा विकास स्कीम (जिला स्टाफ)	2012-13	3.04	-	3.04	2.57	0.47	15.61
		2013-14	3.07	0.21	3.28	3.01	0.27	8.24
		2014-15	5.26	-	5.26	3.76	1.50	28.57
2	2217-80-001-98 शहरी संपदा स्थापना भूमि अधिग्रहण तथा विकास स्कीम (मुख्यालय स्टाफ)	2012-13	0.84	0.03	0.87	0.83	0.04	4.62
		2013-14	1.03	-	1.03	0.81	0.21	20.87
		2014-15	1.21	-	1.21	0.90	0.31	25.35
3	2217-80-800-87 हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण/दिल्ली के चारों ओर एन.सी.आर. को सहायता अनुदान	2012-13	33.08	178.29	211.37	194.30	17.07	8.07
		2013-14	123.80	-	123.80	40.06	83.74	67.65
		2014-15	89.36	-	89.36	63.31	26.05	29.15
4	4217-60-51-90 मेडिकल शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग के लिए प्रोत्साहन पैकेज	2012-13	180.00	-	180.00	123.95	56.05	31.13
		2013-14	350.00	-	350.00	48.06	301.94	86.26
		2014-15	450.00	-	450.00	129.16	320.84	71.30

परिशिष्ट 2.18

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (iii); पृष्ठ 49)

वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत में व्यय वेग के मामले

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम नाम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		अंतिम माह व्यय
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	
1	2401-109-सस्टेनेबल कृषि के प्रमोशन के लिए स्कीम-नीतिपरक पहल	8.00	8.00	100.00	
2	2401-108-83 फसल विविधता के प्रमोशन के लिए स्कीम	5.14	5.03	97.86	
3	2401-105-86 संस्थागत एजेंसियों द्वारा उर्वरकों की स्टाकिंग तथा वितरण के लिए स्कीम	13.00	13.00	100.00	
4	2401-789-99 अनुसूचित जाति किसानों के लिए खाद्यान्नों के सुरक्षित तथा वैज्ञानिक भंडारण के लिए स्कीम	2.80	2.80	100.00	
5	2401-108-81 गन्ने पर प्रौद्योगिकी मिशन के लिए स्कीम	1.96	1.30	66.33	
6	2401-107-93 सामान्य श्रेणी किसानों द्वारा खाद्यान्नों के सुरक्षित तथा वैज्ञानिक भंडारण के लिए स्कीम	2.10	2.10	100.00	
7	2401-108-80 हरियाणा राज्य में कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए स्कीम	2.53	1.27	50.20	
8	2401-789-89 किसानों के युप तथा एस.सी. श्रेणी के किसानों के लिए सब्सिडी पर उपकरण/मशीनरी प्रदान करने के लिए स्कीम	2.86	2.86	100.00	
9	2401-109-80 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	166.49	154.74	92.94	
10	2401-109-77 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम)	22.97	22.97	100.00	
11	2401-789-85 अनुसूचित जाति किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एस.एफ.एम.)	3.75	3.75	100.00	
12	राष्ट्रीय तिलहन तथा पाम आयल मिशन (एन.एम.ओ.ओ.पी.)	1.76	1.76	100.00	
13	2402-102-80 जल बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर सहायता प्रदान करने के लिए स्कीम	8.32	5.48	65.87	
14	2402-101-97 राज्य में एकीकृत वाटरशेड विकास तथा प्रबंधन परियोजना के लिए स्कीम	6.06	2.44	40.26	
15	2401-119-59 बागवानी का सुदृढ़ीकरण	1.52	1.52	100.00	0.11
16	2401-119-58 बागवानी सेक्टर में विकसित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय तकनीकों को बढ़ावा देना	5.50	2.28	41.45	0.48
17	2401-789-98 अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए एकीकृत बागवानी विकास	4.57	3.52	77.02	1.46
18	2401-119-72 माइक्रो सिंचाई	28.54	9.60	33.64	2.28
कुल		304.41	252.96	83.10	4.33

परिशिष्ट 2.19

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (iv); पृष्ठ 49)

2014-15 के दौरान अनुदान संख्या 27 में बजट प्रावधान की 20 प्रतिशत तथा ₹ एक करोड़ से ज्यादा की बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	2401-105-98-कैमिकल खाद की खरीद तथा वितरण कृषि विभाग के साथ स्टाफ की निरंतरता	15.45	11.19	4.26	27.58
2	2401-107-99-प्लांट संरक्षण आपरेशन	17.35	13.10	4.24	24.45
3	2401-108-80 - हरियाणा राज्य में कपास की खेती के प्रोत्साहन के लिए स्कीम	4.50	2.54	1.96	43.53
4	2401-108-83 - फसल विविधता के प्रोत्साहन के लिए स्कीम	8.00	4.30	3.70	46.25
5	2401-108-86-99 - तिलहन, दालों, ताड़ तेल तथा मक्का (आई.एस.ओ.पी.ओ.एम.) की एकीकृत स्कीम को राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयलपाम (एन.एम.ओ.ओ.पी.) मिशन के रूप में पुनः नामकृत किया गया	2.40	1.28	1.12	46.76
6	2401-108-86-तिलहन, दालों, ताड़ तेल तथा मक्का (आई.एस.ओ.पी.ओ.एम.) की एकीकृत स्कीम को राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयलपाम (एन.एम.ओ.ओ.पी.) मिशन के रूप में पुनः नामकृत किया गया	2.00	1.00	1.00	50.00
7	2401-108-94 - हरियाणा में गन्ना विकास	10.37	7.76	2.61	25.14
8	2401-108-98 - हरियाणा में हाई यील्डिंग वैराइटी कार्यक्रम	22.80	16.95	5.85	25.67
9	2401-109-81 -सस्टेनेबल कृषि नीतिगत शुरूआत की उन्नति के लिए स्कीम	13.00	8.00	5.00	38.46
10	2401-113-96 - कृषि इंजीनियरिंग सेवा के लिए स्कीम	3.00	1.32	1.68	55.96
11	2401-119-55 -औषधीय प्लांट्स पर राष्ट्रीय मिशन	1.90	0.88	1.03	53.95
12	2401-789-89 - एस.सी. किसानों को सब्सिडी पर उपकरण/मशीनरी प्रदान करने के लिए स्कीम	5.00	2.87	2.13	42.61
13	2401-789-99 - अनुसूचित जाति किसानों को खाद्यान्नों के सुरक्षित तथा वैज्ञानिक भंडारण के लिए स्कीम	4.00	2.80	1.20	30.00
14	2415-01-277-99 - हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	124.97	78.73	46.24	37.00
15	2702-02-005-99 - राज्य में भूमिगत जल के विकास तथा विभिन्न नाबाई स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए स्कीम	9.97	7.64	2.33	23.35
	कुल	244.71	160.36	84.35	34.47

परिशिष्ट 2.20

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (vi); पृष्ठ 49)

स्कीमों के विवरण जहां मूल बजट प्रदान किया गया था लेकिन पुनर्विनियोजन द्वारा वापस ले लिया गया

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मूल बजट	पुनर्विनियोजन	कुल	व्यय
2401-103-96 अच्छी गुणवत्ता के बीजों के उत्पादन तथा वितरण के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास तथा सुदृढीकरण के लिए स्कीम	0.5	-0.5	0	0
2401-105-89 रेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच के सुदृढीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए स्कीम	0.01	-0.01	0	0
2401-105-94 बायोगैस प्लांट की स्थापना	2.5	-2.5	0	0
2401-107-91 ई-पेस्ट निगरानी द्वारा प्लांट हेल्थकेयर प्लांट के लिए स्कीम	0.01	-0.01	0	0
2401-108-91 कपास का उत्पादन बढ़ाना मिनी मिशन के अंतर्गत गहन एवं प्रौद्योगिकी मिशन	44.15	-44.15	0	0
2401-109-84 जैविक खेती (100 प्रतिशत सी.सी.एस.) पर राष्ट्रीय परियोजना के लिए स्कीम	0.5	-0.5	0	0
2401-109-85 एक्सटेंशन रिफार्मज (शेयरिंग आधार) केंद्रीय हिस्सा 90 प्रतिशत, राज्य हिस्सा 10 प्रतिशत के लिए राज्य एक्सटेंशन कार्यक्रम को केंद्रीय सैक्टर सहयोग के लिए स्कीम	4.00	-4.00	0	0
2401-109-99 प्रभारित कृषीय प्रदर्शन तथा प्रचार	0.10	-0.10		
2401-111-90 परिवर्तित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम	10.00	-10.00	0	0
2401-111-91 मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम	40.00	-40.00	0	0
2401-111-92 केंद्रीय सैक्टर स्कीम पोस्ट हारवैस्ट प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन	2.5	-2.5	0	0
2401-113-83 केंद्रीय सैक्टर स्कीम पोस्ट हारवैस्ट प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन	3.00	-3.00	0	0
2401-119-56 बागवानी सांख्यिकी प्रणाली स्कीम	0.01	-0.01	0	0
2401-119-72 माइक्रो सिंचाई पर स्कीम (शेयरिंग बेसिस पार्ट - II)	28.80	-28.80	0	0

मुख्य शीर्ष	मूल बजट	पुनर्विनियोजन	कुल	व्यय
2401-119-97 (प्रभारित) हरियाणा में विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए स्कीम	0.06	-0.06	0	0
2401-789-86 अनुसूचित जाति किसानों के लिए बायोगैस प्लांट्स की स्थापना के लिए स्कीम	0.01	-0.01	0	0
2401-789-87 अनुसूचित जाति किसानों के लिए सस्टेनेबल कृषि पर माइक्रो सिंचाई/राष्ट्रीय मिशन स्कीम	7.20	-7.20	0	0
2401-789-88 अनुसूचित जाति किसानों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन स्कीम	31.00	-31.00	0	0
2401-789-90 अनुसूचित जाति किसानों के लिए एक्सटेंशन रिफार्मज के लिए राज्य एक्सटेंशन कार्यक्रम को सहायता	1.00	-1.00	0	0
2401-789-91 एस.सी. किसानों के लिए गुणवत्ता बीजों के उत्पादन तथा वितरण के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास तथा सुदृढीकरण के लिए स्कीम	0.25	-0.25	0	0
2401-789-93 कपास का उत्पादन बढ़ाना, अनुसूचित जाति किसानों के लिए मिनी मिशन- II के अंतर्गत कपास पर इन्टैन्सिव तथा प्रौद्योगिकी मिशन	11.00	-11.00	0	0
2401-789-93 कपास का उत्पादन बढ़ाना, अनुसूचित जाति किसानों के लिए मिनी मिशन- II के अंतर्गत कपास पर इन्टैन्सिव तथा प्रौद्योगिकी मिशन	0.05	-0.05		
2401-789-94 अनुसूचित जाति किसानों के लिए ऑयल सीड, दाल, ऑयल पाम तथा मक्का (आई.एस.ओ.पी.ओ.एम.) को राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयलपाम (एन.एम.ओ.ओ.पी.) मिशन के रूप में पुनः नामकृत	0.60	-0.60	0	0
2401-789-97 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम	3.35	-3.35	0	0
2402-101-96 राज्य भूमि प्रयोग बोर्ड हरियाणा के लिए स्कीम	0.10	-0.10	0	0
2402-102-86 जिला भिवानी तथा झज्जर में जलग्रस्त क्षेत्रों के पुनःउद्धार के लिए पायलट परियोजना	1.90	-1.90	0	0
कुल	192.60	-192.60	0	0

(परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 51)

31 मार्च 2015 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण - पत्रों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण - पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण - पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण - पत्र	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
1	उद्योग	2009-10	13	13.01	3	0.90	--	0.00	3	0.90
		2011-12	13	6.77	4	0.55	--	0.00	4	0.55
		2012-13	32	10.74	30	9.99	26	9.48	4	0.51
		2013-14	49	20.04	49	20.04	42	10.71	7	9.32
2	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2013-14	15	10.75	15	10.75	14	7.27	1	3.49
3	तकनीकी शिक्षा	2012-13	58	204.42	12	23.85	11	22.45	1	1.40
		2013-14	23	92.12	23	92.12	11	37.02	12	55.09
4	खेल एवं युवा सेवाएं	2012-13	120	37.97	45	12.64	31	4.32	14	8.32
		2013-14	21	14.05	21	14.05	11	11.20	10	2.85
5	सामान्य शिक्षा	2011-12	204	465.95	146	244.96	79	118.62	67	126.35
		2012-13	274	897.69	184	546.80	118	170.85	66	375.95
		2013-14	150	677.49	150	677.49	93	432.44	57	245.05
6	ग्रामीण विकास	2008-09	248	432.97	13	43.26	3	40.59	10	2.67
		2009-10	205	399.73	18	109.87	3	2.39	15	107.48
		2010-11	221	315.62	41	87.91	10	9.65	31	78.27
		2011-12	630	829.98	235	455.91	89	62.39	146	393.51
		2012-13	546	977.76	438	645.29	136	68.71	302	576.58
		2013-14	477	1,362.43	477	1,362.43	128	427.69	349	934.75
7	शहरी विकास	2011-12	64	894.67	6	38.27	2	25.74	4	12.53
		2012-13	96	1,274.01	87	1,255.25	27	348.86	60	906.39
		2013-14	73	1,120.80	73	1,120.80	16	60.10	57	1,060.70
8	सहकारिता	2012-13	8	146.83	3	0.80	--	0.00	3	0.80
		2013-14	6	125.55	6	125.55	5	125.25	1	0.30
9	फसल पालन	2012-13	7	44.29	7	44.29	6	44.28	1	0.01
		2013-14	6	51.58	6	51.58	5	44.65	1	6.93
10	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2012-13	17	32.63	2	0.45	1	0.38	1	0.07
11	मछली पालन	2013-14	36	1.26	36	1.26	35	1.22	1	0.05
12	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2012-13	28	17.41	5	11.55	2	0.70	3	10.85
		2013-14	23	18.11	23	18.11	19	5.41	4	12.70
13	कमांड क्षेत्र विकास	2013-14	17	164.06	17	164.07	13	27.45	4	136.61
14	सूचना एवं प्रचार	2012-13	18	5.61	11	3.24	5	1.04	6	2.20
		2013-14	14	10.02	14	10.02	--	0.00	14	10.02
15	इकोलोजी एवं पर्यावरण	2012-13	6	1.22	6	1.22	--	0.00	6	1.22
		2013-14	5	1.17	5	1.17	--	0.00	5	1.17
कुल			3723	10,678.73	2211	7,206.44	941	2,120.88	1270	5,085.56

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.2; पृष्ठ 52)

निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शानेवाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालय			
1.	एम.पी.एन. कालेज, मुलाना (अम्बाला)	2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	0.67 0.61 1.05 1.81 1.75 2.25 2.04
2.	एस.डी. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	5.42 6.91 6.72 6.83
3.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, नेनोला अम्बाला	2012-13 2013-14	1.16 1.00
4.	एस.एम.लुबाना खालसा कन्या महाविद्यालय, बराड़ा, अंबाला	2012-13 2013-14	1.86 1.87
5.	एम.एल.एन. महाविद्यालय, यमुनानगर	2013-14	6.57
6.	गुरु नानक खालसा महाविद्यालय, यमुनानगर	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	5.36 5.32 8.34 7.64 7.84
7.	गुरु नानक खालसा कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर	2013-14	6.13
8.	डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर	2013-14	4.06
9.	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, जगाधरी	2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	0.49 0.42 0.45 0.53 0.53 0.60 0.70 0.94 1.43 1.58 1.88
10.	हिंदु कन्या महाविद्यालय, जगाधरी, यमुनानगर	2013-14	2.86
11.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पुंडरी (कैथल)	2013-14	1.42
12.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय फतेहपुर पुंडरी (कैथल)	2013-14	2.46
13.	बी.ए.आर. जनता महाविद्यालय, कौल, कैथल	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	1.79 2.22 2.00 1.93
14.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, चीका, कैथल	2013-14	2.42

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
15.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, टांड डडवान, कैथल	2013-14	2.51
16.	आई.जी. महिला महाविद्यालय, कैथल	2013-14	1.20
17.	हिंदू कन्या महाविद्यालय, जींद	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	2.00 2.12 2.52 2.59 2.37
18.	आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहाबाद, कुरुक्षेत्र	2012-13 2013-14	3.09 3.30
19.	आई.जी. नेशनल महाविद्यालय, लाडवा, कुरुक्षेत्र	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	2.75 3.91 2.66 2.38
20.	एम.एन. महाविद्यालय, शाहाबाद, कुरुक्षेत्र	2012-13 2013-14	2.25 2.28
21.	एस.एन.आर.एल. जयराम कन्या महाविद्यालय, लोहार माजरा, कुरुक्षेत्र	2013-14	0.62
22.	सी.एम.के. नेशनल कन्या महाविद्यालय, सिरसा	2012-13 2013-14	2.58 2.52
23.	एम.पी. कन्या महाविद्यालय, मंडी डबवाली, सिरसा	2013-14	2.12
24.	बी.एस.के. शिक्षा महाविद्यालय, मंडी डबवाली (सिरसा)	2011-12 2012-13 2013-14	0.39 0.61 0.55
25.	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	5.02 5.52 7.33 6.59 6.39
26.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, हांसी	2013-14	1.15
27.	सी.आर.ए. महाविद्यालय, सोनीपत	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	2.28 2.38 3.86 3.72 3.70
28.	हिंदू महाविद्यालय, सोनीपत	2012-13 2013-14	6.73 4.75
29.	टी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, सोनीपत	2011-12 2012-13 2013-14	1.04 0.97 0.75
30.	कन्या महाविद्यालय, खरखोदा (सोनीपत)	2012-13 2013-14	1.28 1.53
31.	टी.आर. कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	2011-12 2012-13 2013-14	1.14 1.23 1.30
32.	गीता विद्या मंदिर के.एम.वी., सोनीपत	2011-12 2012-13 2013-14	4.87 5.03 5.33
33.	आर.डी.एस. पब्लिक कन्या महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	1.32 2.29 2.10 2.57 2.41

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
34.	एस.पी. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009-10	0.48
		2010-11	0.77
		2011-12	0.85
		2012-13	0.70
		2013-14	0.62
35.	आर.बी.एस. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2012-13	0.47
		2013-14	0.28
36.	अहीर महाविद्यालय, रेवाड़ी	2012-13	2.62
		2013-14	2.53
37.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, करनाल	2010-11	2.10
		2011-12	2.28
		2012-13	2.09
		2013-14	1.87
38.	के.वी.ए.डी.ए.वी. महिला महाविद्यालय, करनाल	2010-11	2.89
		2011-12	4.55
		2012-13	3.64
		2013-14	3.95
39.	गुरु नानक खालसा महाविद्यालय, करनाल	2013-14	1.97
40.	दयाल सिंह महाविद्यालय, करनाल	2012-13	5.38
		2013-14	6.41
41.	डा. गणेश दास डी.ए.वी. शिक्षा महाविद्यालय, करनाल	2010-11	0.54
		2011-12	0.62
		2012-13	0.68
		2013-14	0.44
42.	वाई.एम. डिग्री महाविद्यालय, नूंह	2010-11	1.18
		2011-12	1.44
		2012-13	1.71
		2013-14	1.55
43.	आर.एस.एल. शिक्षा महाविद्यालय, सिढरावाली गुडगांव	2012-13	1.20
		2013-14	1.00
44.	जी.जी.डी.एस.डी. महाविद्यालय, पलवल	2010-11	3.87
		2011-12	4.29
		2012-13	4.51
		2013-14	4.43
45.	सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल	2013-14	2.03
46.	डी.ए.वी. सेंनटेनरी महाविद्यालय, फरीदाबाद	2010-11	3.07
		2011-12	2.77
		2012-13	2.79
		2013-14	2.66
47.	के.एल. मेहता डी.एन. महाविद्यालय, (महिला) फरीदाबाद	2013-14	3.72
48.	अग्रवाल महाविद्यालय, बल्लभगढ़, फरीदाबाद	2013-14	3.34
49.	गांधी आदर्श महाविद्यालय, समालखा, पानीपत	2010-11	0.86
		2011-12	1.04
		2012-13	0.52
		2013-14	0.72
50.	आई.बी. महाविद्यालय, पानीपत	2009-10	2.55
		2010-11	4.17
		2011-12	4.33
		2012-13	4.27
		2013-14	4.13

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
51.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, समालखा (पानीपत)	2006-07	0.28
		2007-08	0.38
		2008-09	0.40
		2009-10	0.68
		2010-11	0.81
		2011-12	0.38
		2012-13	0.69
		2013-14	1.18
52.	सी.आर शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2009-10	0.86
		2010-11	1.33
		2011-12	1.12
		2012-13	1.14
		2013-14	0.98
53.	जी.बी. शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2009-10	0.52
		2010-11	0.69
		2013-14	0.94
54.	वैश्य महाविद्यालय, रोहतक	2010-11	3.17
		2011-12	4.24
		2012-13	4.07
		2013-14	4.49
55.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2012-13	3.18
		2013-14	3.18
56.	जी.बी. डिग्री महाविद्यालय, रोहतक	2009-10	0.83
		2010-11	1.04
		2011-12	1.34
		2012-13	1.49
		2013-14	1.62
57.	श्री एल.एन. हिंदू महाविद्यालय, रोहतक	2009-10	2.17
		2013-14	2.35
58.	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी	2013-14	4.00
59.	एम.एल.आर.एस. सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, चरखी दादरी, भिवानी	2013-14	0.90
60.	महिला महाविद्यालय, जोधु कला भिवानी	2010-11	0.30
		2011-12	0.51
		2012-13	0.36
		2013-14	0.78
61.	एम.ए. महिला महाविद्यालय, झज्जर	2007-08	0.67
		2008-09	0.78
		2009-10	1.56
		2010-11	1.73
		2011-12	1.84
		2012-13	1.59
62.	सेठ जय प्रकाश बहुतकनीकी, दामला, यमुनानगर	2013-14	0.04
63.	छोटू राम बहुतकनीकी, रोहतक	2013-14	1.46

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3; पृष्ठ 53)

स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपूर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2014 तक)
1.	हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, मनीमाजरा, चण्डीगढ़	2012-13 से 2016-17	2011-12	2011-12	2009-10	2012-13 व 2013-14	दो वर्ष
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	2013-14 से 2017-18	2013-14	2013-14	2006-07	--	
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला	2012-13 से 2016-17	2013-14	2011-12	2011-12	--	
4.	हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड, पंचकुला	2009-10 से 2013-14	2013-14	2012-13	2012-13	--	--
5.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला	2010-11 से 2014-15	2013-14	2013-14	2011-12	--	--
6.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अम्बाला छावनी	2013-14 से 2017-18	2013-14	2013-14	प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं	-	
7.	हरियाणा राज्य कानून सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़	कोई सुपूर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2013-14	2013-14	-	-	-
8.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, भिवानी	-सम-	2013-14	2013-14	-	-	-
9.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फरीदाबाद	-सम-	2012-13	2012-13	-	2013-14	एक वर्ष

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2014 तक)
10.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फतेहाबाद	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2013-14	2013-14	-	-	-
11.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, गुडगाँव	-सम-	2013-14	-	-	-	-
12.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2013-14	18 वर्ष
13.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कैथल	-सम-	2013-14	2012-13	-	-	-
14.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला	-सम-	2013-14	-	-	-	-
15.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पानीपत	-सम-	2010-11	2010-11	-	2011-12 से 2013-14	तीन वर्ष
16.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रेवाड़ी	-सम-	2013-14	-	-	-	-
17.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रोहतक	-सम-	2013-14	-	-	-	-
18.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सोनीपत	-सम-	2013-14	-	-	-	-
19.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, यमुनानगर	-सम-	2011-12	2011-12	-	2012-13 से 2013-14	दो वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखापरीक्षा की सुपुर्वर्गी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2014 तक)
20.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, हिसार	कोई सुपुर्वर्गी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2013-14	2012-13	-	-	-
21.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, नारनौल	-सम-	2013-14	2010-11	-	-	-
22.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सिरसा	-सम-	2013-14	2013-14	-	-	-
23.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, अम्बाला	-सम-	2012-13	2012-13	-	2013-14	एक वर्ष
24.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, जींद	-सम-	2013-14	2012-13	-	-	-
25.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, करनाल	-सम-	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2013-14	छः वर्ष
26.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र	-सम-	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2013-14	छः वर्ष
27.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, मेवात	-सम-	-	-	-	2009-10 से 2013-14	पांच वर्ष
28.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पलवल	-सम-	2012-13	2011-12	-	2013-14	एक वर्ष
29.	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	2009-10 से 2013-14	2013-14	2011-12	2011-12	-	-

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4; पृष्ठ 54)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	विभाग	विभाग के अधीन उपक्रम/स्कीमों के नाम	तक लेखे अन्तिमकृत किए गए	पिछले अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखाओं को तैयार करने में विलम्ब हेतु टिप्पणियां/कारण
1.	कृषि	बीज डिपो स्कीम ¹	1988-89	-	1988-89 के लिए लेखे लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए गए
2.	कृषि	पीड़कनाशियों का क्रय एवं वितरण	1986-87	0.82	1986-87 के बाद सहकारिता विभाग/समिति को स्कीम हस्तांतरित कर दी गई
3.	मुद्रण एवं स्टेशनरी	राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम	2007-08	17.97	स्टॉफ की कमी के कारण विलम्ब हुआ
4.	स्वाद्य एवं आपूर्ति	अनाज आपूर्ति स्कीम	2013-14	6,332.83	-
5.	परिवहन	हरियाणा रोडवेज	2009-10	678.74	स्टॉफ की कमी के कारण विलम्ब हुआ
कुल				7,030.36	

¹ ये स्कीमें 1986-87 (पीड़कनाशियों का क्रय एवं वितरण) तथा 1984-85 (बीज डिपो स्कीम) से बंद हैं।

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 54)

दुरूपयोग, गबन इत्यादि, जहां अन्तिम कार्रवाई 30 जून 2015 को लम्बित थी, के मामलों का विभाग-वार/अवधि-वार विघटन

(कोष्ठक में आंकड़े इंगित करते हैं ₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	25 वर्ष तथा अधिक	कुल
1	पशुपालन	-	1 (6.5)	-	-	3 (3.22)	-	4 (9.72)
2	शिक्षा	1 (0.50)	2 (0.92)	5 (2.59)	1 (0.26)	3 (1.65)	5 (1.53)	17 (7.45)
3	लोक सम्पर्क	1 (4.23)	1 (4.23)	-	-	-	-	2 (8.46)
4	वन विभाग	-	-	1 (0.92)	6 (10.48)	2 (0.71)	6 (1.11)	15 (13.22)
5	चिकित्सा	-	1 (0.00)	2 (2.04)	1 (1.50)	2 (11.92)	-	6 (15.46)
6	तकनीकी शिक्षा	-	-	6 (30.67)	-	-	1 (0.02)	7 (30.69)
7	राजस्व विभाग	-	-	1 (9.28)	-	-	-	1 (9.28)
8	पुलिस	1 (13.99)	1 (3.79)	-	-	-	-	2 (17.78)
9	खेल एवं युवा कल्याण	-	-	1 (0.87)	-	-	-	1 (0.87)
10	महिला एवं बाल कल्याण	1 (3.12)	-	-	-	-	-	1 (3.12)
11	परिवहन	-	-	-	1 (3.17)	-	1 (0.60)	2 (3.77)
12	भवन एवं सड़कें	1 (0.00)	1 (0.00)	-	-	-	-	2 (0.00)
13	जन-स्वास्थ्य	4 (2.36)	7 (17.03)	-	-	-	-	11 (19.39)
14	सिंचाई	2 (0.00)	14 (7.00)	6 (1.25)	5 (0.48)	7 (0.25)	15 (2.07)	49 (11.05)
	कुल	11 (24.20)	28 (39.47)	22 (47.62)	14 (15.89)	17 (17.75)	28 (5.33)	120 (150.26)

अर्थात् ₹ 1.50 करोड़

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 54)

सरकारी सामग्री की चोरी तथा दुरुपयोग/हानि के मामलों के विभाग/श्रेणीवार ब्यौरे

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुरुपयोग/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
पशुपालन	2	9.41	2	0.31	4	9.72
शिक्षा	12	5.79	5	1.66	17	7.45
लोक सम्पर्क	2	8.46	-	-	2	8.46
वन विभाग	3	4.70	12	8.52	15	13.22
चिकित्सा	1	0.01	5	15.45	6	15.46
तकनीकी शिक्षा	6	19.31	1	11.38	7	30.69
राजस्व विभाग	--	--	1	9.28	1	9.28
परिवहन विभाग	--	--	2	3.77	2	3.77
खेल एवं युवा कल्याण	1	0.87	--	--	1	0.87
पुलिस	--	--	2	17.78	2	17.78
समाज कल्याण	1	3.12	--	--	1	3.12
भवन एवं सड़कें	2	0.00	--	--	2	0.00
जन-स्वास्थ्य	8	10.36	3	9.03	11	19.39
सिंचाई	37	10.50	12	0.55	49	11.05
कुल	75	72.53	45	77.73	120	150.26

अर्थात् ₹ 1.50 करोड़

शब्दावली

पारिभाषिक शब्दावली

राजस्व प्राप्तियां	राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा तथा भा.स. से सहायतानुदान शामिल हैं।
पूंजीगत प्राप्तियां	पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि विनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्तियां तथा भा.स. से ऋणों एवं अग्रिमों के साथ लोक लेखा से उपार्जन शामिल हैं।
राज्य कार्यान्वयन एजेंसीज	राज्य कार्यान्वयन एजेंसीज में गैर-सरकारी संगठनों सहित ऐसे संगठन/संस्थाएं शामिल होते हैं जो राज्य में विशेष कार्यक्रमों, को कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाते हैं। जैसे सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) के लिए राज्य कार्यान्वयन सोसायटी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि।
उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात, मूल परिवर्ती में दिये गये परिवर्तन के संबंध में वित्तीय परिवर्ती की लचक अथवा उत्तरदायित्वता की डिग्री इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.5 पर राजस्व उत्प्लावकता सूचित करती है कि यदि सरा.घ.उ. एक प्रतिशत तक बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियां 0.5 प्रतिशतता प्वाइंट्स तक बढ़ जायेगी।
कोर पब्लिक गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिनका सभी नागरिक एक साथ इस समझ के साथ लाभ उठाते हैं कि ऐसी वस्तु की प्रत्येक व्यक्ति द्वारा खपत उस वस्तु की अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली खपत को कम नहीं करती उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव; प्रदूषण रहित वायु और अन्य पर्यावरणीय वस्तुएं एवं सड़क मूलभूत संरचना आदि।
मैरिट गुड्स	मैरिट गुड्स वे आवश्यक वस्तुएं हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा रियायती दरों पर प्रदान करता है क्योंकि योग्यता और सरकार को अदा करने की इच्छा के बजाय वे प्रत्येक व्यक्ति या समाज को उनकी जरूरत की धारणा के आधार पर प्राप्त होनी चाहिए ऐसी वस्तुओं के उदाहरण में पोषण के प्रोत्साहन हेतु गरीबों को मुफ्त अथवा सब्सिडाइज्ड आहार का प्रबन्ध और रूग्णता को कम करने एवं जीवन स्तर में सुधार के लिये स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी, सबको मौलिक शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता आदि प्रदान करना शामिल है।
विकास व्यय	व्यय आंकड़े का विश्लेषण विकास एवं गैर-विकास व्यय में बांटा गया है। राजस्व लेखे, पूंजीगत परिव्यय और ऋण एवं अग्रिम से सम्बन्धित सभी व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मोटे तौर पर, सामाजिक और आर्थिक सेवाएं, विकास व्यय का हिस्सा हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकास व्यय समझा जाता है।

ऋण पोषण क्षमता

ऋण पोषण क्षमता, काफी समय तक लगातार ऋण-सरा.घ.उ. अनुपात कायम रखने के लिए राज्य की योग्यता और अपने ऋणों की पूर्ति करने की योग्यता के मामले को सम्मिलित करके परिभाषित किया गया है। इसलिए ऋण पोषण क्षमता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों की पूर्ति के लिये अस्थिर परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत एवं ऐसे उधारों से प्रतिलाभ के मध्य संतुलन बनाने की क्षमता को भी परिभाषित करता है। इससे अभिप्राय है कि राजकोषीय घाटे की बढ़ोतरी, ऋण की पूर्ति की क्षमता में वृद्धि से मेल खानी चाहिए।

ऋण स्थिरीकरण

स्थिरीकरण की आवश्यक शर्त बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी दर ब्याज दर या सार्वजनिक उधारों की लागत से बढ़ जाती है, ऋण-सरा.घ.उ. अनुपात स्थिर रहता है, बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक है या संयमित ऋणात्मक है। दिये गये दर प्रसार (सरा.घ.उ. बढ़ोतरी दर-ब्याज दर) और प्रमात्रा प्रसार (ऋण x दर प्रसार), ऋण पोषण क्षमता शर्त बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा प्रसार शून्य हो तो ऋण-सरा.घ.उ. अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततोगत्वा स्थिर हो जाएंगे। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा, ऋणात्मक में बदल जाता है तो ऋण-सरा.घ.उ. अनुपात वृद्धि पर होगा। इसके धनात्मक होने के मामले में, ऋण-सरा.घ.उ. अनुपात अन्ततोगत्वा गिरेगा।

गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता

राज्य की वर्धित गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता वर्धित ब्याज देयताओं और वर्धित प्राथमिक व्यय को आवृत करने से है। ऋण पोषण क्षमता को महत्वपूर्ण ढंग से सहायता मिलेगी यदि वर्धित गैर-ब्याज प्राप्तियां, वर्धित ब्याज भार और वर्धित प्राथमिक व्यय की पूर्ति कर दें।

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता

कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण माफी (मूलधन जमा ब्याज अदायगियां) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को इंगित करते हुये उस सीमा को इंगित करता है जिसमें ऋण प्राप्तियों को ऋण माफी में उपयोग किया जाता है।

प्राथमिक राजस्व व्यय

प्राथमिक राजस्व व्यय से अभिप्राय ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय से है।

संकेताक्षरों की शब्दावली

अ.भा.औ.	अखिल भारतीय औसत
अ.यो.	अनुमोदित योजना
आ.सा.	आकस्मिक सार
आ.वा.ला.	आपूर्ति की वास्तविक लागत
उ.प्र.प.	उपयोगिता प्रमाण - पत्र
उ.ह.बि.वि.नि.लि.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
ऋ.स. व रा.सु.	ऋण समेकन एवं राहत सुविधा
औ.प्र.सं.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
क.श. तथा श.	कर्तव्य, शक्तियां तथा शर्तें
कु.व्य.	कुल व्यय
कु.त.एवं वा.	कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक
गै.स.सं.	गैर सरकारी संगठन
जि.ग्रा.वि.अ.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
ज.ने.रा.श.न.मि.	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
डिस्कॉमज	वितरण कंपनियां
ते.वि.आ.	तेरहवां वित्त आयोग
द.ह.बि.वि.नि.लि.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
प. व अ.	परिचालन एवं अनुरक्षण
प.प्रा.पा.	पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
पं.रा.सं.	पंचायती राज संस्थान
प्र.म.ले.	प्रधान महालेखाकार
प्र.सू.प्र.	प्रबंधन सूचना प्रणाली
पू.व्य.	पूजीगत व्यय
पू.प.	पूजीगत परिव्यय
पू.प्रा.	पूजीगत प्राप्तियां
पृ.ले.प.प्र.	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
ब्या.भु.	ब्याज भुगतान
ब.अ.	बजट अनुमान
भा.स.	भारत सरकार
भा.नि.म.ले.प.	भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
भा.रि.बैं.	भारतीय रिजर्व बैंक
म.ले.	महालेखाकार
म.वि.का.	मरूस्थल विकास कार्यक्रम
म.अ.रा.नी.वि.	मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी
मू.व.क.	मूल्य वर्धित कर
यो.रा.व्य.	योजनागत राजस्व व्यय
यो.रा.व्य.	योजनेतर राजस्व व्यय
यो.रा.प्रा.	योजनेतर राजस्व प्राप्तियां
रा.सु.प.	राजकोषीय सुधार पथ

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

रा.दा. व ब.प्र.अ.	राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005
रा.आ.प्र.नि.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि
रा.प्रा.	राजस्व प्राप्तियां
रा.व्य.	राजस्व व्यय
रा.वि.ऋ.	राज्य विकास ऋण
रा.स्ता.मॉ.स.	राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति
रि.वा.द.	रिटर्न की वार्षिक दर
ले. व हक.	लेखा व हकदारी
लो.उ.स.	लोक उपक्रम समिति
व्य.ले.ले.	व्यक्तिगत लेजर लेखे
व.ले.कं.	वाऊचर लेवल कंप्यूटरीकरण
वि.प्र.आ.	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक
वि.व्य.	विकास व्यय
वि.पुं.प्ला.	वित्तीय पुनःस्थापन प्लान
वे. व म.	वेतन एवं मजदूरी
ह.वि.उ.नि.लि.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
ह.वि.प्र.नि.लि.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
स्टे.बैं.ऑ.इ.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
स.घ.उ.	सकल घरेलू उत्पाद
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
सं.अ.	संशोधित अनुमान
स.ग्रा.रो.यो.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
सा.क्षे.व्य.	सामाजिक क्षेत्र व्यय